

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) का कार्यालय
केरल,
तिरुवनन्तपुरम

राज्य राजस्व लेखापरीक्षा नियम पुस्तक

कृषि आयकर

जारी कर्ता :

प्रधान महालेखाकार
(लेखापरीक्षा), केरल
तिरुवनन्तपुरम

प्रस्तावना

यह नियम पुस्तक 'कृषि आयकर' के अन्तर्गत प्राप्तियों और धन वापसी की लेखापरीक्षा में लगे कार्मिकों के मार्गदर्शन के लिए तैयार की गई है।

इस नियम पुस्तक का संशोधित संस्करण केरल कृषि आयकर अधिनियम, 1991 के उपबंधों पर आधारित है। इस नियम पुस्तक में शामिल लेखापरीक्षा अनुदेश भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा जारी नियमपुस्तकों / परिपत्रों में दिए गए सामान्य अनुदेशों के अनुपूरक हैं।

इस नियमपुस्तक के प्रावधान लेखापरीक्षा के लिए मार्गनिर्देश मात्र हैं। इन्हें इस कार्यालय के बाहर किसी पत्र व्यवहार में प्राधिकार के रूप में उद्धृत नहीं किया जाना चाहिए।

कृषि आयकर प्राप्ति लेखापरीक्षा का कार्य करने वाला एस. आर. ए (मुख्यालय) अनुभाग इस नियम पुस्तक को अद्यतन रखने के लिए उत्तरदायी होगा।

एस. नागल सामी

तिरुवनन्तपुरम

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)

विषय सूची

		पृष्ठ संख्या
अध्याय I	लेखापरीक्षा मानक	1 से 16
अध्याय II	परिचय और संगठनात्मक ढांचा	17 से 18
अध्याय III	प्राथमिक संकल्पनाएं	19 से 21
अध्याय IV	कृषि आयकर संगणना	22 से 46
अध्याय V	कृषि आयकर का संयोजन	47 से 50
अध्याय VI	निर्धारण प्रक्रिया	51 से 69
अध्याय VII	कर संग्रह और दंड	70 से 73
अध्याय VIII	अपील, परिशोधन और धन – वापसी	74 से 81
अध्याय IX	अपराध और दंड	82 से 84
अध्याय X	विविध	85 से 86
अध्याय XI	कृषि आयकर पर अधिकार	87 से 88
अध्याय XII	लेखापरीक्षा जांच	89 से 103
संलग्नक – I	निर्धारित प्रपत्र	104 से 105
संलग्नक - II	सरकार द्वारा कृषि आयकर से छूट प्राप्त संस्था	106 से 107

अध्याय – I

लेखापरीक्षा – मानक

अंतरराष्ट्रीय सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान संगठन (इंटोसाई) के लेखापरीक्षा – मानकों को भारत के संविधान, संबंधित संविधियों और भारत के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान (साई) के लेखापरीक्षा मानकों के नियमों को ध्यान में रखकर उपर्युक्त रूप से अनुकूल बनाया गया है ।

लेखापरीक्षा मानक उन सिद्धांतों और प्रथाओं के मानदण्ड निर्धारित करते हैं जिनके लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षकों द्वारा अनुसरण करने की आकांक्षा की जाती है ।

1.1 प्राथमिक अभिधारणाएँ

लेखापरीक्षा मानकों के लिए प्राथमिक अभिधारणाएँ, बुनियादी कल्पनाएँ, तार्किक सिद्धांत और अपेक्षाएँ हैं जो लेखापरीक्षा मानकों के विकास में सहायता करती हैं और लेखापरीक्षकों को अपनी राय बनाने और रिपोर्ट तैयार करने में सहायक होती हैं, विशेषकर उन मामलों में जहाँ कोई विशेष मानक लागू नहीं होते ।

- साई को उन सभी मामलों में इंटोसाई लेखापरीक्षा मानकों का अनुपालन करना चाहिए जो यह सुनिश्चित करने के लिए समझी गई सामग्री होते हैं कि कार्य और उत्पाद मूल्य और प्रकृति द्वारा उच्च गुणता के होते हैं ।
- असमान स्थितियों में लेखापरीक्षक को उन परिस्थितियों में आवश्यक लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के निर्धारण में अपने ज्ञान का प्रयोग करना पड़ेगा जो उसके विचारों और रिपोर्ट की विषय-वस्तु के उपयुक्त आधार का समर्थन करता हो ।
- संवर्द्धित लोक जागरूकता के अनुरूप साई को सार्वजनिक जवाबदेही और ठोस व मितव्ययी वित्तीय प्रबंधन प्रयासों में सुधार लाने के लिए सरकार के वित्तीय हितों की सुरक्षा में सक्षम होना चाहिए ।
- लेखापरीक्षा कार्यपालिका सरकार पर वित्तीय नियंत्रण रखने के कार्य में विधायिका की सहायता करती है । सार्वजनिक धन के व्यय में आर्थिक सुशासन लागू करने में कार्यपालक सरकार उत्तरदायी है न कि लेखापरीक्षा फिर भी, लेखापरीक्षा का यह कर्तव्य है कि अपव्यय, असफलता, व्यवस्था की कमज़ोरियों, न्यूनताओं और निष्फल व्यय की परिस्थितियों को उजागर करे ।

- साई द्वारा सरकार को उन स्वीकार्य लेखांकन मानकों को प्रख्यापित करने के लिए जो वित्तीय स्थिति और परिचालनों के सही परिणाम प्रस्तुत करते हों, सलाह देनी चाहिए।
- यद्यपि, यह लेखापरीक्षित अस्तित्व का उत्तरदायित्व है कि वह अपने संसाधनों के संरक्षण हेतु पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली विकसित करे। लेखापरीक्षक को वहाँ पर अपने प्रस्ताव और सिफारिशें इस लेखापरीक्षित अस्तित्व को प्रस्तुत करनी चाहिए जहाँ नियंत्रण अपर्याप्त अथवा नगण्य पाए जाते हैं।
- लेखापरीक्षक के कार्य के दौरान अर्जित लेखापरीक्षा अस्तित्व की सूचना का प्रयोग लेखापरीक्षा के अधिकार क्षेत्र के बाहर और एक राय बनाने में अथवा लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व के अनुसरण के प्रतिकूल रिपोर्टिंग में नहीं कटना चाहिए। यह अनिवार्य है कि लेखापरीक्षक लेखापरीक्षा मामलों में और लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त की गई सूचना के बारे में गोपनीयता बनाए रखे।
- साई को लेखापरीक्षक और लेखापरीक्षा अधीन अस्तित्व के बीच विवाद से बचना चाहिए।

1.2 सरकारी लेखापरीक्षा में सामान्य मानक

सामान्य लेखापरीक्षा मानक लेखापरीक्षक और लेखापरीक्षा संस्थान की योग्यताओं का वर्णन करते हैं।

- लेखापरीक्षक और लेखापरीक्षा संस्थान स्वतंत्र होने चाहिए। लेखापरीक्षक की स्वतंत्रता में कार्यपालिका और विधायिका दोनों से स्वतंत्रता शामिल है।
- साई विधायिका के निकट रहकर कार्य करना है और उसे विधायिका द्वारा अधिनियमित विधियों का अनुपालन करना चाहिए किन्तु यह भी महत्वपूर्ण है कि साई को राजनीतिक प्रभाव से स्वतंत्रता बनाये रखनी चाहिए ताकि वह अपने लेखापरीक्षा उत्तरदायित्वों के प्रति अपनी निष्पक्ष भूमिका को सुरक्षित रख सके। इसका अर्थ यह है कि न तो साई अनुक्रियाशील है न ही वह अनुक्रियाशील होने का ही प्रकटन करता है कि वह किसी विशिष्ट राजनीतिक हितों की इच्छापूर्ति करता है। इस लेखापरीक्षा का कार्यक्रम बनाने, आयोजना और संचालन में विधायिका से निदेश नहीं लेने चाहिए।
- साई और कार्यपालिका के बीच कुछ क्षेत्रों में परस्पर सहयोग वांछनीय है। साई की रिपोर्टें कार्यपालिका का ध्यान प्रशासन में खामियों की ओर ध्यानाकर्षित करने में और सुधार के लिए संस्तुति करती हैं। साई को लेखांकन मानकों और नीतियों जैसे मामलों में वित्तीय विवरणों के रूप में कार्यपालिका को सलाह देने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। साई को यह भी

सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी सलाह देते समय सुस्पष्ट अथवा अंतर्निहित वचनबद्धता से बचे जिससे उसके लेखापरीक्षा अधिदेश कार्यों की स्वतंत्रता का हनन होता हो। यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि कार्यपालिका के ऐसे कार्यों में भाग लेने से बचना चाहिए जो साई के अधिदेशों के निर्वहन में उसकी स्वतंत्रता और उद्देश्यों के विरुद्ध हो। साई के अपने अधिदेशों के निष्पादन में कार्यपालिका द्वारा दिशा निर्धारित करने की कोई शक्ति नहीं होनी चाहिए। साई को भी किसी लेखापरीक्षा को करने, आशोधित करने अथवा न करने अथवा लेखापरीक्षा निष्कर्षों, परिणामों और सिफारिशों को दबाने अथवा संशोधन करके उपकृत नहीं करना चाहिए।

- साई को लेखापरीक्षित अस्तित्व से स्वतंत्र रहना चाहिए। लेखापरीक्षित अस्तित्व साई के साथ ग्राहक के रूप में नहीं होता। सी ए जी व उसके लेखापरीक्षकों के लिए लेखापरीक्षित अस्तित्वों के सारे परिसरों और अभिलेखों तक पहुँचने और उनके संचालनों के बारे में जानने का पूर्ण व मुक्त पहुँच का विधायी अधिदेश है, सी ए जी को किसी व्यक्ति से अथवा अस्तित्वों से कोई भी सूचना, जो उनके पास हो, प्राप्त करने की पर्याप्त शक्तियाँ प्राप्त है। लेखापरीक्षितियों के साथ मधुर संबंधों से साई को उन्मुक्त और स्पष्ट सूचना प्राप्त करने में सहायता मिल सकती है व परस्पर आदर और समझदारी से चर्चा करने में सहायता हो सकती है। साई को अपने लेखापरीक्षा विचार बनाने, निष्कर्षों और संस्तुतियों को तैयार करने में प्रबंधन के विचारों को पूर्णतः ध्यान में रखकर अपने अधिदेश का स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वहन करना होगा व की गई लेखापरीक्षा के अधिकार क्षेत्र अथवा प्रकृति के लिए लेखापरीक्षित अस्तित्व के प्रबंधन के प्रति साई का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
- साई शैक्षिक संस्थानों के साथ सहयोग कर सकता है और व्यावसायिक निकायों से औपचारिक संबंध स्थापित कर सकता है बशर्ते कि ऐसे संबंध इसकी स्वतंत्रता और उद्देश्यता में बाधित न हों और वह व्यवसाय के अनुभवी सदस्यों से स्वच्छंद सलाह ले सके।
- लेखापरीक्षक और साई के पास अपेक्षित क्षमता होनी चाहिए। चूँकि साई के कर्तव्य और उत्तरदायित्व लोक जवाबदेही की संकल्पना के प्रति महत्वपूर्ण होती है। इसलिए साई को अपनी लेखापरीक्षा, सुव्यवस्था और व्यवहार में व्यवस्था आधारित तकनीकों विश्लेषणात्मक समीक्षा विधियों, सांख्यिकीय प्रतिदर्शों और स्वचालित सूचना प्रणालियों की लेखापरीक्षा में उच्चतम दक्षता से लागू करनी चाहिए।

- साई को साक्ष्य निर्धारण, संग्रहण और मूल्यांकन करने और निष्कर्षों, परिणामों और संस्तुतियों संबंधी रिपोर्ट देते समय पूरा ध्यान रखना चाहिए। साई को अस्तित्वों और लोक उद्यमों की लेखापरीक्षा में विषयपरक होना चाहिए व दिखना भी उसी प्रकार चाहिए, व लेखापरीक्षा के परिणामों के मूल्यांकन करने व रिपोर्ट देते समय निष्पक्ष होना चाहिए। लेखा परीक्षक को नियंत्रण की कमज़ोरियों, अभिलेख अनुरक्षण की कमियों, अशुद्धियों व असामान्य लेन-देनों अथवा परिणामों के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता होती है क्योंकि ये कपट, अनुचित अथवा गैर कानूनी व्यय, अनिधकृत संचालन, अपव्यय, अक्षमता अथवा सत्यनिष्ठा की कमी का द्योतक होती हैं।
- लेखा परीक्षा कार्य के दौरान लेखापरीक्षा अस्तित्व के बारे में मिली किसी सूचना लेखापरीक्षा के अधिकार क्षेत्र के बाहर किसी प्रयोजन के लिए, और कोई राय बनाने के लिए अथवा लेखापरीक्षक के अनुसार रिपोर्टिंग के अतिरिक्त प्रयोग में नहीं लाया जाना चाहिए। यह अनिवार्य है कि लेखापरीक्षा विभाग को लेखापरीक्षा मामलों में और लेखापरीक्षा कार्य के दौरान प्राप्त सूचना की गोपनीयता बनाए रखी जाए। तथापि साई को गैर कानूनी अपराधों की रिपोर्ट उपयुक्त अभियोजन प्राधिकारियों को करनी चाहिए।
- साई के पास उपयुक्त गुणता आश्वासन प्रणाली होनी चाहिए। इसे लेखापरीक्षा निष्पादन और परिणामों में सुधार लाने के लिए गुणता आश्वासन कार्यक्रमों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। साई को :
 - पुष्टि करने के लिए कि आंतरिक गुणता आश्वासन प्रक्रियाओं ने सन्तोषजनक कार्य किया है।
 - लेखापरीक्षा रिपोर्ट की गुणता सुनिश्चित करने के लिए और
 - सुधार करने और कमज़ोरियों को दोहराने से बचने हेतु

प्रणालियों और प्रक्रियाएं स्थापित करनी चाहिए। लेखापरीक्षा विभाग द्वारा किये गए कार्य की गुणता में आंतरिक समीक्षा को सुदृढ़ करके और अपने कार्य का स्वतंत्र मूल्यांकन करके सुधार लाया जा सकता है।

- साई को चाहिए कि वह साई के भीतर ही उपलब्ध कौशल और अनुभाव के समर्थन में नीतियाँ और प्रक्रियाएँ अपनाएँ और उन कौशलों का पता लगाए जो सामने नहीं आ पा रहे हैं। लेखा परीक्षा कार्य के लिए कौशलों का बेहतर विवरण व लेखापरीक्षा हेतु पर्याप्त संख्या में

व्यक्तियों को लगाए, अति सावधानी और महत्व के अपेक्षित स्तर पर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उचित आयोजन और पर्यवेक्षण होना चाहिए।

1.3 सरकारी लेखापरीक्षण में क्षेत्र मानक

क्षेत्र मानक लेखापरीक्षा कार्य के संचालन और प्रबंधन का ढांचा स्थापित करते हैं। क्षेत्र मानक का प्रयोजन उद्देश्यपूर्ण, व्यवस्थित और संतुलित उपायों अथवा कार्रवाइयों के लिए मानदंड अथवा समग्र ढांचा स्थापित करना होता है जिन्हें लेखापरीक्षक को कार्यान्वित करना होगा :

- लेखापरीक्षक को लेखापरीक्षा की योजना इस प्रकार बनानी चाहिए जो यह सुनिश्चित करे कि उच्च गुणता की लेखापरीक्षा मितव्ययी, दक्ष और प्रभावी ढंग से और समय पर पूरी हो सके।
- लेखापरीक्षा के प्रत्येक स्तर और प्रत्येक चरण पर लेखापरीक्षा स्टाफ के कार्य का उचित रूप से पर्यवेक्षण होना चाहिए और लेखापरीक्षा स्टाफ के वरिष्ठ सदस्य द्वारा प्रलेखन कार्य की समीक्षा की जानी चाहिए।
- लेखापरीक्षक को, लेखापरीक्षा की सीमा और अधिकार क्षेत्र का निर्धारण करने के लिए, आंतरिक नियंत्रण की विश्वसनीयता का अध्ययन और मुल्यांकन करना चाहिए।
- नियमनिष्ठा (वित्तीय) लेखापरीक्षा करते समय लागू नियमों और विनियमों के अनुपालन की जांच करनी चाहिए जिससे उन अशुद्धियों, अनियमितताओं और गैर कानूनी कृत्यों के पता लगाने का उचित आश्वासन मिल सके जो वित्तीय विवरण पर प्रत्यक्ष और आर्थिक प्रभाव डालते हैं। लेखापरीक्षक को उन गैरकानूनी कृत्यों की संभावना के प्रति जागरूक होना चाहिए जो वित्तीय विवरण अथवा नियमनिष्ठा लेखापरीक्षा के परिणामों पर अप्रत्यक्ष और आर्थिक प्रभाव डाल सकें।
- निष्पादन लेखापरीक्षा करते समय लागू नियमों और विनियमों का निर्धारण लेखापरीक्षा उद्देश्यों को संतुष्ट करने के लिए किया जाना चाहिए।
- कोई संकेत कि कोई अनियमितता, गैरकानूनी कानूनी कृत्य, छल अथवा अशुद्धि हो सकती है जिसका लेखापरीक्षा पर आर्थिक प्रभाव पड़ सकेगा, ऐसी परिस्थितियों में लेखापरीक्षक को ऐसे संदेहों की पुष्टि करने अथवा दूर करने के लिए अपनी प्रक्रियाओं का विस्तार करना पड़ेगा। नियमनिष्ठा लेखापरीक्षा सरकारी लेखापरीक्षा का एक अनिवार्य पहलू है।

- लेखापरीक्षाधीन संगठन, कार्यक्रम कार्यकलाप अथवा समारोह के बारे में लेखापरीक्षक के निर्णय और निष्कर्षों के समर्थन में सक्षम, प्रासंगिक और उचित साक्ष्य प्राप्त कर लेने चाहिए ।
- नियमनिष्ठा (वित्तीय) लेखापरीक्षा में और अन्य प्रकार की लेखापरीक्षा में, जब लागू हो लेखापरीक्षक को यह स्थापित करने के लिए वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करना चाहिए कि वित्तीय रिपोर्टिंग और प्रकटन के लिए क्या स्वीकृत लेखांकन मानकों का अनुपालन किया गया है । वित्तीय विवरणों का विश्लेषण उस सोपान तक करना चाहिए कि वित्तीय विवरणों पर कोई राय प्रकट करने के लिए विवेकपूर्ण आधार प्राप्त कर लिया है ।
- लेखापरीक्षक को लेखापरीक्षा की योजना इस प्रकार बनानी चाहिए, जो यह सुनिश्चित करे कि उच्च गुणता की लेखापरीक्षा मितव्ययी, दक्ष और प्रभावी ढंग से और समय पर पूरी हो सके । साई को किसी लेखापरीक्षा कार्य के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए जिसे किसी नियम के अंतर्गत लिया जाना आवश्यक होता है और साई के अधिदेश के भीतर विवेकाधीन क्षेत्रों के लिए प्राथमिकताओं का निर्धारण होना चाहिए । विशिष्ट लेखापरीक्षितों की लेखापरीक्षा की योजना में, लेखापरीक्षक को :
 - o वातावरण के उन महत्वपूर्ण पहलुओं का पता लगाना चाहिए जिसमें लेखापरीक्षित अस्तित्व संचालन करता है ;
 - o जवाबदेही संबंधों की समझ का विकास करना चाहिए;
 - o लेखापरीक्षा राय, निष्कर्षों अथवा रिपोर्टों के फार्म, विषय – वस्तु और प्रयोक्ता पर विचार करना चाहिए ;
 - o लेखापरीक्षा उद्देश्य और उन्हें पूरा करने के लिए परीक्षण निर्दिष्ट करना चाहिए ;
 - o मुख्य प्रबन्धन प्रणालियों और नियंत्रणों का पता लगाकर उनकी क्षमताओं व कमज़ोरियों दोनों का ही पता लगाने के लिए प्राथमिक निर्धारण करना चाहिए ;
 - o विचार किये जाने वाले मामलों की भौतिकता का निर्धारण करना चाहिए ;
 - o लेखापरीक्षित अस्तित्व की आंतरिक लेखापरीक्षा और उसके कार्य संबंधी कार्यक्रमों की समीक्षा करनी चाहिए ;
 - o अन्य लेखापरीक्षकों को सौंपे गए कार्यों जैसे आंतरिक लेखापरीक्षा, पर विश्वसनीयता की सीमा का निर्धारण करना चाहिए ;
 - o अत्यधिक सक्षम और प्रभावी लेखापरीक्षा पद्धति का निर्धारण करना चाहिए

- यह निर्धारण करने के लिए समीक्षा करनी चाहिए कि पूर्व प्रस्तुत लेखापरीक्षा निष्कर्षों और सिफारिशों पर क्या उपयुक्त कार्रवाई की गई है; और
- लेखापरीक्षा योजना के लिए उपयुक्त प्रलेखन और प्रस्तावित क्षेत्र-कार्य निर्धारित करना चाहिए।
- लेखापरीक्षक को लेखापरीक्षा इस प्रकार करनी चाहिए जिससे संविधाओं के उपबंधों अथवा अनुदान करारों का अनुपालन न करने के परिणामस्वरूप भौतिक गलतबयानियों का पता लगाने के उपयुक्त आश्वासन पता लग सकें जिनका वित्तीय विवरण की राशियों के निर्धारण पर प्रत्यक्ष अथवा भौतिक प्रभाव पड़ता हो। यदि लेखापरीक्षक के ध्यान में कोई विशिष्ट सूचना आती है जो सम्भावित अपालन होने का साक्ष्य हो, जिसका वित्तीय विवरणों पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता हो तो लेखापरीक्षक को लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ अपनानी चाहिए, विशेषकर यह पता लगाने के लिए कि क्या कोई अपालन की घटना हुई है।
- लेखापरीक्षा उद्देश्यों को प्राप्ति सुनिश्चित करने और लेखा परीक्षा कार्य की गुणता को बनाये रखने के लिए पर्यवेक्षण अनिवार्य है। पर्यवेक्षण निम्नलिखित सुनिश्चित करने के लिए सार व लेखापरीक्षा की विधि दोनों को ध्यान में रखा जाना चाहिए :
- लेखापरीक्षा दल के सदस्यों को लेखापरीक्षा योजना की स्पष्ट और सुसंगत जानकारी हो ;
- लेखापरीक्षा लेखापरीक्षा मानकों व साई की प्रथाओं के अनुसार की जा रही है ;
- योजना में निर्दिष्ट कार्रवाई कदमों और लेखापरीक्षा योजना का अनुपालन हो रहा है जब तक कि परिवर्तन प्राधिकृत न हों;
- आधार पत्रों में सभी निष्कर्षों, संस्तुतियों और विचारों के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं ;
- लेखापरीक्षक ने कथित लेखापरीक्षा उद्देश्य प्राप्त कर लिए हैं ; और
- लेखापरीक्षा रिपोर्ट में यथा उपयुक्त लेखापरीक्षा निष्कर्ष, सिफारिशें और विचार सम्मिलित हैं।
- लेखापरीक्षा विचारों अथवा रिपोर्टों को अंतिम रूप देने से पहले लेखापरीक्षा स्टाफ के वरिष्ठ सदस्य से समस्त लेखापरीक्षा कार्य की समीक्षा की है।

यह लेखापरीक्षा के प्रत्येक भाग के पूरा होने पर की जानी चाहिए। समीक्षा लेखापरीक्षा कार्य के एक से अधिक स्तर के अनुभवों व निर्णयों को प्रकट करती है व यह सुनिश्चित करती हैं कि -

- o सभी मूल्यांकन व निष्कर्ष युक्तियुक्त हैं और सक्षम, संगत और उचित लेखापरीक्षा साक्ष्यों द्वारा समर्थित हैं जो अंतिम लेखापरीक्षा रिपोर्ट अथवा विचार को आधार प्रदान करते हैं।
 - o सभी अशुद्धियों, कमियों और असामान्य मामलों की उचित रूप से पहचान करके प्रलेखबद्ध किया गया है और या तो उसे सन्तोषपूर्ण ढंग से निपटा लिया गया है अथवा साई के अधिक वरिष्ठ अधिकारी(यों) के ध्यान में लाया जाना चाहिए; और
 - o भावी लेखापरीक्षा के आयोजन में आवश्यक परिवर्तनों और सुधारों का पता लगाया जाये उन्हें अभिलेखबद्ध करके बाद की लेखापरीक्षा योजनाओं में और स्टाफ विकास कार्य कलापों के समय ध्यान में रख जाए।
- लेखापरीक्षक को, लेखापरीक्षा की सीमा और अधिकार क्षेत्र का निर्धारण करते समय, आंतरिक नियंत्रण की विश्वसनीयता का अध्ययन और मूल्यांकन करना चाहिए। आंतरिक नियंत्रण का अध्ययन और मूल्यांकन की जानेवाली लेखापरीक्षा की किस्म के अनुसार करना चाहिए। नियमनिष्ठा (वित्तीय) लेखापरीक्षा के मामले में अध्ययन और मूल्यांकन मुख्यतः उन नियंत्रणों का किया जाता है जो परिसम्पत्तियों और संसाधनों के संरक्षण में सहायक होते हैं और लेखांकन अभिलेखों की शुद्धता व सम्पूर्णता को सुनिश्चित करते हैं। नियमनिष्ठा (अनुपालन) लेखापरीक्षा के मामले में, अध्ययन और मूल्यांकन मुख्यतः उस नियंत्रणों का किया जाता है जो प्रबंधन को विधियों और विनियमों के अनुपालन में सहायता करते हैं। निष्पादन लेखापरीक्षा के मामले में, इन्हें उन नियंत्रणों पर किया जाता है। जो लेखापरीक्षित अस्तित्व को व्यापार करने में किफायत, सक्षमता और प्रभावी ढंग से करते हैं व प्रबंधन नीतियों का अनुवर्तन सुनिश्चित करते हैं और समय पर विश्वसनीय वित्तीय और प्रबंधकीय सूचना प्रस्तुत करते हैं।
- लेखापरीक्षा अधीन संगठन, कार्यक्रम, कार्यकलाप अथवा समारोह के बारे में लेखापरीक्षक के निर्णय और निष्कर्षों के समर्थन में सक्षम, संगत और उपयुक्त साक्ष्य प्राप्त कर लेने चाहिए। लेखापरीक्षा के निष्कर्ष, परिणाम और साक्ष्य पर आधारित होनी चाहिए। चूँकि लेखापरीक्षक के पास लेखापरीक्षित अस्तित्व के बारे में सारी सूचना पर विचार करने का विरले ही कोई अवसर मिलता है। अतः यह महत्वपूर्ण होता है कि डाटा संग्रहण और प्रतिदर्श तकनीकों का चयन सावधानी से किया जाये। जब कम्प्यूटर आधारित सिस्टम डाटा

लेखापरीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होता है और डाटा विश्वसनीयता लेखापरीक्षा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निर्णायक होती है तब लेखापरीक्षकों को स्वयं संतुष्ट होना आवश्यक होता है कि डाटा विश्वसनीय और संगत है। अभिगम और प्रक्रियाओं का चयन करते समय, साक्ष्य की गुणता को महत्व दिया जाना चाहिए, अर्थात् साक्ष्य समुचित, संगत, औचित्यपूर्ण और यथासम्भव प्रत्यक्ष हो, ताकि अनुमान लगाने की आवश्यकता कम रहे।

- लेखापरीक्षकों को, आयोजना के आधार और सीमा निष्पादित कार्य और लेखापरीक्षा निष्कर्षों सहित आधार – पत्रों में लेखापरीक्षा साक्ष्य का भली-भांति प्रलेख रखना चाहिए। आधार पत्रों में पर्याप्त सूचना होनी चाहिए ताकि एक अनुभवहीन लेखापरीक्षक भी, जिसका लेखापरीक्षा के साथ पहले कोई संबंध न रहा हो, उनसे वह साक्ष्य जुटा सके जो लेखापरीक्षक के परिणाम और निष्कर्षों के लिए महत्वपूर्ण हों। आधार –पत्रों की विषय-वस्तु और व्यवस्था लेखापरीक्षक की दक्षता, अनुभव और ज्ञान की झलक दिखलाती हो।
- जहाँ साई को बजटीय नियमों के कार्यान्वयन पर रिपोर्ट करनी अपेक्षित है, वहाँ लेखापरीक्षा में निम्नलिखित शामिल होने चाहिए :
 - राजस्व लेखाओं के लिए, पता लगाना कि क्या पूर्वानुमान आरम्भिक बजट के हैं और क्या करें, दरों और शुल्कों को दर्ज किया गया है व आरोपित प्राप्तियों का लेखापरीक्षित कार्यकलाप के वार्षिक वित्तीय विवरण की तुलना में पूरा पालन किया गया है।
 - व्यय लेखाओं के लिए, बजट सहायता व समायोजन नियमों से और अग्रनयन हेतु पिछले वर्षों के वित्तीय विवरणों से क्रेडिट सत्यापित किये गए हैं।
- जहाँ साई को कर प्रशासन की व्यवस्था अथवा गैर – कर प्राप्तियों की वसूली की व्यवस्था के साथ राजस्व प्राप्तियों की वसूली व्यवस्थाओं के अध्ययन और मुल्यांकन, संबंधी रिपोर्ट देनी अपेक्षित होती है वहाँ निर्धारण और संग्रहण दोनों में व्यक्तिगत अशुद्धियों का पता लगाना अनिवार्य होता है ताकि व्यवस्था की कमियों के बारे में लेखापरीक्षा कथनों को उजागर करना, व अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उनकी दक्षता पर टिप्पणी करना अनिवार्य होता है।

1.4 रिपोर्ट करने संबंधी मानक

लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रक्रिया लेखापरीक्षा किये गए किसी कार्यालय अथवा विभाग के अध्यक्ष को निरीक्षण रिपोर्ट इस अनुरोध के साथ प्रस्तुत करने से आरम्भ हो जाती है कि लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर उत्तर और स्पष्टीकरण / टिप्पणियां प्रस्तुत करें / प्राप्त उत्तरों / स्पष्टीकरणों की सत्यता और संगतता तथा निरीक्षण रिपोर्टों में टिप्पणियों की भौतिकता के आधार पर, इन्हें साई द्वारा संबंधित विधानमण्डल में रखे जाने वाली लेखापरीक्षा रिपोर्टों के लिए और संसाधित किया जाता है।

- प्रत्येक लेखापरीक्षा कार्य की सम्पूर्णता पर लेखापरीक्षक को लेखापरीक्षा आपत्तियां और निष्कर्षों के रखे हुए उपयुक्त फार्म में एक लिखित रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए। इसकी विषय – वस्तु समझने में सरल, स्पष्ट होनी चाहिए और पर्याप्त, सक्षम व संगत लेखापरीक्षा साक्ष्यों से समर्थित और स्वतंत्र, उद्देश्यपरक, उचित, सम्पूर्ण, सही, रचनात्मक और संक्षिप्त हो।
- वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संदर्भ में, लेखापरीक्षक को लेखापरीक्षा विवरण में लेखापरीक्षित अस्तित्व के वित्तीय स्थिति के न्यायोचित प्रस्तुतिकरण पर अपनी राय व्यक्त करते हुए रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए।
- लेखापरीक्षा अथवा लेखापरीक्षा द्वारा परीक्षण के दौरान पाये गए किसी कपटपूर्ण व्यवहार अथवा गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं के बारे में एक लिखित रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए। इस रिपोर्ट में लेखापरीक्षा का अधिकार क्षेत्र, मुख्य निष्कर्ष, निहित कुल राशी, छल अथवा अनियमितता की कार्यप्रणाली उसके लिए जवाबदेही व आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में सुधार के लिए सिफारिशें, छल निवारण और छल/ गम्भीर वित्तीय अनियमितता की पुनरावृत्ति के प्रति सुरक्षा उपायों आदि के बारे में उल्लेख होना चाहिए।
- निष्पादन लेखापरीक्षा / मौद्रिक – मूल्य लेखापरीक्षा के संदर्भ में, रिपोर्ट में लेखापरीक्षा के अधिकार क्षेत्र और विस्तार, लेखापरीक्षा का उद्देश्य, लेखापरीक्षा क्षेत्र, दक्षता के हवाले से मुख्य निष्कर्ष, किफायत और प्रभावकारिता (संघात सहित), क्षेत्र, जिसकी लेखापरीक्षा की गई का पक्ष (विषय- वस्तु) व आवश्यक सुधारों संबंधी सिफारिशें शामिल होनी चाहिए।

- नियमितता लेखापरीक्षाओं के संदर्भ में, लेखापरीक्षक लिखित रिपोर्ट तैयार करेगा जो या तो मौद्रिक मूल्य लेखापरीक्षा के वित्तीय विवरणों के एक भाग के रूप में होगी या प्रयोज्य नियमों और विनियमों के अनुपालन की जांच पर अलग से एक रिपोर्ट होगी, रिपोर्ट में जांचों के परिणामों का विवरण होना चाहिए जो परीक्षणों से प्राप्त आश्वासनों का स्वरूप यानी सकारात्मक अथवा नकारात्मक, को इंगित करेगा।
- लेखापरीक्षा रिपोर्टर नीचे दिए गए अनुसार होनी चाहिए :
 - **पूर्ण :** रिपोर्ट में लेखापरीक्षा उद्देश्यों की संतुष्टि के लिए आवश्यक सारी प्रासंगिक सूचना और रिपोर्टाधीन मामले की पर्याप्त और सही जानकारी होनी चाहिए। इसका यह अर्थ भी है कि उपयुक्त पृष्ठभूमि सूचना भी शामिल होनी चाहिए।
 - **यथार्थ :** प्रस्तुत साक्ष्य सही होने चाहिए और निष्कर्ष सही निरूपित किये जाने चाहिए। निष्कर्ष साक्ष्यों से समर्थित होने चाहिए। अधिकतर मामलों में कमी का मात्र एक उदाहरण एक व्यापक निष्कर्ष अथवा संगत सिफारिश के समर्थन में देना पर्याप्त नहीं होता। रिपोर्ट में वही सूचना, परिणाम और निष्कर्ष होने चाहिए जिनके समर्थन में लेखापरीक्षक के आधार – पत्रों में सक्षम व संगत साक्ष्य उपलब्ध हों। प्रस्तुत साक्ष्य में प्रस्तुत मामलों की सटीकता और उपयुक्तता प्रदर्शित होनी चाहिए। फिर भी, यथावश्यक को छोड़कर, विस्तृत समर्थनकारी डाटा को रिपोर्ट में शामिल करने की ज़रूरत नहीं होती।
 - **सही निरूपण :** रिपोर्ट को लेखापरीक्षा अधिकार क्षेत्र और वर्गीकरण प्रस्तुत निष्कर्षों निर्णयों का निरूपण सही व इस प्रकार करना चाहिए कि वह लेखापरीक्षा कार्य के अधिकार क्षेत्र के अनुरूप हो।
 - **उद्देश्य :** लेखापरीक्षा रिपोर्ट स्पष्ट होनी चाहिए न कि भ्रान्तिपूर्ण और लेखा परीक्षा परिणामों को उचित परिदृश्य में रखा जाना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि लेखापरीक्षा परिणामों को निष्पक्षता से रखे व बढ़ा – चढ़ा प्रस्तुत करने अथवा अपूर्ण निष्पादन को काफी बढ़ा – चढ़ा कर दर्शाने के प्रति रक्षक बने। निष्पादन में कमियों का वर्णन करते समय लेखापरीक्षक को लेखापरीक्षित अस्तित्व के

स्पष्टीकरण को प्रस्तुत करना चाहिए व विचलन की छुट – पुट घटनाओं को लेकर बड़े निष्कर्ष पर नहीं पहुँचना चाहिए। रिपोर्टों की शैली ऐसी होनी चाहिए कि निर्णायक लेखापरीक्षकों की संस्तुतियों और निष्कर्षों पर अनुवर्ती कार्रवाई करने को बढ़ावा मिलना चाहिए। यद्यपि निष्कर्ष स्पष्ट और निष्कपट होने चाहिए, लेखापरीक्षक को यह ध्यान में रखना चाहिए कि उद्देश्यों में से एक विश्वास उत्पन्न करना भी है और ऐसा रक्षात्मक और प्रतिपक्ष की भाषा से बचकर ही किया जा सकता है।

- **विश्वासोत्पादक :** लेखापरीक्षा परिणामों को विश्वसनीय ढंग से और निष्कर्षों और सिफारिशों को प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर तर्कपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। प्रस्तुत सूचना पाठकों के कायल करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए कि वह निष्कर्षों की वैधता और लेखापरीक्षा निष्कर्ष की उपयुक्तता को मान्यता दे।
- **स्पष्ट :** रिपोर्ट पढ़ने और समझने में सरल होनी चाहिए। गैर – तकनीकी भाषा का प्रयोग अनिवार्य है। जहाँ – कहीं तकनीकी शब्दों और अपरिचित संक्षिप्तियों आदि का प्रयोग होता है, उन्हें स्पष्ट करके समझाया जाना चाहिए। सामग्री का तार्किक संयोजन और तथ्य कथनों की सुस्पष्टता दोनों ही, निष्कर्षों तक पहुँचने में स्पष्टता व बौद्धिकता को महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।
- **संक्षिप्त :** रिपोर्ट लेखापरीक्षा मत और निष्कर्षों को संप्रेषित करने में आवश्यकता से अधिक लम्बी नहीं होनी चाहिए। अत्यधिक विवरण देने से लेखापरीक्षा विचार और निष्कर्ष दब जाते हैं व पाठकों का आकर्षण घट जाता है और वे भ्रमित हो जाते हैं।
- **रचनात्मक :** रिपोर्ट में सुविचारित सुझाव भी शामिल किये जाने चाहिए। मोटे तौर पर सुधार के लिए न कि उन्हें प्राप्त कैसे किया जाए। सुझाव देते समय, नियमों और आदेशों संचालन संबंधी नियंत्रणों और प्रचलित वातावरण की अपेक्षाओं का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।

- **समयोचित :** लेखापरीक्षा रिपोर्ट तुरंत उपलब्ध हो जानी चाहिए । समयोचित रिपोर्ट सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है विशेषकर लेखापरीक्षित संगठनों और / अथवा सरकार के लिए , जिन्होंने उस पर बांछित कार्रवाइयां करती है ।
- लेखापरीक्षको के आंतरिक नियंत्रणों में कमियों को उजागर करना चाहिए कि वे प्रतिवेद्य स्थितियां समझी जाएं । निम्नलिखित मामले प्रतिवेद्य स्थितियों के उदाहरण हैं :-
 - उपयुक्त नियंत्रण उद्देश्यों से संगत कर्तव्यों के उपयुक्त पृथक्करण की कमी ।
 - उपयुक्त समीक्षा और लेनदेनों का अनुमोदन, लेखांकन प्रविष्टियां अथवा सिस्टम आउटपुट की कमी ।
 - परिसम्पत्तियों की सुरक्षा के लिए अपर्याप्त व्यवस्था ।
 - हानि, क्षति अथवा दुरुपयोग से परिसम्पत्तियों की सुरक्षा में असफलता के साक्ष्य ।
 - नियंत्रण प्रक्रियाओं के गलत प्रयोग के कारण लेखापरीक्षिती के नियंत्रण उद्देश्यों के अनुरूप पूर्ण व सही उत्पादन प्रदान करने में व्यवस्था की असफलता के साक्ष्य ।
 - व्यवस्था के समग्र उद्देश्यों के विपरीत अधिकार प्राप्त व्यक्तियों द्वारा आंतरिक नियंत्रणों की जानबूझकर अवहेलना करने के साक्ष्य ।
 - उन कार्यों के निष्पादन में असफलता के साक्ष्य जो आंतरिक नियंत्रण के भाग हैं जैसे समाधान नहीं बनाया गया या समय पर नहीं बनाया गया ।
 - संगठन के भीतर नियंत्रण जागरूकता के पर्याप्त स्तर की कमी ।
 - आंतरिक नियंत्रण के डिज़ाइन अथवा संचालन में महत्वपूर्ण कमियों जिनसे नियमों और विनियमों का उल्लंघन हो सकता है जिनका वित्तीय विवरणों पर प्रत्यक्ष व भौतिक प्रभाव पड़ता है ।
 - आंतरिक नियंत्रण में पूर्व में पाई गई कमियों को ठीक करने में असफलता ।

1.5 लेखापरीक्षा अभिमत और रिपोर्ट का रूप और विषय – सूची

सभी लेखापरीक्षा अभिमतों और रिपोर्टों के रूप और विषय वस्तु निम्नलिखित सामान्य सिद्धांतों पर आधारित हैं :-

शीर्षक : अभिमत अथवा रिपोर्ट का उपयुक्त शीर्षक होना चाहिए ।

हस्ताक्षर व तारीख : अभिमत अथवा रिपोर्ट उचित रूप से हस्ताक्षरित होनी चाहिए ।

उद्देश्य व अधिकार क्षेत्र : अभिमत अथवा रिपोर्ट में लेखापरीक्षा के उद्देश्य और अधिकार क्षेत्र का संदर्भ शामिल किया जाना चाहिए । यह सूचना लेखापरीक्षा का प्रयोजन और सीमाओं का निर्धारण करती है ।

सम्पूर्णता : अभिमत जिस वित्तीय विवरण से संबंधित है उनके साथ संलग्न और प्रकाशित करने चाहिए जिससे वे संबंध रखते हैं किन्तु निष्पादन रिपोर्ट स्वतंत्र हो सकती है। लेखापरीक्षा अभिमत और रिपोर्ट लेखापरीक्षक ने जैसी तैयार की है वैसी ही प्रस्तुत की जानी चाहिए ।

प्रेषिती : अभिमत अथवा रिपोर्ट पर उनका पता होना चाहिए जिसको यह भेजी जा रही जैसा कि लेखापरीक्षा की बाध्यता की परिस्थितियों और स्थानीय विनियमों अथवा प्रथाओं द्वारा अपेक्षित है । जहां उसकी सुपुर्दगी की औपचारिक प्रक्रिया उपलब्ध हैं । वहाँ इसकी आवश्यकता नहीं है ।

विषय वस्तु की पहचान : अभिमत अथवा रिपोर्ट को वित्तीय विवरणों (नियमनिष्ठा (वित्तीय) लेखापरीक्षा के मामले में) अथवा क्षेत्र (निष्पादन लेखापरीक्षा के मामले में) जिससे ये संबंध रखते हैं, की पहचान करनी चाहिए । इसमें लेखापरीक्षित अस्तित्व का नाम, वित्तीय विवरणों द्वारा समावेशित की गई तारीख व अवधि और विषय वस्तु जिसकी लेखापरीक्षा की गई है जैसी सूचना शामिल होनी चाहिए ।

विधिक आधार : लेखापरीक्षा अभिमत और रिपोर्टों में कानून अथवा अन्य प्राधिकारों का उल्लेख करना चाहिए जिसमें लेखापरीक्षा के लिए प्रावधान किया गया है ।

मानकों का अनुपालन : लेखापरीक्षा अभिमतों और रिपोर्टों में लेखापरीक्षा मानकों अथवा प्रथाओं का उल्लेख करना चाहिए जिनका लेखापरीक्षा के लिए अनुपालन किया जायेगा । इस प्रकार, पाठकों को एक आश्वासन देता है कि लेखापरीक्षा सामान्यतः स्वीकृत प्रक्रियाओं के अनुसार की गई है ।

समयनिष्ठा : लेखापरीक्षा अभिमत अथवा रिपोर्ट पाठकों और प्रयोक्ताओं के लिए विशेषकर उनके लिए जिन्हें उस पर आवश्यक कार्रवाई करनी होती है, तुरंत उपलब्ध करानी चाहिए ।

प्रतिकूल अभिमत : जहाँ लेखापरीक्षक असहमति के कारण वित्तीय विवरणों पर कुल मिलाकर कोई अभिमत बनाने में अक्षम रहता है, वह इतना मूलतत्त्व है कि वह प्रस्तुत स्थिति का उस हद तक कमज़ोर कर देता है कि एक अर्हक अभिमत को भी अपर्याप्त कर देगा, वहाँ प्रतिकूल अभिमत दिया जाता है । इस प्रकार के अभिमत की भाषा यह स्पष्ट कर देती है कि वित्तीय विवरण ठीक ढंग से नहीं रखा गया है । स्पष्ट और संक्षिप्त ढंग से

असहमति के सभी मामलों का उल्लेख कर देना चाहिए। इसके अलावा जहाँ संगत और व्यावहारिक यह सहायक होगा कि वित्तीय विवरणों पर वित्तीय प्रभाव परिणाम निर्धारित करें।

अभिमतों का परित्याग : जहाँ लेखापरीक्षक किसी अनिश्चित अथवा अधिकार क्षेत्र के प्रतिबंधों के कारण वित्तीय विवरणों पर कुल मिलकर, किसी अभिमत पर पहुँचने में असमर्थ रहता है जो कि इतना मूलतत्त्व है कि एक अभिमत जो कुछेक संदर्भों में अर्हक हैं, किंतु पर्याप्त नहीं है, एक परित्याग दिया जाता है। ऐसे परित्याग की भाषा यह स्पष्ट करती है कि अनिश्चितता के सभी मामलों में स्पष्ट व संक्षिप्त रूप से अभिमत नहीं दिया जा सकता।

नियमनिष्ठा लेखापरीक्षा अक्सर अपेक्षा करता है कि रिपोर्ट नहीं की जाए जहाँ वित्तीय नियंत्रण अथवा लेखांकन व्यवस्था (निष्पादन लेखापरीक्षा से भिन्न पहलू) में कमियाँ मौजूद हों। ऐसा न केवल वहाँ घटित होता है जहाँ कमियाँ लेखापरीक्षित अस्तित्व की अपनी प्रक्रियाएँ प्रभावित होती हैं बल्कि वहाँ भी होता है जहाँ ये अन्यो के कार्यकलापों पर नियंत्रण से भी संबंधित हो। लेखापरीक्षक को महत्वपूर्ण अनियमितताओं पर, चाहे वे अनुभव की जाए या संभाव्य हों, विनियमों के अनुप्रयोगों में असंगति अथवा छल कपट और भ्रष्ट व्यवहारों पर भी रिपोर्ट देनी चाहिए। अपालन की सीमा को परीक्षण किए गए मामलों की संख्या से अथवा वित्तीय परिमाण से संबंधित की जा सकती है। अनियमितताओं पर रिपोर्ट लेखापरीक्षक के अभिमत की अर्हता के बावजूद भी तैयार की जानी चाहिए। अपनी प्रकृति के अनुसार वे महत्वपूर्ण आलोचना को सीमित करने की प्रवृत्ति रखते हैं, किन्तु रचनात्मक होने के उद्देश्य से उन्हें लेखापरीक्षित अस्तित्व के अथवा लेखापरीक्षित अस्तित्व के अथवा लेखापरीक्षक के कथनों को, निष्कर्षों व संस्तुतियों सहित, समाविष्ट करते हुए भावी उपचारात्मक कार्रवाईयों का उल्लेख भी करना चाहिए।

निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट में लेखापरीक्षा के उद्देश्यों व अधिकार क्षेत्र का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। रिपोर्ट में आलोचना (अर्थात् जहाँ लोक हित में अथवा सार्वजनिक जवाबदेही के आधार पर गम्भीर अपव्यय, फिजूलखर्ची अथवा अक्षमता की ओर ध्यानाकर्षित करना होता है) अथवा महत्वपूर्ण आलोचना नहीं भी की जा सकती परन्तु स्वतंत्र रूप से सूचना, सलाह अथवा आश्वासन दिया जा सकता है कि क्या और किस सीमा तक किफायत, क्षमता और प्रभावकारिता हो रही है अथवा प्राप्त कर ली गई है।

सामान्यतः लेखापरीक्षक से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वह कि जो लेखापरीक्षित अस्तित्व द्वारा किफायत, दक्षता और प्रभावकारिता की उपलब्धियों पर उसी तरह से अपना समग्र अभिमत प्रकट करे जैसे कि वह वित्तीय विवरणों पर व्यक्त करता है। जहाँ लेखा परीक्षा की प्रकृति में अस्तित्व के कार्यकलापों के विशिष्ट क्षेत्रों के

संदर्भ में ऐसा करना होता है वहाँ लेखापरीक्षक को एक रिपोर्ट देनी चाहिए, जिसमें वह उस परिस्थितियों का वर्णन करेगा जिनके आधार पर वह विशिष्ट निष्कर्ष पर

पहुँचा है न कि मानकीकृत विवरण देगा। जहाँ लेखापरीक्षा इस सीमा तक बंधी रहती है कि क्या किफायत, दक्षता अथवा कारगरता प्राप्त करने के पर्याप्त नियंत्रण विद्यमान हैं। वहाँ लेखापरीक्षक एक अधिक सामान्य अभिमत रख सकता है।

लेखापरीक्षकों को यह मानना चाहिए कि उनके निर्णय प्रबंधन के पूर्व में लिये गए निर्णयों पर आधारित हैं। अतः ऐसे निर्णय व्यक्त करने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए और रिपोर्ट में यह व्यक्त करना चाहिए कि निर्णय लेते समय लेखापरीक्षित अस्तित्व को उपलब्ध सूचना की प्रकृति व सीमा (अथवा उपलब्ध होनी चाहिए थी) को व्यक्त करना चाहिए। लेखापरीक्षा के अधिकार क्षेत्र, उद्देश्यों और निष्कर्षों का स्पष्ट उल्लेख करके, रिपोर्ट पाठक को यह दर्शाती है कि लेखापरीक्षक निष्पक्ष रहा है। निष्पक्षता का यह भी अर्थ है कि कमज़ोरियों अथवा विवेचित निष्कर्षों का प्रस्तुतिकरण इस प्रकार किया जाये कि उससे सुधार को बढ़ावा मिले व लेखापरीक्षा अस्तित्व के भीतर व्यवस्था सुधार और मार्गदर्शन मिले। तदनुसार, तथ्यों सामान्यतः लेखापरीक्षित अस्तित्व के साथ स्वीकृत किये जाएं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे सम्पूर्ण, सही और निष्पक्ष तरीके से लेखापरीक्षा रिपोर्ट में रखे गए हैं। लेखापरीक्षित अस्तित्व के साथ उठाये गए मुद्दों के उत्तरों को मौखिक अथवा संक्षेप में, विशेषकर वहाँ जहाँ लेखापरीक्षक अपने स्वयं के विचार अथवा सिफारिशें प्रस्तुत कर रहा हो, शामिल करनेकी आवश्यकता भी होती है।

निष्पादन रिपोर्ट को पूर्व में किये गए कृत्यों की आलोचना मात्र तक सिमट कर नहीं रह जाना चाहिए बल्कि इसे रचनात्मक होना चाहिए।

अध्याय - II

भूमिका व संगठनात्मक ढांचा

कृषि आयकर शीर्ष के अंतर्गत प्राप्तियों की लेखापरीक्षा, महानियंत्रक और महालेखापरीक्षक डी पी सी अधिनियम, 1971 की धारा 16 के उपबंधों के अनुसरण में, की जाती है। इस नियम पुस्तक में लेखापरीक्षा की दृष्टि से कृषि आयकर अधिनियम 1991 और नियमों का व्यापक खाका प्रस्तुत किया गया है।

प्राप्तियों की लेखापरीक्षा में अक्सर संगत संविधियों, नियमों, अधिसूचनाओं और विषय से संबंधित आदेशों की व्याख्या निहित रहती है। कानून की व्याख्या में निम्नलिखित मुद्दों को ध्यान में रखना पड़ता है। जब किसी विशेष पारिभाषिक शब्द की अधिनियम में परिभाषा दी जाती है तो उस परिभाषा का अनुसरण करना होता है। ऐसी किसी परिभाषा के अभाव में, अधिनियम में परिभाषाओं, यदि हो, जो परिमाण होती है, उनका अनुपालन किया जा सकता है। यदि पारिभाषिक शब्दों की अधिनियम में कोई परिभाषा नहीं दी गई है, जो परिमाण है, तो केरल सामान्य खण्ड अधिनियम में दी गई परिभाषाओं को दिशानिर्देश के रूप में लिया जाना चाहिए। सामान्य खण्ड में भी परिभाषाएं नहीं दी गई हैं तो पारिभाषिक शब्द का शब्दकोश में दिया गया अर्थ लिया जा सकता है।

यदि किसी विशेष धारा में दो या अधिक व्याख्या दी गई है, तो अधिनियम की अन्य धाराओं से संगत व्याख्या को लिया जा सकता है। यदि किसी धारा का संदेहास्पद अथवा अस्पष्ट अर्थ निकलता है तो इसे कर दाता के पक्ष में समाधान करना चाहिए।

‘कृषि आय पर कर’ एक राज्य का विषय है। यह संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II में प्रविष्टि संख्या 46 के रूप में जोड़ा गया है। परिणामस्वरूप, “कृषि आयकर अधिनियम 1950” केरल विधानसभा द्वारा पारित किया गया जो 01.04.1951 से लागू है। 1986 में केरल सरकार ने प्रक्रियाओं को सरल बनाने व कृषि आयकर कानून को पुनर्रचित करने के लिए एक समिति का गठन किया गया ताकि राजस्व बढ़ाने के लिए बचाव के रास्ते बंद किये जा सकें व कृषकों की कठिनाइयों को दूर किया जा सके। समिति की सिफारिशों के आधार पर कृषि आयकर अधिनियम 1950 को निरस्त कर 1.4.1991 से कृषि आयकर अधिनियम 1991 लागू हो गया।

अधिनियम, किसी भी वित्तीय वर्ष की पहली अप्रैल को जैसा है, उस वर्ष के निर्धारणों के लिए लागू होगा। उस वर्ष की 1 अप्रैल के बाद से लागू संशोधन उस वर्ष के निर्धारणों के लिए लागू नहीं होंगे, चाहे निर्धारण उस संशोधन के लागू होने के बाद ही

क्यों न किया जा रहा हो – करीमथारनूर टी इस्टेट बनाम केरल राज्य ए आई आर 1966 एस सी 1385; 1966 के एल टी 488(1966) से आई टी आर 262.

विभागीय ढांचा

विभाग के अध्यक्ष कृषि आयकर आयुक्त हैं। तीन उपायुक्त हैं जिनका अधिकार क्षेत्र पूरा केरल राज्य है। इनका मुख्यालय तिरुवनंतपुरम और एर्नाकुलम है। इन्हें लेखापरीक्षा व निरीक्षण, आसूचना व विधि के कार्य सौंपे गए हैं। 16 और उपायुक्त हैं जिन्हें 31.3.1991 की एस आर ओ संख्या 466/91 के साथ संलग्न अनुसूची के अनुसार निर्धारित राजस्व जिलों का प्रभार दिया गया है। उपायुक्त (आसूचना) का राज्यवार अधिकार क्षेत्र है। उनकी सहायता के लिए निरीक्षण सहायक आयुक्त (आसूचना) और निरीक्षण सहायक आयुक्त(लेखापरीक्षा) होते हैं। प्रत्येक कार्यालय में फाइलें निरीक्षण सहायक आयुक्त (आसूचना) के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कार्य कर रहे आंतरिक लेखापरीक्षा दल द्वारा जांची जाती हैं। लेखापरीक्षा दल द्वारा किये गए कार्य की समीक्षा प्रत्येक माह उपायुक्त (आसूचना) द्वारा की जाती है।

सहायक आयुक्त, कृषि आयकर की दो श्रेणियाँ हैं नामतः कृषि आयकर सहायक आयुक्त (निरीक्षण) और कृषि आयकर सहायक आयुक्त(अपील) हैं जिन्हें क्रमशः मूल व अपील अधिकार क्षेत्र मिले हुए हैं। 1 अप्रैल 2005 से सहायक आयुक्त (अपील) के पदों को समाप्त कर दिया गया है और उनका काम उपायुक्त(अपील) को सौंप दिया गया है। सहायक आयुक्त (निरीक्षण) एक लाख रुपये से ऊपर के कृषि आयकर के लिए निर्धारण प्राधिकारी हैं। इस सीमा से नीचे के आयकर का निर्धारण कृषि आयकर अधिकारियों की सारी शक्तियों का प्रयोग किसी भी आई ए सी, डी सी अथवा आयुक्त द्वारा भी किया जा सकता है। ऐसे वरिष्ठ अधिकारियों के किसी कृत्य अथवा कार्यवाहियों को इस आधार पर अनुचित नहीं ठहराया जा सकता कि इस शक्तियों का प्रयोग केवल उस कृषि आयकर अधिकारी द्वारा ही किया जा सकता है जिसके अधिकार क्षेत्र में वह क्षेत्र आता है।

अध्याय - III
मूल संकल्पनाएं

“कृषि आय” से अर्थ ---

क. कृषि प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त भूमि से प्राप्त लगान अथवा राजस्व,

ख. निम्नलिखित द्वारा ऐसी भूमि से प्राप्त आय ।

(i). कृषि अथवा

(ii). कृषक द्वारा जोत कर अथवा वस्तु रूप में लगान प्राप्तकर्ता फसल को बाज़ार ले जाने के लिए उपयुक्त बनाये; अथवा

(iii). ऊपर (ख) (iii) में वर्णित प्रक्रिया के अतिरिक्त असंसाधित फसल की ऐसे व्यक्ति द्वारा बिक्री करके

ग. ऊपर ख (ii) और (iii) में उल्लिखित कृषक अथवा वस्तु रूप में लगान प्राप्तकर्ता द्वारा मालिकाना भवन से और / अथवा संचालनों से प्राप्त आय [धारा 2(1)]

‘निर्धारिती’ से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जिसके द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत कोई कर अथवा कोई और राशि अदा की जाती है [धारा 2(7)]

“व्यक्ति” से अर्थ कोई व्यक्ति, सम्मिलित अभिधारी, अथवा व्यष्टियों का संगम, सम्पत्ति के स्वामी अधिकारी, कब्ज़ाधारक अथवा धृति अपने लिए या किसी के लिए या अंशतः अपने स्वयं के लाभ के लिए और अंशतः अन्यो के लिए, मालिक, कब्ज़ाधारक, न्यासी, प्रापक, एक ही प्रबंधक, प्रशासक अथवा निष्पादक अथवा किसी भी क्षमता में और जिसमें फर्म अथवा कम्पनी, व्यष्टियों का संगम चाहे निगमित हो या ना और कोई भी सम्पत्ति धारण करने योग्य संस्थान निहित है । [धारा 2 (20)]

“सम्मिलित अभिधारी” से अर्थ दो या दो से अधिक व्यक्ति संयुक्त रूप से सम्पत्ति का मालिकाना अधिकार रखते हैं अथवा प्रबंध देखते हैं और उसमें उनकी समान या असमान हिस्सेदारी हो, उसी नाम से या भिन्न नाम अथवा निर्वसीयत उत्तराधिकार द्वारा प्राप्त हो [धारा 2 (25)]

“निर्धारण वर्ष” से अर्थ प्रत्येक वर्ष अप्रैल के पहले दिन से आरम्भ होकर बारह महीने की अवधि । [धारा 2 (9)]

“पूर्ववर्ती वर्ष” से अभिप्राय निर्धारण वर्ष के ठीक पूर्व का वित्तीय वर्ष । [धारा 2(22)]
इसका अर्थ यह है कि वह वित्त वर्ष जिसके दौरान कर अर्जन के लिए आय का निर्धारण किया गया है ।

“कुल कृषि आय” किसी व्यक्ति द्वारा पिछले वर्ष में सारी कृषि आय राज्य में स्थित भूमि से प्राप्त की गई हो और उसके द्वारा राज्य के भीतर अथवा बाहर से प्राप्त की गई हैं, सिवाय

- क. राज्य के बाहर स्थित भूमि से प्राप्त कृषि आय ;
 - ख. धान, कसावा, केला, अदरक, रागी, दाले, तिल, शाक , शकरकंदी, कन्द, गन्ना, जैक, आम, अनन्नास, आर्किड, अथवा अन्य फूल, वनिला, हल्दी और अमरूद को पैदावार से प्राप्त कृषि आय,
 - ग. आय का वह हिस्सा जिस पर कर दे दिया गया हो,
2. निम्नलिखित आय कृषि आय समझी जायेगी:
- i. पूल नीलामी के लिए किसी भी वर्ष में सुपूर्द की गई काफी के लिए ‘काफी बोर्ड’ से प्राप्त राशि;
 - ii. किसी पूर्व निर्धारण वर्ष में हानि, व्यय अथवा देयताओं की कटौती के संबंध में प्राप्त राशि की वापसी ।
 - iii. किसी पूर्व वर्ष बहे खाते में डाली गई राशि की प्राप्ति ।

[धारा 4 (1) व (2)]

मात्र इस कारण कि बागानों की फसल पूर्ववर्ती के वर्षों में प्राप्त हुई थी, निर्धारिती द्वारा उस फसल को लेखा वर्ष में बेच कर प्राप्त आय अधिनियम के अंतर्गत उस वर्ष में कर से छूट प्राप्त नहीं है । (राजालिंगा राजा बनाए मद्रास राज्य 63 आई टी आर 617 एस सी)

निर्धारिती के चाय बागान के हरे पत्तों को बनाने वाले भाग को ओला –वृष्टि से क्षति के लिए बीमा कम्पनी से प्राप्त राशि उग रही फसल को ओला-वृष्टि से हुई क्षति के संबंध में बीमा कम्पनी द्वारा अदा की गई राशि ही थी और इसलिए यह कृषि आय होती है । [आयकर आयुक्त बनाम बी गुप्ता टी प्राइवेट लिमिटेड. 74 आई टी आर 337] ।

किसी व्यक्ति द्वारा खड़ के वृक्षों पर विध्वंसक स्त्राव द्वारा प्राप्त खड़ बेचकर आय प्राप्त की और उसने उन पेड़ों को काट कर हटाने के लिए खरीदा था अतः यह कृषि

आय की परिभाषा में नहीं आती [सी पी ए यूसफ बनाम आयकर अधिकारी, कोर्टम आई टी आर 237 – केरल]

स्वयं मालिक द्वारा रबड़ वृक्षों के विध्वंस स्त्राव (सलाटर टैपिंग) द्वारा प्राप्त रबड़ को बेचकर प्राप्त राशि कृषि आय है। फिर भी सलाटर टैपिंग और वृक्षों को हटाने के लिए एक करार के अंतर्गत निर्धारिती द्वारा प्राप्त राशि को दो भागों में बांटना पड़ेगा। वह भाग जो लेटैक्स से संबंधित है वह कर योग्य है। [तिरुवंबाडी रबड़ कंपनी बनाम कृषि आयकर आयुक्त (1977) 110 आई टी आर 639, 1973 के एल टी 590]

अध्याय – IV

कृषि आयकर की संगणना

कृषि आयकर का प्रभार

प्रत्येक व्यक्ति की पिछले वर्ष की कुल कृषि आय पर अधिनियम के अनुसार और उनके प्रावधानों के अधीन प्रत्येक निर्धारण वर्ष के लिए अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित दर या दरों पर कर प्रभार लिया जाना चाहिए।

बशर्ते कि किसी कम्पनी अथवा फर्म को छोड़कर किसी व्यक्ति द्वारा कोई कर नहीं देना होगा जहां भू-सम्पत्ति, की कुल सीमा, अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत जिससे कृषि आय का निर्धारण उसके हाथ में पहुँचता है, 5 हैक्टेयर से अधिक नहीं होती। [धारा 3]

अनुसूची (01.04.1995 से 31.03.2005 तक)

1. कम्पनी, सहकारी सोसाइटियों को छोड़कर व्यक्ति के मामले में

क	जहाँ कुल कृषि आय रु. 40,000/- से अधिक न हो	शून्य
ख	जहाँ कुल कृषि आय रु. 40,000/- से अधिक किन्तु रु. 50,000/- से कम हो	उस राशि का 20% जो कृषि आय रु. 40,000/- से अधिक हो।
ग	जहाँ कुल कृषि आय रु. 50,000/- से अधिक किन्तु रु. 60,000/- से कम हो।	रु. 2,000/- जमा रु 50,000/- से अधिक की कुल कृषि आय का 30%
घ	जहाँ कुल कृषि आय रु. 60,000/- से अधिक परन्तु रु. 1,00,000/- से कम हो।	रु. 5,000/- जमा रु. 60,000/- से अधिक कृषि आय का 40%
ड	जहाँ कुल कृषि आय रु. 1,00,000/- से अधिक हो।	रु. 21,000 रु. जमा 1,00,000/- से अधिक की कृषि आय का 50%

- क. फर्म के मामले में कुल कृषि आय का 40%
- घरेलू कम्पनी अथवा सहकारी सोसाइटी के मामले में

क.	जहाँ कुल कृषि आय रु. 25,000/- से अधिक न हो	कुल कृषि आय का 45%
ख.	जहाँ कृषि आय रु. 25,001/- और रु. 1,00,000/- के बीच हो	कुल कृषि आय का 50%
ग.	जहाँ कृषि आय रु. 1,00,001/- और 3,00,000/- के बीच हो	कुल कृषि आय का 55%
घ.	जहाँ कुल कृषि आय रु. 3,00,001/- और	कुल कृषि आय का 60%

	10,00,000/- के बीच हो	
ड. (1)	जहाँ कुल कृषि आय रु. 10,00,000/- से अधिक हो (1.4.95 से 31.3.98)	कुल कृषि आय का 65%
(2)	जहाँ कुल कृषि आय रु. 10,00,000/- से अधिक हो (1.4.98 से 31.3.05)	कुल कृषि आय का 60%

3. विदेशी कम्पनियों के मामले में कुल कृषि आय का 85% ।

अनुसूची (01.04.2005 से प्रभावी)

कम्पनी, सहकारी सोसाइटी को छोड़कर व्यक्ति के मामले में :

क.	जहाँ कुल कृषि आय रु. 40,000/- से अधिक न हो	शून्य
ख.	जहाँ कुल कृषि आय रु. 40,000/- से अधिक व रु. 60,000/- से अधिक न हो	रु. 40,000/- से ऊपर की कृषि आय का 10%
ग.	जहाँ कुल कृषि आय रु. 60,000/- से अधिक किन्तु 1,00,000/- से कम हो	रु. 2,000/- जमा रु. 60,000/- से अधिक की कृषि आय का 20%
घ.	जहाँ कुल कृषि आय रु. 1,00,000/- से अधिक हो	रु. 10,000/- से अधिक की कृषि आय का 30%

2. फार्मों के मामले में कुल कृषि आय का 35%

3. घरेलू कम्पनी अथवा सहकारी सोसाइटी के मामले में

क.	जहाँ कुल कृषि आय रु. 25,000/- से अधिक न हो	कुल कृषि आय का 35%
ख.	जहाँ कुल कृषि आय रु. 25,001/- और रु. 1,00,000/- के बीच	कुल कृषि आय का 40%
ग.	रु. 1,00,001 से रु. 3,00,000/- के बीच की कृषि आय	कुल कृषि आय का 45%
घ.	जहाँ कुल कृषि आय रु. 3,00,001/- से अधिक हो	कुल कृषि आय का 50%

3. विदेशी कम्पनियों के मामले में: कुल कृषि आय का 80%

2. कृषि आय की संगणना

किसी व्यक्ति की कृषि आय की संगणना निम्नलिखित कटौतियां करने के बाद की जाएगी।

- (क) (i) मालगुजारी (भू राजस्व) अथवा इसके स्थान पर किसी और कर के रूप में अदा की गई राशि;
- (ii) भूमि के संबंध में स्थानीय दरें व उपकर और नगर पालिका कर आदि ;
- (ख) भूमि का लगान अदा किया गया ;
- (ग) खरीदी गई किसी पूंजीगत परिसम्पत्ति की मरम्मत पर अथवा भूमि के लाभ के लिए किये गए निर्माण पर व्यय ।
- (घ) किसी सिंचाई के अनुरक्षण अथवा संरक्षण कार्य का भूमि के लाभ के लिए निर्माण पर किया गया व्यय;
- (ङ) भूमि के लाभ के लिए उधार ली गई राशि और किसी पूंजीगत व्यय पर वास्तव में खर्च की गई राशि पर ब्याज; जब अदत्त ब्याज पूंजीगत हो जाता है, यह ब्याज अदायगी की राशि नहीं होगी । इसलिए, निर्धारिती धारा 5 (ङ) व (च) के अंतर्गत छूट का अर्हक नहीं है – सुलेमान राठर बनाम केरल राज्य 1996 के एल जे (कर मामले) ।
- (च) कोई ऋण, सुरक्षित अथवा असुरक्षित, जो भू-अर्जन के लिये लिया गया हो, उस पर अदा ब्याज की राशि ;
- (छ) भूमि पर खर्च किये जाने हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज की राशि ;
- (ज) भूमि-उद्धार, सुधार अथवा सम्पत्ति पर खेती करने के लिए वास्तव में खर्च के लिए प्राप्त उधार की राशि पर ब्याज;
- (झ) कृषि आय प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों की सेवाओं के लिए दिये गए बोनस अथवा कमीशन, बशर्ते कि इस प्रकार प्रदत्त राशि निम्नलिखित के हवाले से उचित हो :
 - (i) कर्मचारी का वेतन और उसकी सेवा शर्तें;
 - (ii) पिछले वर्ष का लाभ; और
 - (iii) इसी प्रकार के मामलों में प्रचलित सामान्य प्रथाएं;
- (ञ) डूबा ऋण बही खाते में डालना ;
- (ट) किसी कर्मचारी को किया गया उपदान घटाये उस कर्मचारी को पिछले किसी वर्ष में दिया गया उपदान; जब उपदान का भुगतान करने के विनिमय अथवा नियंत्रण की व्यवस्था न

हो तो केवल बीमांकिक आधार को समझा जा सकता है। कलपट्टा इस्टेट लि. बनाम केरल सरकार, 1995 के एल जे (कर मामला) 367 ।

धारा 5 का स्पष्टीकरण 2 बोनस और उपदान के मामले में केवल वास्तविक भुगतान स्वीकार्य होते हैं। लेखांकन विधि का ध्यान किये बिना व्यवस्था स्वीकार्य नहीं है। रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए देय तारीख से पहले प्रदत्त उपदान और बोनस कटौती के रूप में स्वीकार्य होगा।

किसी कर्मचारी को प्रदत्त पेंशन स्वीकार्य कटौती है। यद्यपि पेंशन सेवानिवृत्ति के बाद अदा की जाती है, किन्तु सेवा के बदले दी जाती और इसलिए ऐसा व्यय व्यवसायिक औचित्य के लिए किया जाता है, और इस प्रकार, यह कहा जा सकेगा कि इसे कृषि आय प्राप्त करने के लिए रखा गया या व्यय किया गया होगा। त्रावणकोर रबड़ एण्ड टी कम्पनी लि. बनाम केरल सरकार, 1999(1) के एल टी 63 ।

शेयर बाज़ार को अदा किया गया सूचीबद्धता शुल्क एक स्वीकार्य व्यय नहीं है। त्रावणकोर रबड़ व टी कम्पनी लि. बनाम केरल सरकार 1999 (1) के एल टी 63 ।

(ठ) भूमि से कृषि आय प्राप्त करने के प्रयोजन से किया गया व्यय, पूंजीगत प्रकृति का अथवा व्यक्तिगत कर नहीं, कम्पनी के संगम-अनुच्छेद में संशोधन के लिए किया गया व्यय एक राजस्व व्यय है। अतः यह एक स्वीकार्य कटौती है। कृषि आयुक्त आई टी ओ बनाम सी एम ई एण्ड इण्डिया लि. 1994 (1) के आई टी .727;

कृषि उत्पादों की बिक्री पर लगाये गए बिक्री कर के सम्बन्ध में बिक्री कर अपीलों अथवा पुनरीक्षण अपीलों पर किया गया व्यय उनसे संबंधित प्रदत्त व्यवसायिक शुल्क अनुज्ञेय कटौतियाँ हैं – कृषि आयुक्त आई टी ओ बनाम सी एम ई एण्ड इंडिया लि. 1994(1) के एल टी 727 ।

आय की रिटर्न बनवाने के लिए लेखापरीक्षकों को अदा किया गए प्रभार अनुज्ञेय व्यय है। सिवाकंथाप्पा बनाम ए.आई.टी आयुक्त 1994 (1) के एल टी 217.

किसी निर्धारिती द्वारा रखी गई वाटिका पूंजीगत परिसंपत्ति है और कि वाटिका पौधों की बिक्री से प्राप्त आय को कृषि आय के रूप में नहीं समझा जा सकता (135 आई टी आर 536)

(ड) पुनःरोपन, भत्ता सहित ऐसी अन्य कटौतियां, निर्धारित सीमाओं, शर्तों अथवा प्रतिबंधनों के अधीन।

केरल आई टी नियमावली, 1991 के नियम 3(i) के अनुसार पुनःरोपन भत्ता वास्तविक व्यय तक सीमित होता है और प्रितवर्ष नीचे दिखाई फसलों की कुल कृषि आय के उनके सामने दिखाए गए प्रतिशत से अधिक नहीं होगा :

रबड़	2.5
नारियल	1.5
सुपारी	2.5
काली मिर्च	1.00
कॉफी	7.5
इलायची को छोड़कर अन्य बारहमासी फसलें	1.5

स्लाटर टैपिंग और वृक्षों को हटाने के करार के अंतर्गत राशि को दो भागों में बांटना होगा और वह भाग जो लेटैक्स का है उस पर कर लगेगा । (तिरुवम्बाडी रबड़ कं. बनाम कृषि आयकर आयुक्त (1997) 110 आई टी आर 639)

पुराने फसल न दे रहे रबड़ के वृक्षों को उस निर्धारिती द्वारा काटकर बिक्री करने से प्राप्त आय, लेटैक्स के रूप में आय प्राप्त करने हेतु रबड़ सम्पदा का अनुरक्षण करता है, पूंजी प्राप्ति मानी गई न कि कृषि आय (कृषि आयकर आयुक्त केरल बनाम क्विलोन रबड़ एण्ड कं लि. 60 आई टी आर 435)

पारिभाषिक शब्द कृषि में भूमि के सभी उत्पाद, जिनकी कुछ उपयोगिता है चाहे वह उपभोग के लिए हो अथवा व्यापार और वाणिज्य के लिए हों, शामिल है । इसमें टिम्बर, होरा नट आदि सहित वन उत्पाद भी शामिल होंगे । (आयकर आयुक्त बनाम राजा बेंसी कुमार बहास राय(1957) 32 आई टी आर 466 सर्वोच्च न्यायालय)

ताड़ी स्त्राव से प्राप्त आय कृषक के हाथ में आय समान है । लीज़ डीड के अनुसार कोई व्यक्ति अपने नाम में अकेले वृक्ष रखता है व भूमि का पट्टेदार नहीं है । वह केवल एक लाइसेंसी है । (आयकर आयुक्त बनाम यागप्पा नाडार(1927) आई एल आर 50 मद्रास 923)

कृषि भूमि से सर्वाधिकार छोड़ने की एवज में प्राप्त वार्षिक भुगतान न तो किराया है और न ही कृषि भूमि से प्राप्त राजस्व है । (राजा मुस्तफा अलीखान बनाम आयकर आयुक्त (1945)13 आई टी आर 98)

किसी निर्धारिती द्वारा अपनी भूमि में पैदा किए गए कृषि उत्पाद को उसने अपने व्यापार के लिए प्रयोग किया किन्तु उसे बाज़ार में या अन्यथा नहीं बेचा, वह कृषि आय समझी जायेगी (डूअर्स टी कम्पनी लि. बनाम आयकर आयुक्त, प.बंगाल (1962) 44 आई टी आर 6- एस सी)

जब किसी व्यक्ति ने पिछले वर्ष के दौरान पुनः रोपण के लिए कोई व्यय नहीं किया और कटौती ऊपर दिखाई गई प्रतिशत से अधिक नहीं थी, उसे अनुज्ञा दे दी जायेगी बशर्ते कि उसने राशि अपने खाते में राजकोष में जमा करायी हो और इस प्रकार जमा करायी गई राशि को आहरण को पूर्णतः पुनःरोपण अथवा नए रोपण में व्यय किया जिससे प्राप्त फसल पर कर लगेगा [नियम 3(2)]

इलायची के संदर्भ में पिछले वर्ष के दौरान पुनः रोपण के लिए वास्तविक व्यय किन्तु ऐसी फसल से कुल रोपित क्षेत्र के 8.33% से अधिक नहीं हो और बशर्ते कि स्पाइसेज़ बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित व्यय की और सीमा तक सीमित होंगे तो किसी भी वर्ष में अनुज्ञेय होंगे। जब किसी वर्ष में रोपित क्षेत्र उक्त वर्णित प्रतिशत से अधिक है तो अतिरिक्त व्यय को अगले पांच वर्षों में पुनः रोपण के लिए स्वीकार्य भत्ते के प्रति इन वर्षों में समायोजन के लिए अग्रणीत किया जा सकेगा जैसे कि पुनः रोपण से इन वर्षों पर प्रभाव पड़ा हो। [नियम 3(3)]

- (ढ) यदि कोई कृषि आय उस भूमि से प्राप्त लगान अथवा राजस्व है जिसे कृषि के लिए प्रयोग में लाया गया है तब कृषि आय प्राप्त करने के लिए किया गया कोई व्यय और लगान की वसूली में प्रयुक्त किसी पूंजीगत परिसम्पत्ति की मरम्मत पर हुआ व्यय ; माना जायेगा।
- (ण) भूमि से कृषि द्वारा प्राप्त आय के मामले में, कोई प्रक्रिया उस उत्पाद को बाज़ार ले जाने योग्य बनाती है अथवा ऐसे असंसाधित उत्पाद की बिक्री से ;
- (i) फसल की जुताई के लिए और फसल को बाज़ार ले जाने के लिए परिवहन व ऐसी जुताई अथवा परिवहन के लिए अपेक्षित कृषि उपकरण और पशुओं के रखरखाव के व्यय सहित पूंजीगत व्यय को छोड़कर कोई अन्य व्यय ;
- (ii) उस फसल की जुताई अथवा बिक्री पर जिससे आय होती है, कोई कर, उपकर अथवा दर का भुगतान;
- (iii) ऐसे पशु अथवा उपकरणों की खरीद अथवा बदलने पर आई लागत, उसमें से पशुओं अथवा परिवर्तित उपकरणों की बिक्री से प्राप्त आय अथवा अनुमानित लागत को हटायें ;
- (iv) निम्नलिखित के लिए प्रदत्त राशि :

- (1) फसलें अथवा सम्पत्ति जिससे आय प्राप्त होती है। कृषि आय प्राप्त करने के लिए प्रयोग में लाये जा रहे भवन, मशीनरी, संयंत्र और फर्नीचर को हानि अथवा क्षति के प्रति बीमा ;
- (2) कृषि आय प्राप्त करने के प्रयोजन से आपातकाल जोखिम बीमा, कर्मकार प्रतिकार बीमा, पारगमन राशि बीमा, संदूक में नकदी बीमा, लाभ की परिणामी हानि बीमा, अथवा व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा।
- (v) किसी पूंजीगत परिसम्पत्ति के अनुरक्षण पर पिछले वर्ष में किया गया कोई खर्च, यदि ऐसा अनुरक्षण कृषि आय प्राप्त करने के प्रयोजन से अपेक्षित हैं परन्तु इस धारा के अंतर्गत कोई कटौती नहीं की जायेगी यदि इसकी गणना आय कर अधिनियम 1961 के अंतर्गत पहले ही निर्धारण किया जा चुका हो।
- (त) इस धारा में ऐसा अंतर्विष्ट नहीं है जिससे किसी व्यक्ति को अपरिपक्व पौधों की जुताई, रखरखाव अथवा अनुरक्षण पर ऐसे किसी व्यय की कटौती से रोकता हो जिससे पिछले वर्ष के दौरान कोई कृषि आय हुई हो न हो। (धारा 5)
- जहाँ कृषि आय उस भूमि से हुई हो जिसका कुछ भाग एक राज्य में हो और कुछ दूसरे राज्य में तो कर आय के उस भाग पर लगेगा जो भूमि राज्य के भीतर हो जैसा कि लेखाओं से निर्धारण हो, और यदि लेखाओं से निर्धारण न हो सकता हो तो ऐसे भाग का निर्धारण कृषि आयकर अधिकारी द्वारा निर्धारित ढंग से किया जा सकता है। (धारा 10)

राशियां कटौती योग्य नहीं

कृषि आय की गणना करते समय निम्नलिखित राशियों की कटौती नहीं की जानी चाहिए :

- (क) कृषि आय पर कर अथवा कर के रूप में प्रदत्त राशि ;
- (ख) फर्म द्वारा अपने किसी भी भागीदार को प्रदत्त ब्याज (वेतन, बोनस, कमीशन अथवा पारिश्रमिक);
- (ग) प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी द्वारा किसी कर्मचारी की पारिश्रमिक, लाभ, सुख-सुविधा अथवा अनुलब्धियों आदि पर किया गया व्यय, यदि कृषि आयकर अधिकारी यह महसूस करता है कि ऐसा व्यय अतिशय अथवा अनुचित है; और

- (घ) यदि कृषि आयकर अधिकारी का यह अभिमत है कि निर्धारिती, यदि निर्धारिती एक व्यक्ति है, के किसी व्यक्ति –संबंधी को यदि निर्धारिती कम्पनी, फर्म अथवा व्यक्तियों का संगम है, कम्पनी का कोई निदेशक, भागीदार अथवा सदस्य अथवा ऐसे निदेशक का कोई व्यक्ति भागीदार अथवा सदस्य को किया गया भुगतान प्रदत्त सेवाओं अथवा सुविधा की एवज़ में अतिशय अथवा अनुचित है, व्यय में से अमुक व्यय, जितना वह अतिशय अथवा अनुचित समझे। (धारा 6)

मूल्य ह्रास व निवेश भत्ता (धारा 7)

- (1) कृषि आय प्राप्त करने के लिए निर्धारिती द्वारा अपने स्वामित्व और प्रयोग में लाये गए भवन, मशीनरी, संयंत्र अथवा फर्नीचर का मूल्यह्रास अनुज्ञेय होता है जैसा कि नियम 8 (नीचे पुनः उद्धरत) की सारणी में विनिर्दिष्ट किया गया है, किन्तु निम्नलिखित शर्तों पर :-

- (i) निर्धारिती के स्वामित्व और प्रयोग में लाये गए भवन, मशीनरी, संयंत्र अथवा फर्नीचर के ह्रासित मूल्य (डब्लू डी वी) पर ऐसा प्रतिशत।

टिप्पणी 1. संयंत्र में वाहन और वैज्ञानिक उपकरण शामिल होते हैं (धारा 7 के नीचे दिया गया स्पष्टीकरण)

2. डब्ल्यू डी वी का अर्थ है :

- (क) पिछले वर्ष में उपार्जित परिसम्पत्तियों के मामले में निर्धारिती की वास्तविक लागत;

- (ख) एवज़ में उपार्जित परिसम्पत्तियां – उपार्जित परिसम्पत्तियों के मूल्य में से पुरानी परिसम्पत्तियों की बिक्री से प्राप्त मूल्य को घटा कर ;

- (ग) पिछले वर्ष से पहले उपार्जित परिसम्पत्तियां – निर्धारिती की वास्तविक लागत में से उसे अधिनियम अथवा ए आई टी अधिनियम, 1950 के अंतर्गत अनुज्ञेय सारा मूल्यह्रास (धारा 7 के नीचे स्पष्टीकरण II)

3. निर्धारिती द्वारा प्राप्त की गई किराया-क्रय आधार पर मशीनरी, संयंत्र अथवा फर्नीचर को निर्धारिती के स्वामित्व की परिसम्पत्तियां समझा जायेगा। (धारा 7 के नीचे स्पष्टीकरण III)

सारणी

क्रम. संख्या	परिसम्पत्ति का ब्यौरा		हासित मूल्य पर अनुज्ञेय मूल्यहास
(1)	(2)		(3)
1.		भवन	
	i)	सामान्य दर	5%
	ii)	फैक्ट्री भवन (कार्यालय, गोदाम, अधिकारी व कर्मचारी आवास, सड़कें, पुल और अन्य मदें जो विशेषकर इस सारणी में जोड़ी गई हैं)	10%
	iii)	लकड़ी का ढांचा, छप्पर और झुगियों जैसे पूर्णतः अस्थायी निर्माण	[100%]
2.		पक्के कुएँ और जल संस्थापन	5%
3.		ठ्यूब वेल	10%
4.		सिंचाई के प्रयोजन से तालाब	5%
5.		सिंचाई कुल्या और पक्के अवरोध	10%
6.		सिंचाई कुएं – पक्के	5%
7.		धुलाई कुल्या सहित पक्का बारबेक्यूस	5%
8.		काँफी क्यूरिंग के लिए तालाब	5%
9.		धूम्र गृह (स्मोक हाउस)	10%

मशीनरी व संयंत्र

क.	विद्युत मशीनरी (ए आई आई, एन ई एस ए)		
10.	क.	बैटरी	20%
	ख.	विद्युत जैनरेटर और मोटर सहित अन्य विद्युत मशीनें	20%
संयंत्र	ग.	स्विच-गियर और उपस्कर ट्रांसफॉर्मर और अन्य संयंत्र और तार तथा फिटिंग बिजली की लाईटिंग और पंखे लगाने हेतु	20%
	घ .	भूमिगत केबल और तार के साथ-साथ उपरी केबल व तार	20%
	ख . छिड़काव मशीनरी		
11.	(i)	होज़ पाइप, हस्त स्पेयर	33.33%
	(ii)	बिजली स्पेयर	15%
	ग . अन्य मशीनरी व संयंत्र		
12.		मोटर कार, मोटर साइकिल और जीप	20%

13.		साइकिल	20%
14.		लॉरी	20%
15.		ट्रैक्टर	20%
16.		पावर टिल्लर	25%
17.		जल वाहकों के साथ उपकरण और ट्रेलर	10%
18.		तेल इंजन	10%
19.		तराजू व तुला मशीनें	5%
20.		कर्मशाला औजार	7%
21.		फैक्टरी में बनाया गया ढेला रबड़ के पहियों सहित	10%
22.		देसी ठेले	10%
23.		लकड़ी की बैल-गाड़ी और चमड़े के उपकरण व नारियल- जटा चटाई	25%
24.		बैलों द्वारा खींचे जाने वाले लौह उपकरण	10%
25.		वाष्प इंजन	5%
26.		सामान्य मशीनरी उपकरण, संयंत्र व अन्य परिसम्पत्तियां जो मद संख्या (1) से (25) में नहीं दी गई हैं	10%
27.		लघु सम्पदा औजार व एल्युमिनियम प्लेटें	100%
28.		ऊर्जा बचत युक्तियां : पम्प सैट और जेनरेटर जो सौर ऊर्जा से चलते हैं।	30%
		बाड़ का सामान :	
29.		कंटीले तार अथवा साधारण तार अथवा अन्य महत्वपूर्ण सामग्री	10%
		फर्नीचर	
30.		फर्नीचर	10%
31.		फिटिंग्स	6%

(ii) नए बने भवन और नए स्थापित संयंत्र और मशीनरी के लिए, ऐसे भवन, संयंत्र व मशीनरी के मूल्य का 10% के बराबर और राशि कटौती के लिए दी जानी चाहिए वह भी उस वर्ष के लिए जिसमें बनी और स्थापित हुई और प्रयोग की जाने लगी। जब भवन अथवा मशीनरी उस वर्ष में

प्रयोग में नहीं लाई जातीं जिसमें वह बनी या स्थापित की गई तो कटौती उस वर्ष में दर्शायी जायेगी जिसमें वह पहली बार प्रयोग में लाई गई।

(नियम 9)

2. किराया क्रय प्रणाली के अंतर्गत उपार्जित परिसम्पत्तियों के लिए आरम्भिक ह्रास सहित मूल्य ह्रास किसी भी स्थिति में विक्रेता को दी गई किश्त से अधिक नहीं होना चाहिए।
3. ऐसी परिसम्पत्तियों के लिए जिनका अंशतः प्रयोग कृषि प्रयोजनों के लिए किया जाता है, ए आई टी ओ कृषि प्रयोजन के परिसम्पत्ति के लिए प्रयोग के अनुपात में मूल्य ह्रास अनुज्ञेय कर सकता है।
4. यदि परिसंपत्ति मूल्य ह्रास आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत अनुज्ञेय व दावा किया जाता है तो उस परिसम्पत्ति पर कोई कटौती नहीं करने दी जाएगी।
5. निर्धारिती के स्वामित्व में अधिसूचित मशीनरी अथवा संयंत्र और उसके द्वारा कृषि आय प्राप्त के लिए निर्धारिती द्वारा पूर्णतः प्रयोग किया जाता है तो 10% के बराबर निवेश छूट की कटौती की जानी चाहिए ; परन्तु

क. संयंत्र व मशीनरी नई है :

ख . निर्धारिती ने अपेक्षित विवरण प्रस्तुत किये हैं ; और कि किसी कार्यालय प्रांगण अथवा रिहायशी आवास में जिसमें अतिथि -गृह भी शामिल है, में कोई संयंत्र या मशीनरी लगायी गई है और कार्यालय उपकरणों अथवा सड़क परिवहन वाहनों पर कोई कटौती अनुज्ञेय नहीं की जायेगी। यदि उस संयंत्र या मशीनरी को, जिस पर निवेश भत्ता अनुज्ञेय किया गया था पहली बार प्रयोग में लाने के पूर्व वर्ष की समाप्ति से 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले किसी भी समय बेच दिया जाता या अंतरित कर दिया जाता है तो इस प्रकार की गई निवेश छूट को उस वर्ष से पिछले वर्ष में निर्धारिती की आय माना जायेगा जिसमें संयंत्र या मशीनरी को अंतरित या बेचा गया है।

छूट और कटौती (धारा 9)

1. किसी निर्धारिती,व्यक्ति, व्यक्तियों के संगम व्यक्तियों के निकास अथवा फर्म को कृषि आयकर पर निम्नलिखित के लिए 20% अधिकतम रु. 10,000/- तक की छूट अनुज्ञेय की जाएगी।
- क. उसकी कृषि आय में से पिछले वर्ष अदा की गई कोई राशि जीवन बीमा प्रीमियम अथवा राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र अथवा राष्ट्रीय बचत योजना अथवा अन्य कोई निधि अथवा इसी तरह की सरकार द्वारा अनुमोदित कोई अन्य स्कीम :

- (i) निर्धारिती, उसकी पत्नी अथवा पति या निर्धारिती के किसी बच्चे के जीवन बीमा ;
 - (ii) निर्धारिती, निर्धारिती की पत्नी/ पति अथवा बच्चे के जीवन को आस्थगित वार्षिकी
 - (iii) किसी फर्म के किसी भागीदार, व्यक्तियों के संगम के सदस्य, जहां निर्धारिती फर्म अथवा व्यक्तियों का संगम है, का जीवन बीमा । यदि ऐसा दावा आयकर अधिनियम, 1961 के उपबन्धों के अंतर्गत अमान्य है । ऐसी कोई छूट अनुज्ञेय नहीं होगी ।
2. कुल कृषि आय के 1/6 भाग का पट्टेदार यदि अपनी कृषि आय में से धर्मार्थ प्रयोजन से किसी अधिसूचित ट्रस्ट अथवा संस्थान को दान देता है तो उसकी कृषि आय में से रु. 20,000/- की कटौती की जाएगी ।
3. किसी निर्धारिती द्वारा अपनी कृषि आय में से पिछले वर्ष के दौरान निवेश जमा योजना (आई डी एस) में जमा करवाये हैं तो उसकी कुल कृषि आय के 20% से अनधिक राशि की कटौती की जायेगी बशर्ते कि :
- (i) वर्ष के लिए अनुज्ञेय पुनर्रोपण अथवा बीच –बीच में लगाने की छूट और नियमानुसार बाद के वर्षों की छूट को ऐसी राशि के प्रति जो योजना के अंतर्गत लगायी गई है मुजरा कर दिया जायेगा । जब तक कि उसका पूरा मुजरा नहीं हो जाता ।
 - (ii) जमा में से आहरण इस प्रकार की योजनाओं के अनुसार भू-सम्पत्ति में निवेश के लिए होना चाहिए
 - (iii) यदि कोई आहरण उस प्रयोजन के लिए नहीं किया गया जिसके लिए यह मंजूर किया गया था तो उसे आहरण किए गए वर्ष के लिए कृषि आय समझा जाएगा व तदनुसार निर्धारण किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण

कटौती जिस वर्ष से सम्बन्धित है, उस वर्ष की रिटर्न भरने की देय तारीख से पहले या उस तारीख को, उप- धारा के अंतर्गत निवेश कर दिया जाता है तो उस निवेश को पिछले वर्ष में किया गया निवेश मान लिया जाएगा ।

निवेश जमा योजना, 1993

निर्धारिती द्वारा किसी सरकारी राजकोष में एक अथवा ज्यादा किशतों में राशि जमा करवाई जा सकती है (पैरा 4) । इसके लिए उसे कृषि आयकर अधिकारी अथवा आई ए

सी, जैसा भी मामला हो, को आवेदन करना होगा। जो सरकारी राजकोष को जमा स्वीकार करने के लिए फार्म 'क' में प्राधिकार करेगा व प्रतिलिपि निर्धारिती को भी भेजेगा।

तत्पश्चात निर्धारिती चैक के साथ या रोकड़ के साथ योजना के अंतर्गत अपने नाम खाता खोलने के लिए सरकारी राजकोष में आवेदन करेगा। राजकोष अधिकारी खाता खोलकर फार्म 'ख' में पास बुक के साथ रसीद जारी करेगा। राजकोष अधिकारी प्रति वर्ष निर्धारिती को फार्म 'ग' में एक रसीद जारी करेगा जिसमें वर्ष के दौरान जमा व आहरण का ब्यौरा देगा

(पैरा 5)

जमाकर्ता जमा की तारीख से 12 महीने के बाद आहरण करने का पात्र होगा जिसे वह निम्नलिखित में से किसी में भी प्रयोग और केरल राज्य के भीतर निवेश कर सकेगा :

- (क) रोपण का विस्तार, पुनरोपण, रोपित क्षेत्रों में प्रतिस्थापन अथवा बीच-बीच में रोपण सहित भूमि की तैयारी, फसल के अपरिपक्वता अवधि में ऐसे क्षेत्रों की देखभाल और अनुरक्षण व वाटिकाओं और छायादार वृक्षों की व्यवस्था ;
- (ख) संपदा के भीतर सड़कें, पुलियों, पुलों और बाड़ के निर्माण के लिए
- (ग) फैक्टरी व गोदाम के विस्तार/निर्माण के लिए ;
- (घ) राज्य के भीतर रोपस्थलों में प्रयोग के लिए ट्रैक्टर, रोड रोलर, ट्रक, ट्रेलर, पावर टिलर विद्युत चलित ट्रॉली, ट्रॉली ट्रैक, और कन्वेयर सिस्टम, फॉर्कलिफ्ट ट्रक, रोगी वाहन, जीप और मोटर साइकिल की खरीद ;
- (ङ) जल-निकास सहित भू-क्षरण और जला-क्रांति नियंत्रण के उपाय;
- (च) सिंचाई उपस्कार, बांध, जलाशय, नहर, कुएं, जल छिड़काव उपस्कर, पम्प, इंजन, बिजली कनेक्शन, पाइपलाइन और नहरें बनाना;
- (छ) इस राज्य के बागानों में प्रयोग के लिए अपतृण नियंत्रण के लिए छिड़काव उपस्कर, और संयंत्र संरक्षण उपायों के लिए प्रयोग ;

(ज) संयंत्र और मशीनरी, तुला, बिजली की मोटरें, ऊर्जा उत्पादन उपस्कर, बिजली व गैस ग्रिड कनेक्शन, फैक्टरियों और श्रमिक आवासों का विद्युतिकरण, प्रक्रिया नियंत्रण उपस्कर, व ऊर्जा बचत युक्तियों के अर्जन की खरीद के लिए;

(झ) सावधि ऋण के मूलधन के पुनर्भुगतान आस्थगित भुगतान क्रेडिट, किराया खरीद, लीज़ किराया, और उपस्कर वित्त जो 31 मार्च 1992 के बाद 3 वर्ष अथवा अधिक अवधि के लिए किसी सार्वजनिक वित्तीय संस्थान, आवास विकास वित्त निगम, किसी भी राज्य आवास बोर्ड अनुसूचित बैंक, टी-बोर्ड, रबड़ बोर्ड, कॉफी बोर्ड, स्पाइसस बोर्ड अथवा किसी अन्य ऐसे संस्थान के जिसे राज्य सरकार ने अधिसूचना द्वारा इस तरह से प्राधिकृत कर रखा हो, लिया हो।

(ञ) रोपण से संबंधित व इस राज्य में प्रयोग के लिए कम्प्यूटर अथवा अनुषंगी व संगत उपस्करों की खरीद जैसा राज्य सरकार अधिसूचित करे।

(ट) केरल राज्य में कृषि आधारित निर्माण यूनिट की स्थापना।

जहाँ किसी जमाकर्ता ने राशि जमा की हो वहाँ फार्म ख में रसीद की प्रति रिटर्न के साथ भेजी जानी चाहिए। जहाँ राशि आहरित की हो वहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट से यह दर्शित एक प्रमाणपत्र कि पिछले वर्ष के दौरान आहरित राशि जिस प्रयोजन के लिए आहरित की गई थी उसी के लिए प्रयोग की गई है, रिटर्न के साथ प्रस्तुत करना होगा। (पैरा 9)

(ठ) किसी खाते के क्रेडिट में पड़ी किसी राशि को किसी रण अथवा गारंटी के लिए बंधक अथवा प्रतिभूति के लिए प्रस्तावित नहीं किया जा सकता और वह किसी भी तरह से प्रभावित अथवा अपवर्तित नहीं की जानी चाहिए। (पैरा 11)

कोई जमाकर्ता ए आई टी प्राधिकारियों से प्राप्त प्राधिकार के साथ राजकोष अधिकारी को आवेदन कर सकता है कि उसके खाते में जमा राशि को उसकी सम्पत्ति के किसी भी उस खरीददार को अंतरित कर दे जिसे अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत कृषि आयकर देना होगा। (पैरा 10)

यदि कोई जमाकर्ता अपनी कृषि भूमि को बेच देता है या अन्यथा निपटान कर देता है तो उसे कृषि आयकर नहीं देना होगा और उसने जमा राशि को स्थानांतरित नहीं किया है, तो उसके खाते में शेष राशि को कृषि आय समझा जाएगा और तदनुसार निर्धारण किया जाएगा। [पैरा 13(I)]

यदि निर्धारिती ने आहरित राशि का प्रयोग पैरा 7 में विनिर्दिष्ट किसी भी प्रयोजन के लिए नहीं किया है अथवा उसके खातों और विवरणों से यह साबित नहीं होता कि राशि

को इस प्रकार निवेशित किया गया है अथवा यह साबित नहीं होता कि कैसे निवेशित की गई है, उस राशि को आहरण के वर्ष में कृषि आय समझा जाएगा और वह कर के लिए गणना कर ली जायेगी। [पैरा 13(ii)]

किसी भी वर्ष में जमा किसी राशि को उस वर्ष के लिए केरल कृषि आयकर नियमावली 1991 के नियम 3 के अनुसार पुनर्पोषण छूट के प्रति समायोजित करके कटौती की जाएगी और यदि इसका उस वर्ष में मुजरा नहीं किया जा सकता हो तो शेष राशि को बाद के वर्ष अथवा वर्षों में जमा के साथ उन सभी वर्षों के पुनर्पोषण छूट के प्रति मुजरा किया जाता रहेगा जब तक कि जमा राशि का पूर्ण तरह से देय पुनर्निवेश छूट के प्रति जमा नहीं हो जाता। [पैरा 14]

चाय के लिए निवेश जमा छूट की गणना

निर्धारिती द्वारा उगाई व निर्मित की गई चाय की बिक्री से प्राप्त आय के मामले में, चाहे वह आयकर अधिनियम 1961 की धारा 33 क ख (नीचे उद्धृत) के अंतर्गत किसी निधि अथवा योजना में जमा करता है अथवा अधिनियम- केन्द्रीय योजना के अंतर्गत जारी अधिसूचना अथवा उपबंधों के अधीन स्थापित किसी योजना या निधि में जमा करता है, निवेश जमा छूट अधिनियम के अंतर्गत कर योग्य कृषि आय के 8% से अधिक नहीं होगी व केन्द्रीय योजना के अंतर्गत छूट का हिस्सा आयकर नियमावली 1962 के नियम 8(i) [नीचे पुनरुद्धरित] के अंतर्गत की गई आय की गणना के 20 % से अधिक नहीं होगी, वह भी तब दी जाएगी यदि निर्धारिती कर निर्धारण अधिकारी को यह वचन देता है कि योजना के अंतर्गत कुल जमा राशि और केन्द्रीय योजना के अंतर्गत कृषि आय से की गई कटौती का हिस्सा उस भू सम्पत्ति से है जो राज्य के भीतर स्थिति है और जब कभी इसका आहरण किया जाएगा इसका प्रयोग उसका राज्य के भीतर ही निवेश किया जाएगा जैसा कि संगत योजनाओं में व्यवस्था की गई है।

आय कर अधिनियम 1961 की धारा 33 क ख - चाय विकास लेखा:

जहां कोई निर्धारिती भारत में चाय उगाने और निर्मित करने का व्यापार करता है, पिछले वर्ष की समाप्ति से 6 माह की समाप्ति को पहले अथवा अपनी आय की विवरणी भरने से पहले, जो भी पहले हो, टी बोर्ड द्वारा उसकी ओर से अनुमोदित स्कीम में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अनुसार और के लिए निर्धारिती द्वारा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में कोई राशि अथवा बैंक में उसके द्वारा अनुरक्षित किसी खाते में राशि जमा करता है,

निर्धारिती को इस धारा के उपबंधों की शर्तों के अनुसार कटौती की अनुज्ञा (ऐसी कटौती जो पूर्व के वर्षों से अग्रणीत किसी हानि, यदि हो, से पहली मुजरा की जानी चाहिए धारा 72 के अधीन) दी जानी चाहिए :

इस प्रकार जमा राशि के समान अथवा राशियों के योग के समान ; अथवा ऐसे व्यापार के लाभों के 20% के समान राशि (इस धारा के अंतर्गत कोई कटौती करने से पहले व्यापार अथवा व्यवसाय के “लाभ और अभिलाभ” शीर्ष के अंतर्गत संकलित) जो भी कम हो ।

आयकर नियमावली, 1962 का नियम 8 (1)

भारत में विक्रेता ने चाय उगायी व निर्मित करके बेच कर प्राप्त आय को इस प्रकार परिकलित किया जायेगा मानो यह व्यापार से प्राप्त की गई थी और ऐसी आय का 40% कर अधीन होगा ।

धारा 9(4)

बागान व्यापार में लगी ऐसी कम्पनी की कुल कृषि आय का परिकलन, जिसने कम्पनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कम्पनी की इक्विटी पूंजी में कोई राशि निवेदा की हो जिसने राज्य के भीतर पिछले वर्ष की कृषि आय में से एक नई औद्योगिक इकाई स्थापित की हो, तो इस प्रकार निवेश की गई राशि के 50% से अनधिक राशि की छूट दी जानी चाहिए जो उस कम्पनी की पिछले वर्ष की कुल कृषि आय अथवा रु. एक करोड़, जो भी कम हो से अधिक नहीं होनी चाहिए, परन्तु कि –

- (i) ऐसा निवेश बागान उद्योग अथवा कृषि कार्यकलाप व उससे संबंधित न हो जो कि उस बागान के उत्पाद को प्रत्यक्ष अनुप्रवाह से संबंध रखता है ;
- (ii) निवेशित राशि निवेश की तारीख से तीन वर्षों की अवधि में अथवा ऐसी औद्योगिक इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ करने से पूर्व, जो भी पहले हो, राज्य के भीतर ही पूर्णतः प्रयोग में लाई जाए ; और
- (iii) पांच वर्ष की अवधि तक निवेश का हस्तारण नहीं होगा ।

स्पष्टीकरण : नई औद्योगिक इकाई का अर्थ एक ऐसी इकाई से है जो माल का निर्माण करने के

लिए बनाई गई हो किन्तु उसमें ऐसा उद्योग शामिल नहीं होगा जिसे सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया गया हो; और ऐसा इस उप-धारा के अधीन दी गई पहली बार दावा की गई छूट के वर्ष से अथवा वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ होने से जो भी पहले हो पांच वर्ष की अवधि तक जारी रहना चाहिए।

धारा 9(5)

धारा 9(4) के अंतर्गत वहां कोई छूट नहीं दी जानी चाहिए जहां नई औद्योगिक इकाई विभाजन द्वारा अथवा पहले से ही विद्यमान किसी औद्योगिक इकाई के पुनर्निमाण द्वारा अथवा राज्य में प्रयुक्त किसी मशीनरी एवं संयंत्र अथवा अन्य परिसम्पत्तियों के हस्तांतरण द्वारा गठित की गई हो।

धारा 9(6)

यदि प्रयोक्त निवेश का निवेश की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के भीतर राज्य में प्रयोग नहीं किया जाता अथवा बेच दिया जाता है या हस्तांतरित कर दिया जाता है तो उस पर दी गई छूट को कम्पनी की उस वर्ष की आय को कृषि आय मान लिया जायेगा जिस वर्ष में ऐसे निवेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि पूरी हो जाती है अथवा बिक्री अथवा हस्तांतरण होती है, जैसा भी मामला हो, और तदनुसार कृषि आय परिकलित की जाएगी।

आंशिक रूप से राज्य के भीतर स्थित भूमि से आय का निर्धारण (धारा 10 व नियम 12)

जहाँ कृषि आय उस भूमि से व्युत्पन्न होती है, जो आंशिक रूप से राज्य के भीतर है, यदि आय के किसी भाग का राज्य के भीतर स्थित भूमि से आरोप्य का निर्धारण निर्धारिती द्वारा रखे गए लेखाओं से हो सकता है तो कृषि आय कर उस भाग पर लगाया जाना चाहिए, यदि ऐसा निर्धारण नहीं किया जा सकता, किन्तु जहां उगाई गई फसल के मूल्य का निर्धारण रखे गए लेखाओं से अलग से हो सकता है तो ऐसी आय का परिकलन राज्य के भीतर पैदा हुई फसल की मात्रा के अनुपात में किया जाना चाहिए। अन्य मामलों में, राज्य के भीतर फसल के जोत क्षेत्र के अनुपात से आय का परिकलन करना चाहिए।

हानि को अग्रनीत करना (धारा 12)

जहाँ कोई हानि हुई हो, इसे आगामी वर्ष के लिए अग्रनीत किया जाना चाहिए और इसका उस वर्ष की कृषि आय के प्रति मुजरा किया और यदि हानि को राशि की सम्पूर्ण मुजराई नहीं की जा सकती और इस प्रकार मुजरा न हो सकी राशि को उससे अगले वर्षों में अग्रनीत किया जा सकता है किन्तु किसी हानि को 8 वर्षों से अधिक की अवधि के लिए अग्रनीत नहीं किया जाना चाहिए।

सम्पत्ति या हस्तांतरण किए बिना कृषि आय का अंतरण (धारा 18)

जहां उस परिसम्पत्ति का हस्तांतरण नहीं होता जिससे कृषि आय व्युत्पन्न हुई है, कृषि आय अंतरित होती, चाहे प्रतिसंहरणीय है या नहीं, वह आय अंतरक की कृषि आय के रूप में कर के लिए प्रभार्य होगी और इसे उसकी कुल कृषि आय में जोड़ा जाना चाहिए।

न्याय को आय के अंतरण पर यह लागू नहीं होगा जो कि लाभार्थी के जीवनकाल में प्रतिसंहरणीय नहीं है और किसी अन्य अंतरण के मामले में, जो अंतरिती के जीवनकाल के दौरान प्रतिसंहरणीय नहीं है परन्तु अंतरक किसी भी मामले में ऐसी कृषि आय से व्युत्पन्न प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ नहीं लेगा।

व्यक्ति की आय में पति/पत्नी, अवयस्क पुत्र/पुत्री की आय निहित होगी [धारा 22]

किसी व्यक्ति की कुल कृषि आय में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उद्भूत सारी कृषि आय निहित होगी :-

- (i) पति/पत्नी के किसी ऐसी फर्म की सदस्यता से प्राप्त आय जो कृषि संचालन करती है और जिसमें व्यक्ति एक भागीदार हैं ;

स्पष्टीकरण

व्यक्ति वह पति अथवा पत्नी हो सकती है जिसकी कुल कृषि आय अधिक होगी।

- (ii) अवयस्क पुत्र/पुत्री को, किसी ऐसी व्यक्ति फर्म में लाभ के लिए भागीदार बनाने के लिए प्रवेश से जिसमें व्यक्ति एक भागीदार हो ;

स्पष्टीकरण II

जहां माता-पिता दोनों ही फर्म में भागीदार हो, साझेदारी से अवयस्क पुत्र-पुत्री की कृषि आय को उस माता या पिता के खाते में डाला जाएगा जिसकी कुल कृषि आय दोनों में से अधिक होगी।

- (iii) पति/पत्नी को परिसम्पत्तियों के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष हस्तांतरण से पति/पत्नी को पर्याप्त प्रतिफल के बिना अथवा अलग रहने के करार के सम्बन्ध में।
- (iv) अवयस्क बच्चों को पर्याप्त प्रतिफल के बिना प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित परिसम्पत्तियों में से अवयस्क बच्चे को ; और
- (v) किसी व्यक्ति को उस सीमा तक पर्याप्त प्रतिफल के बिना हस्तांतरित परिसम्पत्तियों से जिस तक ऐसी परिसम्पत्ति में से कृषि आय तत्काल अथवा आस्थगित लाभ उसे अथवा उसकी पत्नी/ पति या अवयस्क बच्चे अथवा दोनों के लिए हो।

स्पष्टीकरण III

जहां ऐसी किसी आय को पति/पत्नी में से किसी की भी अथवा माँ-बाप की कृषि आय में एक बार जोड़ लिया जाता है और किसी उत्तरवर्ती वर्ष की कृषि आय को पति/पत्नी में से किसी दूसरे की अथवा माता-पिता की आय में जोड़ा नहीं जाना चाहिए जब तक कि कृषि आय कर अधिकारी संतुष्ट नहीं हो जाता, पति/पत्नी अथवा माता/पिता को सुनने का अवसर देने के बाद कि ऐसा करना आवश्यक है।

धर्मार्थ न्यास और संस्थाएँ [धारा 16]

धारा 16(1)

किसी धर्मार्थ न्यास की कुल कृषि आय में निम्नलिखित शामिल नहीं होते:-

- (क) किसी न्यास के अधीन पूर्णतः धर्मार्थ अथवा धार्मिक प्रयोजन से धारित सम्पत्ति से व्युत्पन्न कोई कृषि आय उस सीमा तक ऐसी आय राज्य के भीतर ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लायी जाती है ;
- (ख) संचित अथवा पृथक रखी आय ऐसी सम्पत्ति से हुई कृषि आय की 25% से अधिक नहीं हो;

किसी न्यास के अधीत अंशतः धारित सम्पत्ति से व्युत्पन्न कोई कृषि आय उस सीमा तक जिस तक ऐसी आय राज्य में ऐसे प्रयोजनों के लिए व्यवहार में लायी जाती हैं ; और ऐसे प्रयोजनों के लिए पृथक रखी आय ऐसी सम्पत्ति से कृषि आय के 25%से अधिक नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण:

यदि पिछले वर्ष में राज्य के भीतर धार्मार्थ अथवा धार्मिक प्रयोजनों के व्यवहार में लायी गई कृषि आय उस वर्ष में व्युत्पन्न कृषि आय के 75% से कम रह जाती है;

- (i) इस कारण कि वर्ष के दौरान कृषि आय का पूरा अथवा आंशिक भाग प्राप्त नहीं हुआ और कृषि आय का उतना ही भाग राज्य में ऐसे प्रयोजनों पर पिछले वर्ष में व्यय हुआ जिसमें कृषि आय प्राप्त हुई अथवा पिछले वर्ष के ठीक पश्चात;

- (ii) किसी अन्य कारण से, पिछले वर्ष के दौरान अथवा पिछले वर्ष के तत्काल पश्चात जिसमें कृषि आय व्युत्पन्न हुई थी ; राज्य में ऐसे प्रयोजनों के लिए उतनी ही व्यवहार में लाई गई; तब निर्धारिती के विकल्प पर यह समझा जाएगा कि पिछले वर्ष के दौरान, जिसमें कृषि आय व्युत्पन्न हुई है, ऐसे प्रयोजनों के लिए कृषि आय व्यवहार में लायी गई है; ऐसी कृषि आय को पिछले वर्ष के दौरान जिसमें कृषि आय प्राप्त हुई है, अथवा पिछले वर्ष के दौरान पिछले वर्ष के तत्काल पश्चात, जिसको कृषि आय प्राप्त/ व्युत्पन्न हुई है, जैसा भी मामला हो, ऐसी कृषि आय को कृषि आय का परिकलन करते समय हिसाब में नहीं लिया जाएगा । “चिकित्सा राहत” का अर्थ मुफ्त उपचार नहीं है । अस्पताल छूट का कम पात्र नहीं होगा क्योंकि कुछ शुल्क रइसों (रोगियों) से लिये जाते हैं जो अस्पताल का लाभ लेना चयन करते हैं, धर्मार्थ प्रयोजन में उदारता का तत्व समाविष्ट रहता है । यदि भुगतान पर, सेवा एक अधिकार के रूप पाई जा सकती है, तो ऐसी सेवा प्रदान करने वाले संस्थान को धर्मार्थ संस्थान नहीं कहा जा सकता [चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स बनाम आयकर आयुक्त (1936) आई टी आर 397]

यदि किसी न्यास के विविध उद्देश्य हैं, उसमें से कुछ धर्मार्थ हैं और कुछ गैर-धर्मार्थ , और न्यासी को यह विवेकाधिकार है कि वह सम्पूर्ण आय को किसी भी उद्देश्य पर व्यय

कर सकता है, तो आय का कोई भी भाग कर-छूट योग्य नहीं होगा क्योंकि यह न्यासी के लिए खुला छोड़ दिया गया कि वह सारी आय किसी भी गैर-धर्मार्थ उद्देश्य पर व्यय कर सकता है। ऐसे मामले में यह तत्वहीन हो जात है कि सम्पूर्ण आय वास्तव में धर्मार्थ उद्देश्यों पर व्यवहार में लाई गई। इसलिये, केवल तभी, जब आय का कुछ भाग धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए रखा गया है, धारा 16 के खण्ड (6) के अंतिम भाग में अंतर्विष्ट उपबंध लागू होंगे। [मुहम्मद इब्राहिम राज बनाम आयकर आयुक्त(ए आई आर 1930 (प्रिवी काउन्सिल) 226]

धारा 16(2)

जहां 16(1) के अंतर्गत विकल्प प्रयोग में लाया गया या किन्तु कृषि आय विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान उन प्रयोजनों के लिए व्यवहार में नहीं लायी गई, तब ऐसी आय को निर्धारिती की पिछले वर्ष के तुरंत पश्चात जिससे आय प्राप्त अथवा व्युत्पन्न हुई थी, जैसा भी मामला हो, की आय मान लिया जाएगा।

धारा 16(3)

जहाँ धारा 16(1) में निर्दिष्ट कृषि आय का 75% भाग पिछले वर्ष के दौरान राज्य में प्रयोजनों के लिए व्यवहार में नहीं लाया जाता अथवा व्यवहार में नहीं लाया समझ लिया जाता है किन्तु उसे राज्य में ऐसे प्रयोजनों के लिए पृथक कर दिया जाता है अथवा ऐसे प्रयोजनों के लिए संचयन कर लिया जाता है तो उसे पिछले वर्ष की कुल कृषि आय में अंतर्निष्ठ नहीं किया जाना चाहिए, परन्तु

(क) ऐसा व्यक्ति, निर्धारित विधि अनुसार कृषि आयकर आयुक्त को लिखित सूचना देकर वह प्रयोजन बतायेगा जिसके लिए कृषि आय संचित अथवा पृथक रखी जा रही है और अवधि जिसके लिए राशि संचित अथवा पृथक रखी जा रही है और जो किसी भी हाल में 10 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(ख) इस प्रकार संचित अथवा पृथक रखी राशि

- i. किसी सरकारी प्रतिभूति अथवा किसी अन्य प्रतिभूति, जिसे इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया हो, में निवेश की गई हो; अथवा
- ii. डाकघर बचत खाता, डाक घर सावधि जमा सहित, अथवा किसी अनुसूचित बैंक अथवा बैंकिंग कार्य करने में लगी किसी सहकारी सोसाइटी में जमा की गई; अथवा
- iii. के. एफ. सी. के पास किसी खाते में जमा करायी जायेगी।

धारा 16(4)

धारा 16(3) में विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन न करने के मामले में, कोई कृषि आय ऐसे व्यक्ति की पिछले वर्ष की कृषि आय समझी जायेगी, जिसमें यह किसी अन्य प्रयोजन के लिए व्यवहार में लायी जाती है अथवा संचित अथवा पृथक नहीं रह जाती अथवा इस प्रकार निवेश अथवा जमा नहीं रहती, अथवा जैसा भी मामला हो, पिछले वर्ष की पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति के तत्काल बाद की अवधि हो।

धारा 16(5)

जहां स्थितियां निर्धारिती के नियंत्रण से बाहर होने के कारण, ऐसी निवेश अथवा जमा की गई राशि उस प्रयोजन के लिए प्रयोग में नहीं लाई जा सकती जिसके लिए उसे संचित अथवा पृथक किया गया था, कृषि आयकर अधिकारी आवेदन करने पर, ऐसे व्यक्ति को राज्य में किसी अन्य धर्मार्थ अथवा धार्मिक प्रयोजनों के लिए व्यवहार में लाने की अनुमति दे सकता है जैसा कि आवेदन में विनिर्दिष्ट किया गया हो और जो न्यास के उद्देश्यों के अनुकूल हों।

धारा 16(6)

धारा 16(1) में निम्नलिखित अंतर्निष्ठ नहीं है :-

(क) निजी धार्मिक प्रयोजनों के लिए न्यास के अधीन सम्पत्ति, जो सार्वजनिक हित सुनिश्चित नहीं करती, से कृषि आय का कोई भाग;

(ख) धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए न्यास अथवा धर्मार्थ संस्था के मामले में, उससे कोई कृषि आय, यदि न्यास अथवा संस्था को किसी विशिष्ट धर्म समुदाय अथवा जाति के लाभ के लिए सृजित अथवा स्थापित किया गया है; [जब न्यास का गठन किसी विशिष्ट धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हुआ है जिसकी कृषि आय सामान्य जनता के लाभ के लिए सुनिश्चित नहीं करती, इसे निजी न्यास होने के कारण छूट के लिए विचार नहीं किया जा सकता – केरल राज्य बनाम एम पी चन्ति वर्मा जैन (1998) 5 एस सी सी 63]

ग) धर्मार्थ अथवा धार्मिक प्रयोजनों के लिए न्यास अथवा एक धर्मार्थ अथवा धार्मिक संस्था के मामले में ;

(i) न्यास की शर्तों के अंतर्गत अथवा नियमावली जिसके द्वारा संस्था शासित होती है ऐसी आय का कोई भाग सुनिश्चित करे; अथवा

(ii) पिछले वर्ष के दौरान न्यास अथवा संस्था की कोई सम्पत्ति धारा 16(8) में निर्दिष्ट किसी

व्यक्ति के लाभ के लिए – प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से – प्रयोग अथवा व्यवहार में लाई गई हो।

धारा 16(7)

न्यास अथवा संस्था की आय अथवा सम्पत्ति अथवा उसका कोई भाग धारा 16(6) के खण्ड (ग) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये प्रयोग अथवा व्यवहार में लाई गई समझी जायेगी –

- (क) यदि न्यास अथवा संस्था की आय अथवा सम्पत्ति का कोई भाग उप-धारा (8) में अंतर्विष्ट किसी व्यक्ति का बिना किसी पर्याप्त प्रतिभूति अथवा पर्याप्त ब्याज अथवा दोनों के उधार दे दी जाए।
- (ख) पिछले वर्ष के दौरान न्यास अथवा संस्था के संसाधनों में से किसी व्यक्ति को उसके द्वारा ऐसे न्यास अथवा संस्था को प्रदत्त की गई सेवाओं के लिए उस व्यक्ति को कोई वेतन, भत्ता अथवा अन्यथा किसी राशि का भुगतान किया गया है और इस प्रकार प्रदत्त राशि ऐसी सेवाओं के लिए सामान्यतः भुगतान की जानवाली राशि से अधिक है;
- (ग) पिछले वर्ष के दौरान न्यास अथवा संस्था की आय अथवा सम्पत्ति का काफी बड़ा भाग ऐसे किसी व्यक्ति के पक्ष में अपयोजन किया गया है; अथवा
- (घ) यदि पिछले वर्ष में किसी अवधि के लिए न्यास अथवा संस्था की कोई निधि किसी प्रतिष्ठान में जिसमें ऐसे व्यक्ति का काफी हित हो, निवेश की गई हो।

धारा 16(8)

16(6) और 16(7) में अन्तर्विष्ट व्यक्ति निम्नलिखित हैं :-

- (क) न्यास का न्यासकर्ता अथवा संस्था का संप्रवर्तक ;
- (ख) कोई व्यक्ति जिसने न्यास अथवा संस्था में काफी अधिक अंशदान किया हो ;
- (ग) न्यास का कोई न्यासी अथवा संस्था का प्रबंधक (उसे किसी भी नाम से पुकारा जाता हो) ;
- (घ) ऐसे न्यासकर्ता, संप्रवर्तक, व्यक्ति अथवा सदस्य, उपरोक्तानुसार, का कोई संबंधी;
- (ङ) कोई प्रतिष्ठान जिसमें खण्ड (क), (ख), (ग) और (घ) में अन्तर्विष्ट किसी व्यक्ति का बड़ा हित निहित हो।

धारा 16(9)

धारा 16 के प्रयोजन से :-

(क) “न्यास” का अर्थ धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए सृजित न्यास है और कोई अन्य विधिक दायित्व

और “संबंधी” अंतर्विष्ट है, एक व्यक्ति के अतिरिक्त का अर्थ –

(i) व्यक्ति का पति / पत्नी,

(ii) व्यक्ति का भाई अथवा बहन,

(iii) व्यक्ति की पत्नी/ पति का भाई अथवा बहन ।

(iv) व्यक्ति का कोई वंशानुगत वंशज अथवा पूर्वज ।

(v) व्यक्ति की पत्नी/ पति का वंशानुगत पूर्वज अथवा वंशज ।

(vi) खण्ड (ii),(iii),(iv),(v) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति की पत्नी / पति ।

(vii) व्यक्ति के अथवा व्यक्ति की पत्नी/ पति के भाई अथवा बहन के वंशानुगत वंशज ।

(ख) कोई न्यास अथवा संस्था जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, पिछड़ी जातियों अथवा महिलाओं और बालक / बालिकाओं के लाभ के लिए सृजित अथवा स्थापित किया गया है तो उसे किसी विशिष्ट धर्म, समुदाय या जाति के लाभ के लिए सृजित अथवा गठित न्यास अथवा संस्था को 16(6) (6) के अर्थों के भीतर नहीं समझा जाएगा ।

(ग) “धर्मार्थ प्रयोजनों” में निर्धन, शिक्षा, चिकित्सा राहत और जनता के उपयोग के लिए अन्य किसी उद्देश्य को बढ़ावा देना अंतर्विष्ट हैं ;

(घ) किसी प्रतिष्ठान में कोई व्यक्ति पर्याप्त हित रखा समझा जायेगा:-

(i) ऐसे किसी मामले में जहां प्रतिष्ठान एक कम्पनी है, यदि इसके शेयरों का मतदान प्रभाव

पिछले वर्ष में किसी भी समय 20% से कम नहीं है । ऐसे व्यक्ति द्वारा लाभप्रद रूप से

धारित अथवा अंशतः ऐसे व्यक्ति द्वारा और अंशतः उप धारा (8) में उल्लिखित किसी एक

अथवा अधिक व्यक्तियों द्वारा धारित;

- (ii) अन्य किसी प्रतिष्ठान के मामले में ; यदि ऐसा व्यक्ति अथवा उप-धारा (8) में उल्लिखित कोई एक अथवा अधिक व्यक्ति, पिछले वर्ष में किसी समय ऐसे प्रतिष्ठान के संकलित लाभ के 20% से कम का पात्र नहीं है।

धारा 16 (10)

धर्मार्थ अथवा धार्मिक प्रयोजनों से सृजित कोई न्यास अथवा संस्था, ऐसा न्यास अथवा संस्था अपने सृजन की तारीख से 6 महीने के भीतर कृषि आय कर उपायुक्त को निर्धारित प्रपत्र में, न्यास के सृजन के प्रपत्र अथवा संस्था के उप-नियमों की एक प्रति के साथ, जैसा भी मामला हो, पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है।

परन्तु कि उपायुक्त, उक्त तारीख के बाद पंजीकरण के लिए उक्त तारीख के बाद प्रस्तुत किसी आवेदन को स्वीकार कर सकता है यदि वह संतुष्ट है कि समय पर आवेदन न कर सकने के पर्याप्त कारण मौजूद हैं।

अध्याय V

कृषि आय कर का प्रशमन करना

धारा 13 (1)

एक व्यक्ति, जो राज्य के भीतर 500 हैक्टर से कम भू-सम्पत्ति रखता है और कृषि आय व्युत्पन्न करता है, नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट दरों पर एक मुश्त भुगतान करके कृषि आय का प्रशमन करना चयन कर सकता है :-

कर की प्रशमनित दर (1-4-01 से)

फसलों का नाम	पहले 5 हैक्टर	आगामी 3 हैक्टर दर प्रति हैक्टर रु.	उससे अगले 5 हैक्टर दर प्रति हैक्टर रु.	उससे अगले 5 हैक्टर दर प्रति हैक्टर रु.	शेष पर (500 हैक्टर तक) दर प्रति हैक्टर रु.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
इलायची 'ग' अंचल काजू, लौंग, सिनकोना, जायफल, दालचीनी , और अन्य फसलें जो इस सारणी में विनिर्दिष्ट रूप से अंतर्विष्ट नहीं की गई है (चाय व काफी छोड़कर)	शून्य	300	450	800	1400
मिर्च	शून्य	400	600	1000	1750
नानियल, कोको व रबड़	शून्य	500	1000	1700	2500
इलायची 'ख' अंचल	शून्य	550	1000	2000	2800
इलायची 'क' अंचल	शून्य	750	1200	2700	3500
सुपारी	शून्य	750	1200	2700	3500
चाय	शून्य	350	500	900	1500
काँफी	शून्य	700	1000	1800	3000

इलायची 'क' अंचल का अर्थ उदमबंचोला तालूक के कट्टप्पना, अमाविलासम ग्राम और पीरुमड ताल्लुक के एलप्यारा, बागन, उप्पुथोरा, पीरुमड, म्लाप्पारा, परियार, मंजूमाला और कुमीली ग्राम और चित्तूर ताल्लूक का नेल्लियपथी ग्राम जहां इलायची उगाई जाती है।

इलायची 'ख' अंचल का अर्थ, उदुमबोला ताल्लूक के शान्तनपारा, राजाक्कड, पूप्पारा, राजकुमारी, बाइसन वैली, उप्पूथोडे, कालकुंथल, पाराथोडे, उदुमबनचोला, कांचीपारा, तंकमनी, चतुरंगपारा, पंम्पदमपारा और करुनापुरम तथा मन्थावाड़ी, सुल्तान बथारी व वयथीरी तालूक जहां इलायची उगाई जाती है।

इलायची 'ग' अंचल का अर्थ अंचल 'क' व 'ख' अंचलों को छोड़कर शेष क्षेत्र जहां इलायची उगाई जाती है।

अधिनियम की धारा 4(1) (ख) में वर्णित भू-सम्पत्ति में उगाई जानेवाली फसलों को इस धारा के प्रयोजन के लिए हिसाब में नहीं लिया जाएगा।

यदि इस धारा के अंतर्गत देय कर पिछले वर्ष की कृषि आय का 85% से अधिक हो जाता है तो इसे उस सीमा तक सीमित कर देना चाहिए।

पुनरोपण क्षेत्र में कोई कर देय नहीं होगा जब तक इस क्षेत्र के पौधे पैदावार देना शुरू नहीं करते ; नियम 14 के अनुसार पुनरोपण क्षेत्र की छूट का दावा रबड़ अथवा इलायची के मामले में रबड़ बोर्ड अथवा स्पाइसज़ बोर्ड द्वारा जारी प्रमाणपत्र से समर्पित जैसा भी मामला हो; समर्पित होना चाहिए। अन्य फसलों के लिए, कृषि आय कर अधिकारी आवश्यक जांच पड़ताल के बाद दावे को स्वीकार कर सकता है।

धारा 13(2)

प्रशमन के प्रयोजन से पिछले वर्ष के दौरान 180 दिन से अधिक अवधि के लिए धारित भूमि का अधिकतम परिमाण, पिछले वर्ष के दौरान धारित भूमि के परिमाण को समझा जाएगा।

धारा 13(5)

स्वीकृत अनुज्ञा उस वित्त वर्ष से प्रारम्भ होगी जिसमें अनुज्ञा स्वीकृत की गई थी और अनुज्ञा तीन वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगी अथवा जब तक कि कृषि आय कर अधिकारी द्वारा इस आधार पर निरस्त नहीं कर दी जाती कि व्यक्ति प्रशमन के लिए अर्हक नहीं है, जो भी पहले हो।

प्रशमन के लिए विकल्प का आवेदन, फार्म संख्या 1 में विवरणी के साथ, फार्म संख्या 1क में कृषि आयकर अधिकारी के पास अनुवर्ती वर्ष की 1 जुलाई तक अथवा पहले पहुँच जाना चाहिए और 1 जुलाई से अथवा उससे पहले 3 वर्ष में एक बार नवीकृत करा लिया जाना चाहिए और यदि इस प्रकार आवेदन देकर नवीकृत नहीं हुआ हो तो यह समझ लिया जाएगा कि निर्धारिती अपने विकल्प को जारी रखना चाहता है। यदि निर्धारिती प्रशमन के लिए अर्हक पाया जाता है तो कृषि आयकर अधिकारी को फार्म 15 में निर्धारण की सूचना, विवरणी भरने की तारीख से 1 महीने की अवधि के भीतर, जारी करेगा [नियम 15 (1) व (2)]

धारा 13(6)

यदि किसी व्यक्ति को प्रशमन करने की अनुज्ञा दी जाती है किंतु वह पुनः धारा 3 के अनुसार कर भुगतान करने का विकल्प देता है तो उसका निर्धारण इस प्रकार किया जाना चाहिए जैसे कि यह नया निर्धारण या और वह पिछले वर्षों में किसी हानि अथवा ह्रास के अग्रणीत करने के लिए अर्हक नहीं होगा।

धारा 13 (7)

कोई न्यास अथवा संस्था धर्मार्थ अथवा धार्मिक प्रयोजनों के लिए सृजित हुई व धारा 16 के उपबंधों के अनुरूप पंजीकृत हुई, वह कर का भुगतान प्रशमन आधार पर करने के लिए विकल्प दे सकती है चाहे उसके पास जोत क्षेत्र कुछ भी क्यों न हो और 500 हैक्टर से अधिक के लिए सारणी के कॉलम 6 में दी गई दरें लागू होंगी। जब प्रशमन का विकल्प दिया जाता है तो कोई भी व्यय धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए किये गए का दावा नहीं किया जा सकेगा -नियम 25

धारा 13(9)

इस धारा के उपबंध उस कम्पनी पर लागू नहीं होंगे जो किसी ऐसी कम्पनी के विभाजन से बनी होगी जिसका जोत क्षेत्र 500 हैक्टेयर से अधिक होगा और जो 1 अप्रैल 1999 को अथवा उसके बाद बनी है।

कोई न्यास अथवा संस्था कृषि आय के किसी भाग को धार्मिक अथवा धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए व्यवहार में लायी है और धारा 16 के उपबंधों के अनुसार ऐसी कृषि आय से छूट के लिए दावा करती है वह धारा 13 (नियम 25) के अधीन निर्धारण की विधि को अपनाने के लिए अर्हक नहीं है।

स्पष्टीकरण

- (1) भू-सम्पत्तियों के मामले में, एक से अधिक फसल उगाने पर इस धारा के प्रयोजन से जो क्षेत्र का निर्धारण रोपी गई मुख्य फसल के आधार पर किया जाएगा, यदि एक से अधिक फसलें मुख्य फसल की स्थिति में हैं अथवा जहां मुख्य फसल का सरलता से निर्धारण नहीं हो सकता तो जोत-क्षेत्र का निर्धारण का आधार वह फसल होगी जिस पर कर का भार अधिक होगा जैसे कि इस फसल ने पूरे क्षेत्र को घेर रखा है।
- (2) जब भू-सम्पत्ति में अन्य फसलों के साथ धारा 4(1) के खण्ड (ख) में वर्णित फसलों को भी बोआ जाता है, ऐसी भू-सम्पत्ति को अन्य फसलों के साथ रोपित समझा जाएगा।

भूमि के छूट गए परिणामों के संबंध में प्रशमन (धारा 14)

भूमि का कोई परिमाण प्रशमन से छूट जाता है वह धारा 13 के अन्तर्गत अनुज्ञात है अथवा प्रशमन काफी कम दर पर किया गया अथवा कम परिमाण का किया गया, धारा 41 के उपबंध लागू होंगे, जैसे कि यह अधिनियम के अंतर्गत कृषि आय से छूट गई थी।

अध्याय VI

निर्धारण प्रक्रिया

दर में कमी करने की शक्ति (धारा 17)

सरकार, अधिसूचना द्वारा, कृषि आय की किसी श्रेणी के पक्ष में कृषि आयकर के संबंध में अन्य आशोधन अथवा व्यक्तियों की किसी श्रेणी अथवा अनुसंधान अथवा कृषि में उन्नत शिक्षा के लिए किसी संस्था अथवा व्यक्तियों की किसी श्रेणी की पूर्ण अथवा आंशिक कृषि आय पर छूट अथवा दर में कमी कर सकती है।

दोहरे कराधान से राहत (धारा 15)

कोई व्यक्ति, जो व्यक्तियों के संगम अथवा व्यष्टियों के निकाय का सदस्य है, कृषि आय के हिस्से पर कर अदा करने के लिए उत्तरदायी नहीं है जो वह व्यक्तियों के ऐसे संगम अथवा व्यष्टियों के निकास के एक सदस्य के रूप में प्राप्त करता है जिस पर कर लगाया गया था व जिसका व्यष्टियों के संगम अथवा व्यक्तियों के निकास द्वारा भुगतान कर दिया गया है।

स्थायी लेखा संस्था (धारा 36)

प्रत्येक व्यक्ति, जिसकी कुल कृषि आय पिछले किसी वर्ष में, इस अधिनियम के अंतर्गत कर से प्रभार्य नहीं राशि से अधिक हो जाती है, कृषि आयकर अधिकारी को स्थायी लेखा संख्या के आबंटन के लिए आवेदन करेगा।

लेखाओं का अनुरक्षण (धारा 33)

प्रत्येक व्यक्ति, इस अधिनियम के अंतर्गत कर देने के लिए जवाबदेह, प्रशमन के लिए जिन्होंने विकल्प दिया है उन्हें छोड़कर ऐसी लेखा पुस्तकें व प्रलेख रखेगा जैसे निर्धारित किये गए हैं।

जहां कृषि आयकर अधिकारी निर्धारिती के लेखाओं की शुद्धता अथवा पूर्णता से संतुष्ट नहीं है, वह धारा 39(3) अथवा 39(4) में दिये गए ढंग से निर्धारण कर सकता है।

(धारा 40)

प्रत्येक निर्धारिती, धारा 13 के अन्तर्गत प्रशमन के लिए विकल्प देने वाले व्यक्ति के अतिरिक्त, अपनी कृषि आय और व्ययों के लेखाओं के लिए निम्नलिखित बहियाँ रखेगा :-

- (i) दैनिक रोकड़ बही;
- (ii) दैनिकी;
- (iii) खाता बही ;
- (iv) फसल पंजी अथवा उत्पादन रजिस्टर जिसमें प्रति दिन / प्रति कामगार/ प्रत्येक बीनने/ प्रत्येक मौसम में प्राप्त फसल के साथ जिन पौधों /वृक्षों से फसल प्राप्त होती है उनका ब्यौरा दिया गया हो ।
- (v) मज़दूरी पंजी;
- (vi) उपस्थिति नामावली / जॉच नामावली ।

क्रय बिल, विक्रय बिल अथवा सभी व्यय और प्राप्तियों के वाउचर । (नियम 47)

निर्धारिती द्वारा बिलों, वाउचरों आदि के साथ अनुरक्षित लेखे संबंधित निर्धारण वर्ष, जिससे वे संबंधित हैं, के बाद 5 वर्ष तक सुरक्षित रखे जाने चाहिए और वह भी घोषित स्थान पर रखे जाएँ (नियम 48)

लेखाओं की लेखापरीक्षा (धारा 34)

निर्धारिती जिसके पास पिछले वर्ष के दौरान 60 हैक्टेर से अधिक भू-सम्पत्ति धारित थी उसे किसी लेखाकार से अपने लेखाओं की लेखापरीक्षा करानी चाहिए और निर्धारित प्रपत्र में ऐसी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट प्राप्त करनी चाहिए और इन्हें विवरणी के साथ प्रस्तुत करना चाहिए ।

स्पष्टीकरण : इस धारा के प्रयोजन से "लेखाकार" का वही अर्थ होगा जो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 288 की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण में दिया गया है ।

लेखाओं को प्रस्तुत करने के आदेश की शक्तियां और प्रवेश , निरीक्षण, तलाशी और अभिग्रहण की शक्तियां (धारा 28)

कोई अधिकारी, जिसका पद कृषि आयकर अधिकारी से नीचे का न हो, सूचना द्वारा, किसी निर्धारिती को, उस व्यक्ति को छोड़कर जिसने धारा 13 के अन्तर्गत प्रशमन का विकल्प दिया है, अधिनियम के अधीन कर देने के लिए दायी है, किसी लेखे, रजिस्टर, अभिलेख अथवा किसी प्रलेख अथवा अन्य को संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है और वह अपने वरिष्ठ अधिकारी के प्राधिकार से किसी भवन में प्रवेश कर तलाशी ले सकता है , किसी निर्धारिती अथवा अन्य व्यक्ति जो कर देने का दायी है द्वारा प्रयोग में लाये जा रहे भवन, अथवा कोई भूमि अथवा किसी जलयान अथवा वाहन में प्रवेश कर तलाशी ले सकता है अथवा लेखाओं, रजिस्ट्रों, अभिलेखों अथवा अन्य प्रलेख, कोई भूमि, खड़ी फसल अथवा कृषि उत्पाद का निरीक्षण कर सकता है जिसे वह अधिकारी अधिनियम के अंतर्गत किसी कार्यवाही के प्रयोजन से संगत समझता है। परन्तु किसी रिहायशी भवन में प्रवेश नहीं कर सकता न ही उसमें तलाशी ले सकता है।

सूचना मांगने की शक्ति (धारा 29)

कृषि आयकर अधिकारी, निरीक्षण सहायक आयुक्त अथवा अपीलीय सहायक आयुक्त अपेक्षा कर सकता है।

- (i) किसी फर्म को फर्म के भागीदारों के नाम व पते और उनके संबंधित शेयर प्रस्तुत करने
- (ii) किसी न्यासी, अभिभावक अथवा एजेंट को उन व्यक्तियों के जिनका वह न्यासी, अभिभावक अथवा एजेंट है, नाम और पते ;
- (iii) बैंकिंग कम्पनी अथवा उसके अधिकारी सहित किसी व्यक्ति से किन्हीं मुद्दों अथवा मामलों के संबंध में कोई सूचना अथवा लेखाओं और कार्यकलापों की स्थिति कृषि आयकर अधिकारी, निरीक्षण सहायक आयुक्त अथवा अपीलीय सहायक आयुक्त द्वारा निर्धारित ढंग से विवरण सत्यापित कर प्रस्तुत करने व ऐसे मुद्दों व मामलों के संबंध में वह सूचना दे जो अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही से संगत हो प्रस्तुत करना।

सर्वेक्षण की शक्ति (धारा 30)

कृषि आयकर निरीक्षक, ए आई टी ओ अथवा निरीक्षण सहायक आयुक्त ऐसी किसी भूमि में जहां खेती की जा रही हो अथवा ऐसे किसी भी स्थान पर जहां कृषि उत्पाद संसाधित अथवा

भण्डार किया जा रहा हो में प्रवेश कर सकता है और स्वामी अथवा व्यक्ति जिसके कब्जे में भूमि है अथवा जहां कृषि उत्पाद संसाधित किया जा रहा है अथवा भण्डार किया गया है उसके प्रभारी व्यक्ति से अपेक्षा करता है कि वह भूमि, अथवा ऐसे स्थान का निरीक्षण करने के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराये ताकि निम्नलिखित अभिनिश्चित कर सके :

- (i) जोत अधीन भूमि का विस्तार ;
- (ii) खेती से संभावित प्राप्ति;
- (iii) खेती के प्रयोजन से वहन किये जाने के संभावित खर्च ;
- (iv) ऐसे स्थान पर कृषि उत्पाद, संसाधित अथवा भण्डारित फसल की मात्रा; और
- (v) सम्पत्ति के स्वामी अथवा धारित्री की कृषि आय परिकलित करने के लिए अन्य संगत सूचना ।

कृषि आय विवरणी (धारा 35)

1. प्रत्येक व्यक्ति, किसी कम्पनी अथवा व्यक्ति से भिन्न जिसने अपने लेखों की लेखापरीक्षा करा ली है, जो इस अधिनियम के अंतर्गत कर दायी है अथवा प्रत्येक व्यक्ति जिसे स्थायी लेखा संख्या आवंटित है, कृषि आयकर अधिकारी को 1 जुलाई से पहले; और उस व्यक्ति के मामले में जिसने धारा 34 के अनुसार अपने लेखाओं की लेखापरीक्षा करवा ली है 31 अक्तूबर को अथवा उससे पहले और कम्पनी के मामले में निर्धारण वर्ष के 31 दिसम्बर को अथवा उससे पहले, निर्धारित प्रपत्र में एक विवरणी और निर्धारित विधि से सत्यापित, प्रस्तुत करें।
2. कोई व्यक्ति उसकी कुल कृषि आय के आधार पर अथवा किसी व्यक्ति की पिछले वर्ष के दौरान कुल कृषि आय के आधार पर कृषि आय कर अधिकारी के अभिमत में इस अधिनियम के अंतर्गत कर के लिए निर्धारणीय है, कृषि आयकर अधिकारी, निर्धारण वर्ष की समाप्ति से पहले ऐसे व्यक्ति को एक सूचना जारी कर सकता है कि वह इस सूचना के जारी होने की तारीख से 30 दिन के भीतर अपनी कृषि आय की विवरणी अथवा ऐसे अन्य व्यक्ति की कृषि आय अथवा उसके नाम में सम्पत्तियों का विस्तार अथवा पिछले वर्ष के दौरान किसी अन्य व्यक्ति के नाम सम्पत्तियों के विस्तार की सूचना निर्धारित फार्म में और निर्धारित ढंग से सत्यापित कर प्रस्तुत करे व यथा निर्धारित अन्य विशिष्टियां उपवर्णित :-

परन्तु यदि ऐसे व्यक्ति ने पिछले वर्ष के दौरान निर्धारित देय तारीखों को अग्रिम कर का भुगतान कर दिया है। तो ऐसे व्यक्ति द्वारा आवेदन करने पर कृषि आयकर अधिकारी, अपने विवेकानुसार उप-धारा (1) अथवा उप-धारा (2) के तहत विवरणी भरने के लिए तारीख को आगे बढ़ा सकता है।

3. इस धारा के अंतर्गत विवरणी निर्धारित प्रपत्र में निम्नलिखित द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित व सत्यापित होनी चाहिए :-

(i) व्यष्टि के मामले स्वयं व्यष्टि द्वारा जहां व्यष्टि भारत में न हो वहां संबंधित व्यष्टि द्वारा अथवा उसकी ओर से विधिवत् प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा और जहां व्यष्टि मानसिक रूप से अपने कार्य देखने के लिए अक्षम है अथवा जहां व्यष्टि अव्यस्क है, उसके अव्यस्क अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जो उसकी ओर से कार्य करने के लिए सक्षम है।

(ii) किसी कम्पनी अथवा स्थानीय प्राधिकरण के मामले में उसके प्रधान अधिकारी द्वारा ;

(iii) फर्म के मामले में, उसके किसी भी साझेदार द्वारा, जो अव्यस्क नहीं होना चाहिए -

(iv) किसी अन्य संस्था के मामले में, संस्था के किसी सदस्य द्वारा अथवा उसके प्रधान अधिकारी द्वारा; और

(v) किसी अन्य व्यक्ति के मामले में, उस व्यक्ति द्वारा अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जो उसकी ओर से सक्षम हो।

4. कृषि आयकर अधिकारी किसी व्यक्ति को, जिसने उप-धारा (1) के तहत विवरणी भरी है अथवा जिसे उप धारा (2) के तहत सूचना जारी की गई थी, सूचना जारी कर सकता है कि इस सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख को पेश हों और ऐसे लेखे अथवा प्रलेख जैसा कि अधिकारी को ज़रूरत है, पेश करें या पेश करवायें :

परन्तु अधिकारी उस निर्धारित के मामले में जिसने धारा (1) के अनुसार विवरणी भरी थीं, पिछले वर्ष से पहले 5 वर्ष से अधिक की अवधि से संबंधित कोई लेखा पेश करने को नहीं कह सकता।

विवरणी प्रपत्र संख्या 2 में भरी जानी चाहिए और लेखापरीक्षा रिपोर्ट अथवा आय और व्यय लेखा और तुलन पत्र प्रपत्र 38 में भरे जाने चाहिए (नियम 51)

धर्मार्थ न्यास अथवा संस्था, जिसने धारा 13 के अन्तर्गत प्रशमन के लिए विकल्प नहीं दिया है, विवरणी प्रपत्र 3 में 31 अक्टूबर, को या उससे पहले पेश करेगा व लेखापरीक्षित आय और व्यय लेखा और तुलना-पत्र साथ में पेश करेगा (नियम 22)

स्व-निर्धारण और अग्रिम-कर का भुगतान (धारा 37)

1. प्रत्येक व्यक्ति धारा 35 अथवा धारा 41 के तहत विवरणी भरने के लिए उत्तरदायी है वह पिछले वर्ष का कर पिछले वर्ष के फरवरी माह के अंत से पहले अथवा तक प्राक्कलित कुल कृषि आय का, जो कि विवरणी के अनुसार कुल कृषि आय के 80% से कम नहीं होना चाहिए।
अग्रिम कर का प्रपत्र संख्या 3 में एक विवरण के साथ भुगतान किया जाना चाहिए। अग्रिम कर सरकारी राजकोष में अथवा संबंधित कृषि आयकर अधिकारी को चैक अथवा धनादेश द्वारा भेजा जाना चाहिए (नियम 57)
2. धारा 13 के अंतर्गत प्रशमन के लिए विकल्प दिये गए प्रत्येक व्यक्ति को पिछले वर्ष के लिए पिछले वर्ष के फरवरी माह की समाप्ति से पहले कर का भुगतान करना होगा।
3. प्रत्येक व्यक्ति धारा 35 अथवा धारा 41 के अधीन विवरणी भरने के लिए उत्तरदायी है। विवरणी भरने से पहले पिछले वर्ष के दौरान व्युत्पन्न कुल कृषि आय पर देय कर का, उसके द्वारा पहले से भुगतान किये गए अग्रिम कर की कटौती करने के बाद पूरा भुगतान करना होगा।
4. कोई व्यक्ति जो उक्त कर का भुगतान करने अथवा धारा 45 के अन्तर्गत मांग सूचना जारी करने के बाद असफल रहता है तो उसे विलम्ब के प्रत्येक माह के लिए अथवा उसके किसी अंश के लिए भुगतान न की गई शेष राशि पर 12% वार्षिक दर से (01.04.2005 से लागू) साधारण ब्याज देना होगा।

परन्तु यदि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हैं कि समय पर कर का भुगतान न कर पाने के पर्याप्त कारण मौजूद हैं तो वह ब्याज को अधित्यक्त अथवा कम कर सकता है।

धारा 37 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत ब्याज स्वतः ही प्रोदभूत होगा व उसकी मांग प्रपत्र संख्या 18 में की जानी चाहिए। (नियम 59)

5. यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त उप धारा (1) (2) अथवा (3) में निर्धारित किए गए अनुसार अथवा उसके किसी भाग का भुगतान करने में असफल रहता है, तो ऐसे कर के अथवा उसके किसी अंश के दो प्रतिशत के समान राशि, जैसा भी मामला हो, उससे प्रत्येक माह दण्ड के रूप में तब तक वसूला जायेगा जब तक व्यतिक्रम जारी रहेगा :

परन्तु ऐसा कोई दण्ड लगाने से पूर्व व्यक्ति को सुने जाने का उचित अवसर दिया जाना चाहिए ।

परन्तु यह और कि यदि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि भुगतान में विलम्ब के पर्याप्त कारण है तो वह दण्ड को कम अथवा अधित्यक्त कर सकता है ।

इस धारा में अनुध्यात दण्ड तभी आकर्षित होगा यदि स्वीकृत कर के भुगतान में व्यतिक्रम पहले अथवा विवरणी के साथ और कि देय तारीख से पहले स्वीकृत कर भुगतान में विलम्ब विवरणी भरने के कारण हुआ है तो इस धारा के अंतर्गत कोई दण्ड नहीं होगा । [कृषि आयकर अधिकारी बनाम मनगोडे इस्टेट 1995 (1) के एल टी 22; 1995 के एल जे (कर मामले) 6]

निर्धारण पूर्व जांच (धारा 38)

निर्धारण के प्रयोजन से

1. कृषि आयकर अधिकारी लेखाओं, प्रलेखों अथवा संगत समझे जानेवाले अन्य बिन्दुओं अथवा मामलों में अन्य सूचना मंगवा सकता है ;
2. किसी व्यक्ति की कृषि आय के संबंध में पूरी सूचना प्राप्त करने के लिए आवश्यक जांच कर सकता है ;
3. कृषि आय, व्यय अथवा हानि के संबंध में सूचना प्राप्त करने के लिए जांच कर सकता है अथवा किसी व्यक्ति की धृति का निरीक्षण कर सकता है ;
4. ऐसी जांच अथवा निरीक्षण के आधार पर एकत्र की गई किसी सूचना के संबंध में जिसका निर्धारण के प्रयोजन से प्रयोग किये जाने का प्रस्ताव है, निर्धारिती को सुने जाने का अवसर दिया जाना चाहिए ।

कृषि आय का निर्धारण (धारा 39)

1. यदि कृषि आयकर अधिकारी संतुष्ट है कि एक निर्धारिती द्वारा भरी गई विवरणी सही और पूरी है, वह आदेश द्वारा लिखित में निर्धारण करेगा और ऐसी विवरणी के आधार पर निर्धारिती द्वारा देय राशि निश्चित करेगा।
2. यदि कृषि आयकर अधिकारी निर्धारिती की उपस्थिति से अथवा इस निमित्त साक्ष्य प्रस्तुत करवाकर विवरणी की शुद्धता और पूर्णता को सत्यापित करना आवश्यक समझता है तो वह दस्तावेजों को मंगवा सकता है अथवा एक निश्चित तारीख को निर्धारिती को पेश होने के लिए कह सकता है।
3. कृषि आयकर अधिकारी निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और कृषि आयकर अधिकारी द्वारा कुछ विशेष मुद्दों पर अपेक्षित ऐसे अन्य साक्ष्यों पर विचार करने के बाद और उसके द्वारा एकत्र की गई संगत सूचनाओं का संज्ञान में लेने के बाद लिखित में आदेश द्वारा निर्धारिती का निर्धारण करेगा और उसके द्वारा देय राशि को सुनिश्चित करेगा अथवा ऐसे निर्धारण के आधार पर उसे लौटाये जाने वाली राशि को भी सुनिश्चित करेगा।
4. यदि कोई व्यक्ति धारा 35 के द्वारा अपेक्षित विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है अथवा धारा 35 (4) के अंतर्गत जारी सूचना का अनुपालन करने में असफल रहता है अथवा विवरणी प्रस्तुत करने के बाद ऐसी धारा (2) के अंतर्गत जारी सूचना की सभी शर्तों को पूरा करने में असफल रहता है, कृषि आयकर अधिकारी एकत्र की गई संगत सूचना का संज्ञान लेने के बाद, अपनी सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार निर्धारण करेगा और ऐसे निर्धारण के आधार पर निर्धारिती द्वारा देय राशि सुनिश्चित करेगा।

सर्वोत्तम निर्णय निर्धारण अनुचित अथवा दण्डात्मक नहीं हो सकता भले ही निर्धारिती जारी सूचना के प्रत्युत्तर में विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहा हो – थामस बनाम ए आई टी ओ 1989(1) क एल टी 909: 184 आई टी आर 561

इलायची सम्पदा से आय निर्धारण के मामले में, राजस्व मण्डल द्वारा जारी दिशा निदेश, यद्यपि निश्चायक नहीं है, फिर भी संगत और प्राप्ति का प्राक्कलन करने के प्रयोजन से पर्याप्त हैं – नबीली बीवी बनाम ए आई टी ओ (1987) 1631 आई टी आर 78

5. इस धारा के अंतर्गत कोई निर्धारण, उप धारा (1) के अंतर्गत निर्धारण से भिन्न, निर्धारिती को सुनने का अवसर दिये बिना, नहीं किया जाना चाहिए।
6. कोई भी निर्धारण विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख से दो वर्षों की अवधि के भीतर पूरा कर लिया जाना चाहिए।

परन्तु कि, रबड़, कॉफी और निर्मित चाय से व्युत्पन्न कृषि आय के निर्धारण के मामले में यदि निर्धारण आयकर अधिनियम 1961 के अन्तर्गत पूरा नहीं हुआ हो जबकि कृषि आय कर अधिकारी निर्धारण पूरा करने के आगम पर है वह अंतरिम रूप से उसके द्वारा पेश विवरणी के आधार पर कृषि आय को आंतरिक रूप से स्वीकार कर सकता है और आयकर प्राधिकारी के आदेशानुसार ऐसे निर्धारण को संशोधित कर सकता है और अधिनियम के किन्हीं उपबंधों के अधीन निर्धारित परिसीमाएं निर्धारण के ऐसे संशोधनों पर लागू नहीं होंगी।

परन्तु और भी कि, कोई निर्धारिती आयकर अधिनियम 1961 के अधीन निर्धारण आदेश, अथवा अपीलीय अथवा संशोधन आदेश उसके द्वारा उसकी प्राप्ति के 30 दिन के भीतर प्रस्तुत करने में असफल रहता है, उसे उसका द्वारा ऐसे आदेश प्राप्ति की तारीख से 90 दिन की समाप्ति पर आयकर प्राधिकारी के आदेशों के अनुसार शेष देय कर पर धारा 37(4) और 37 (5) के अंतर्गत उपबंधित ब्याज और दण्ड देना होगा।

धारा 39 की उप धारा (3) अथवा (4) के अंतर्गत निर्धारण पूरा करने से पहले, कृषि आयकर अधिकारी, अपने सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार निर्धारण को पूरा करने के प्रस्ताव की सूचना जारी करेगा और आपत्ति प्रस्तुत करने अथवा साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए सात दिन से कम का समय नहीं देगा।

कर प्राधिकारियों को कर निर्धारण की शक्तियां, न्यायिककल्प कृत्य सौंपे जाते हैं और प्राकृतिक न्यास के सिद्धांतों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होते हैं – केरल राज्य बनाम शदौली ए आई आद एस सी (62) (1977) 2, एस सी सी 777

भूल सुधार (धारा 42)

1. निर्धारण प्राधिकारी अथवा एक अपीलीय अथवा संशोधन प्राधिकारी स्वप्रेरणा अथवा निर्धारिती के आवेदन पर अपने द्वारा पारित आदेश की तारीख से 4 वर्ष की अवधि के भीतर कभी भी अभिलेख से प्रकट हुई किसी त्रुटि को सुधार सकता है।

परन्तु ऐसा कोई सुधार नहीं किया जाना चाहिए जिसका प्रभाव निर्धारण बढ़ाना हो अथवा प्रतिदाय को घटाने का हो जब तक कि ऐसा प्राधिकारी ऐसा करने की अपनी मंशा के बारे में निर्धारिती को सूचित न कर दे व उसे सुनने का पर्याप्त अवसर न दे।

2. आदेश में किसी त्रुटि के मामले में जिसे गणितीय त्रुटि होने के कारण उप-धारा (1) के अधीन सुधारना चाहती है तो प्राधिकारी जिसने आदेश पारित किया था वह गलती में सुधार कर सकता है चाहे सुधार किया जाने वाला आदेश अपील अथवा संशोधन के मामले की विषय वस्तु बन चुका है।

निर्धारण से छूट गई आय (धारा 41)

1. यदि किसी कारणवश इस अधिनियम के तहत कर प्रभार्य कृषि आय, किसी वित्त वर्ष में निर्धारण से छूट गयी हो या काफी कम दर पर निर्धारित की गई हो तो कृषि आयकर अधिकारी उस वर्ष की समाप्ति के 10 वर्ष की अवधि के भीतर किसी भी समय और उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन, कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को धारा 35 की उप-धारा (2) के अधीन नोटिस में शामिल सभी अथवा किन्हीं अपेक्षाओं वाली सूचना जारी करेगा और इस अधिनियम के अन्तर्गत ऐसी आय के निर्धारण अथवा पुनर्निर्धारण की कार्यवाही शुरू करेगा तदनुसार जहां तक लागू हो सकते हैं जैसा कि उस उप-धारा के अंतर्गत जारी सूचना हो।

परन्तु कर उसी दर पर प्रभावित किया जाएगा जिस दर पर यदि ऐसी आय निर्धारण से छूट गई अथवा पूर्ण निर्धारण न किया गया हो ; जैसा भी मामला हो ; प्रभारित किया जाना चाहिए था।

परन्तु और भी कि कृषि आयकर अधिकारी इस उप-धारा के अन्तर्गत सूचना तब तक जारी नहीं करेगा जब तक कि उसने ऐसा करने के कारण दर्ज न किये हो।

2. संगत वित्त वर्ष की समाप्ति से पांच वर्ष की समाप्ति के बाद उप धारा (1) के अधीन कोई सूचना तब तक जारी नहीं की जाएगी जब तक कि कृषि आयकर अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए कारणों से आयुक्त संतुष्ट नहीं हो जाते कि ऐसी सूचना जारी करने के लिए यह ठीक मामला है।
3. उप-धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, अपील अथवा पुनर्विचार अथवा किसी आदेश अथवा न्यायालय के निर्णय के रूप में इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में किसी प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश द्वारा निर्धारण करने, अथवा पुनर्निर्धारण अथवा परिणामस्वरूप पुनपरिकलन अथवा किसी निष्कर्ष अथवा दिशा को प्रभावी करने के प्रयोजन से किसी भी समय सूचना जारी की जा सकती है।

स्पष्टीकरण I:-

जहां उप-धारा (3) में निर्दिष्ट किसी आदेश द्वारा, किसी निर्धारण वर्ष में निर्धारिती की कुल कृषि आय से कोई कृषि आय अपवर्जित कर दी जाती है, तब ऐसी कृषि आय का निर्धारण, कथित उप-धारा के प्रयोजन के परिणामस्वरूप अथवा किसी निर्णय अथवा ऐसे आदेश में अन्तर्विष्ट दिशानिर्देशों को प्रभावी बनाने के लिए किस अन्य निर्धारण वर्ष के लिए समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण II

जहां उप-धारा(3) में निर्दिष्ट किसी आदेश द्वारा, किसी एक व्यक्ति की कुल कृषि आय में से कृषि आय अपवर्जित कर दी गई है और किसी अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों की कृषि आय मान ली गई हैं,तो ऐसे अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों की कृषि आय का निर्धारण, इस उप-धारा के प्रयोजनों से ऐसे आदेशों के परिणामस्वरूप अथवा किसी निष्कर्ष को प्रभावी बनाने अथवा दिशानिर्देशों के अनुसरण में किया गया समझा जायेगा।

(4) इस धारा के प्रयोजनों से परिसीमा की कालावधि की संगणना में, किसी आदेश अथवा किसी न्यायालय के व्यादेश अथवा किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा निर्धारण कार्यवाही पर रोक लगा दी गई हो तो उस अवधि को छोड़ दिया जायेगा।

जिस वित्तीय वर्ष में निर्धारण से आय छूट गई हो उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पांच वर्ष की समयावधि धारा 41(2) के अन्तर्गत सूचना देने की अवधि निर्धारित है। इस धारा में “वित्तीय वर्ष” का अर्थ संबंधित निर्धारण वर्ष है- कोचीन प्लांटेशन लि. बनाम आई ए सी 1994(1) के एल टी 759; 1994 के एल जे (कर मामले) 156 ।

निर्धारण से छूट गए उपबंधों का अवलंब लेने के लिए, एक नियत समय के भीतर निर्धारण करना पड़ेगा, तत्पश्चात धारा 35 के अन्तर्गत कार्रवाई की जायेगी, चूंकि निर्धारण पूरा नहीं हुआ है अतः धारा 35 के अधीन कार्रवाई अवैध है – कृषि आय कर आयुक्त बनाम के वी सेबास्टियन, 1996 के एल जे (कर मामले) 238

उसी अधिकारी द्वारा अथवा उत्तरवर्ती अधिकारी द्वारा एक ही विषय पर मतभेद होने या भिन्न मत रखने पर निर्धारण को तब तक पुनः नहीं खोला जा सकता जब तक कि ऐसा करने के लिए नई विषय वस्तु न हो। धारा 35 में अन्तर्विष्ट “ किसी कारण से” शब्दों के अर्थ का विस्तार नहीं किया जा सकता कि उसका “ मत परिवर्तन” अथवा “निर्णय की गलती ” अर्थ समझा जाये – डी सी ए आई टी बनाम टी के एस दिनाकरण, 1997 के एल जे (कर मामले) 177

मांग की सूचना (धारा 45)

- (1) जब इस अधिनियम के अन्तर्गत पारित किसी आदेश के परिणामस्वरूप अथवा दाखिल की गई विवरणी के अनुसरण में कोई कर, शास्ति अथवा कोई अन्य राशि देय है, कृषि आयकर अधिकारी एक निर्धारित प्रपत्र में निर्धारिती को सूचना अथवा मांग तामील करेगा जिसमें इस प्रकार देय राशि को विनिर्दिष्ट करेगा व ऐसे आदेश की प्रति भी साथ लगाएगा।
- (2) जहाँ उप-धारा (1) में निर्दिष्ट मांग की सूचना तामील कर दी गई है, उसमें देय राशि, धारा 37 की उप-धारा (4) के अंतर्गत प्रोदभूत ब्याज सहित, केरल भूमि कर अधिनियम, 1961 (1961 का अधिनियम 13) के उपबन्धों के अन्तर्गत देय भूल कर के संबंध में सरकार के दावे के अधीन, ऐसी राशि अथवा निर्धारण द्वारा हस्तांतरित सम्पत्तियों पर कोई भाग और ऐसी सम्पत्तियों पर भी भुगतान करने के लिए उत्तरदायी निर्धारिती की सम्पत्ति पर पहला प्रभार होगा।

इस अधिनियम के अन्तर्गत देय किसी राशि की मांग की सूचना प्रपत्र संख्या 18 में होनी चाहिए (नियम 67)

अपील, पुनर्विचार अथवा अन्य कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप मांग में संशोधन (धारा

46)

1. जहां मांग सूचना तामील कर दी गई है और कोई अपील अथवा अन्य कार्यवाही दाखिल की गई है, तब

(क) जहां मांग में किसी राशि की अन्य मांग सूचना के परिणामस्वरूप उस राशि द्वारा, मूल मांग सूचना में कृषि की तामील की जाती है; और उस चरण पर बिना कोई नई सूचना जारी किए जिस चरण पर अपील अथवा कार्यवाही के निपटान से तत्काल पूर्व कार्यवाही चल रही थी। मूल मांग पर कोई कार्यवाही जारी रखी जा सकती है।

(ख) जहां ऐसी अपील अथवा कार्यवाही से मांग घटा दी जाती है, नई मांग सूचना जारी करने की आवश्यकता नहीं होती, सिवाय निर्धारिती तथा ऐसे प्राधिकारी को कमी की सूचना देने के जहां ऐसी मांग की वसूली के लिए किसी अधिकारी या प्राधिकारी को प्रमाणपत्र जारी किया गया हो अथवा आवेदन अथवा मांग-पत्र दिया गया हो किसी मूल मांग सूचना के आधार पर आरम्भ की गई कार्यवाही ऐसे निपटान से तत्काल पूर्व चरण पर जारी रहेगी।

(ग) कोई कार्यवाही मात्र इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगी कि कोई नयी मांग सूचना जारी नहीं की गई थी।

परन्तु यदि किसी अंतिम आदेश के परिणामस्वरूप ऐसी मांग घटा दी गई है और भुगतान देने के व्यतिक्रम के लिए निर्धारिती पर लगायी गई शास्ति इस प्रकार घटायी गई राशि से बढ़ जाती है तो बढी हुई राशि वसूल नहीं को जाएगी और यदि इसकी पहले ही वसूली कर ली गई है तो इसे निर्धारिती को लौटा दिया जाएगा।

2. जहां मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता, किसी नई सूचना की आवश्यकता नहीं है।
3. जहां, किसी, अंतिम आदेश के परिणामस्वरूप किसी कर के भुगतान में व्यतिक्रम के लिए लगाए गए ब्याज की राशि को बातिल/ कम कर दिया जाता है तो ऐसे ब्याज को निरस्त/ अनुपाततः कम कर दिया जाएगा और ब्याज/ अतिरेक ब्याज की राशि को लौटा दिया जाएगा।

पुनरीक्षण/ अपीलीय आदेश के परिणामस्वरूप प्रतिदेय कोई राशि है तो कृषि आयकर अधिकारी अपीली अथवा पुनरीक्षण आदेश प्राप्त होने की तारीख से 6 सप्ताह के भीतर प्रतिदाय आदेश जारी करेगा) (नियम 73) जहां ऐसे अपीली / पुनरीक्षण आदेश के प्रति अपील अथवा पुनरीक्षा दाखिल की जाती है, वरिष्ठ प्राधिकारियों की पूर्वानुमति के, प्रतिदाय को रोका जा सकता है (नियम 74)

संस्था/ कम्पनी के व्यष्टिक सदस्यों के निर्धारण की शक्तियां (धारा 47)

यदि व्यक्तियों की कोई संस्था अथवा कम्पनी उसके किसी एक सदस्य अथवा शेयर धारक के नियंत्रणाधीन है और कि ऐसी संस्था अथवा कम्पनी का गठन अथवा ऐसे व्यक्ति की कर देयता से बचने अथवा कम करने के प्रयोजन से प्रयोग में लाया जा रहा है, कृषि आयकर अधिकारी, आयुक्त की पूर्वानुमति से, आदेश दे सकता है कि ऐसी संस्था/कम्पनी की कृषि आय को उसकी कुल कृषि आय में जोड़ा जाएगा और उसके अनुसार उसका निर्धारण किया जाएगा । पूर्वोक्तानुसार आदेश का अनुमोदन करने से पहले, आयुक्त उस संस्था या कम्पनी को सुनने का एक अवसर प्रदान करेगा । यदि व्यक्ति कर के भुगतान में व्यतिक्रम करता है तो ऐसा कर संस्था अथवा कम्पनी की परिसम्पत्तियों से वसूला जा सकता है ।

विधिक प्रतिनिधियों का दायित्व (धारा 48)

जहां व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, मृतक के विधिक प्रतिनिधित्व निर्धारिती समझे जाएंगे । विधिक प्रतिनिधि उसके द्वारा देय किसी कर के लिए विधिक प्रतिनिधि की क्षमता में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे, यदि कर के लिए दायित्व के समय अनुन्मोचित रहती है, वह मृतक की सम्पदा की किसी परिसम्पत्ति पर, जो अब उसके अधिकार में आ गई हैं, प्रभार सृजित कर सकता है अथवा निपटान अथवा उसके किसी भाग का निपटान कर सकेगा, परन्तु ऐसा दायित्व इस प्रकार प्रभारित, निपटान अथवा परिसम्पत्तियों के किसी भाग के मूल्य तक ही सीमित होगा । विधिक प्रतिनिधि का दायित्व मृतक की परिसम्पत्तियों के उस दायित्व को पूरा करने की सीमा तक ही सीमित होगा ।

प्रतिनिधि - निर्धारिती का दायित्व (धारा 49 और 51)

प्रतिनिधि निर्धारिती का अर्थ निम्न की कृषि आय के संबंध में :

- (i) अनिवासी, द्वारा नियुक्त अथवा उसके निमित्त राज्य में किसी व्यक्ति सहित, अनिवासी का एजेंट अनिवासी होता है; अनिवासी से कोई व्यापारिक सम्बन्ध रखता है; अनिवासी जिससे अथवा जिसके माध्यम से, प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः कृषि आय प्राप्त करता है ; और अनिवासी का न्यासी ;
- (ii) अवयस्क, विक्षिप्त अथवा जड़मति के मामले में उनके निमित्त ऐसी आय प्राप्त करने के अर्हक अभिभावक अथवा प्रबंधक ;
- (iii) न्यायालय के आदेश से नियुक्त प्रतिपाल्य अधिकरण, महाप्रशासक, सरकारी न्यासी अथवा कोई प्रबंधक अथवा रिसीवर, उनके निमित्त कृषि आय प्राप्त करने वाला कोई व्यक्ति ।
- (iv) न्यास के अधीन नियुक्त न्यासी, न्यासी प्राप्तकर्ता अथवा कृषि आय प्राप्त करने का पात्र ।

प्रत्येक प्रतिनिधि निर्धारिती को निर्धारिती समझा जाएगा ।

धारा 50

प्रत्येक प्रतिनिधि न्यासी, अपने स्वयं के नाम से निर्धारण के लिए उत्तरदायी है क्योंकि आय उसके द्वारा प्राप्त की गई थी, किन्तु ऐसा निर्धारण उसकी प्रतिनिधि क्षमता में ही किया गया समझा जाएगा, और उस पर कर लगाकर उससे उसी ढंग से और उसी सीमा तक वसूला जाएगा जैसा कि यह उस व्यक्ति पर लगाया व वसूला जाता जिसका वह प्रतिनिधित्व कर रहा है।

धारा 53

प्रतिनिधि निर्धारिती में निहित अथवा नियंत्रणाधीन अथवा प्रबंधन में किसी प्रकार की सारी सम्पत्ति के प्रति, कृषि आयकर अधिकारी के पास वही उपचार रहेंगे जैसे कि वह कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति की सम्पत्ति के प्रति रखता रहा होगा, चाहे मांग प्रतिनिधि निर्धारिती के प्रति की जाए या सीधे लाभार्थी के प्रति ।

कारोबार के उत्तराधिकार पर निर्धारण (धारा 54)

जहां कोई व्यक्ति ऐसा कारोबार कर रहा हो जिससे कृषि आय हो रही है उस पर किसी अन्य व्यक्ति ने स्थान प्राप्त कर लिया है , वहां पिछले वर्ष की कृषि आय पर कर निर्धारण प्रत्येक के वास्तविक हिस्से के अनुसार किया जाएगा ।

परन्तु, जब उत्तरवर्ती व्यक्ति पाया न जा सके, उत्तराधिकार की तारीख तक और उस वर्ष के पूर्ववर्ती वर्षों के लिए निर्धारण उसके उत्तरवर्ती व्यक्ति पर किया जाएगा और यह भी कि जब ऐसे वर्षों के लिए निर्धारित कर उत्तरवर्ती से वसूल नहीं किया जा सकता तो उत्तरवर्ती व्यक्ति से वसूली योग्य और प्राप्त हो जाएगा ।

बंद कर दिये गए कारोबार के मामले में निर्धारण (धारा 58)

जहां कृषि आय किसी कम्पनी, फर्म अथवा व्यक्तियों की संस्था द्वारा प्राप्त की जाती है और ऐसी आय अर्जन करने वाला कारोबार किसी वर्ष में बंद कर दिया जाता है वहां पिछले वर्ष में प्राप्त कृषि आय के आधार पर किए गए निर्धारण, यदि हैं, के अतिरिक्त पिछले वर्ष की समाप्ति से पहले और कारोबार बंद करने की तारीख के बीच की अवधि में प्राप्त कृषि आय पर उस वर्ष में निर्धारण किया जा सकता है वह भी धारा 35 (2) की सारी अपेक्षाओं से युक्त सूचना जारी करने के बाद ।

व्यापार बंद करने वाले व्यक्तियों को ऐसे बंद करने के 30 दिन की अवधि के भीतर एक सूचना देनी चाहिए । बंद करने के बाद प्राप्त कोई राशि प्राप्तकर्ता की कृषि आय समझी जायेगी व उसकी प्राप्ति के वर्ष में कर प्रभार्य होगी, जैसे कि ऐसी राशि उस व्यक्ति की कृषि आय में शामिल की जाती रही होगी जैसे वह कारोबार बंद करने से पहले प्राप्त कर रहा था ।

फर्म / सहयोजन समाप्ति के मामले में निर्धारण (धारा 59)

जहां कृषि आय एक फर्म अथवा व्यक्तियों के सहयोजन द्वारा प्राप्त की जाती है, और कारोबार बंद कर दिया जाता है अथवा ऐसी फर्म या व्यक्तियों का सहयोजन समाप्त हो जाता है, कृषि आयकर अधिकारी फर्म अथवा व्यक्तियों के सहयोजन की कृषि आय का निर्धारण ठीक उसी प्रकार करेगा जैसे कि कारोबार बंद अथवा समाप्त न हुआ हो और कि प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसे बंद होने अथवा समाप्ति के समय एक साझेदार अथवा व्यक्तियों के सहयोजन का सदस्य था और ऐसे किसी व्यक्ति का विधिक प्रतिनिधि जो मृतक है, संयुक्त रूप से और पृथक – पृथक कर की राशि और लगायी गई शास्ति अथवा अन्य भुगतान योग्य राशि देने का उत्तरदायी है।

किसी व्यक्ति, साझेदार अथवा फर्म के सदस्य अथवा व्यक्तियों के सहयोजन और इसके विपरीत द्वारा किसी सम्पत्ति का हस्तांतरण को पंजीकरण अधिनियम 1908 के अंतर्गत पंजीकृत किया जाएगा।

परिसमापन में कम्पनी का निर्धारण (धारा 60)

1. परिसमाप्त हो रही किसी कम्पनी के परिसमापक अथवा रिसीवर को अपनी नियुक्ति के 30 दिन के भीतर इस तथ्य की सूचना कृषि आयकर अधिकारी को देनी चाहिए।
2. कृषि आयकर अधिकारी, तत्पश्चात तीन महीने के भीतर, आवश्यक जांच – पड़ताल करने के बाद परिसमापक को कर के लिए राशि रखने की सूचना देगा।
3. परिसमापक, आयुक्त की इजाजत के बिना कम्पनी की किसी परिसम्पत्ति अथवा सम्पत्ति को विलग नहीं करेगा जब तक कि उसे अधिसूचित न किया गया हो राशि को पृथक न कर दिया गया हो।
4. यदि परिसमापक उप-धारा (1) अथवा (3) के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहता है तो वह उस कर के भुगतान के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा जिसे कम्पनी को भुगतान करना चाहिए था।

परन्तु यदि राशि उप धारा (2) के अधीन अधिसूचित है तो व्यक्तिगत दायित्व उस सीमा तक होगा।

5. जहां एक से अधिक परिसमापक हों, तो बाध्यता और दायित्व सभी समापकों का संयुक्त रूप से और पृथक – पृथक रूप से रहेगा।

धारा 61

जहां किसी निजी कम्पनी से किसी पिछले वर्ष का देय कर वसूल नहीं किया जा सकता, वहां संगत पिछले वर्ष के दौरान किसी समय निजी कम्पनी का निदेशक रहे प्रत्येक व्यक्ति संयुक्त रूप से और पृथक – पृथक रूप से ऐसे देय का भुगतान करने का उत्तरदायी होगा जब तक कि वह यह साबित न कर दे कि कम्पनी के काम काज के मामले में उसकी ओर से कोई गलती नहीं हुई जिसके कारण वसूली नहीं हो पाई हो ।

निर्धारण जब सम्पत्ति का हक विवादास्पद हो (धारा 55)

- (1) जब किसी सम्पत्ति का हक, जिससे कृषि आय व्युत्पन्न होती है अथवा इस अधिनियम के अंतर्गत कर अदा करने के लिए दायी है, विवादास्पद हो क्या किसी न्यायालय में इस मुद्दे के निर्णय लिए कोई वाद लम्बित है या नहीं, ऐसी स्थिति में ऐसी सम्पत्ति से प्राप्त कृषि आय उस व्यक्ति की निर्धारित की जायेगी जो सम्पत्ति का धारक है अथवा जो उससे आय व्युत्पन्न कर रहा है, इसमें प्रशासक अथवा सरकारी रिसीवर भी शामिल हैं ।
- (2) उप – धारा (1) के प्रयोजन से कृषि आय की संगणना में वाद के प्रत्येक पक्ष की कुल कृषि आय अथवा जो सम्पत्ति के हक का दावा कर रहा है, जो भी अधिक हो, को इसमें शामिल किया जाना चाहिए । कर की गणना इस कुल कृषि आय पर की जानी चाहिए और उस व्यक्ति, जिसकी कुल कृषि आय इस प्रकार जोड़ी गई थी, से पहले से मांग किये गए कर को घटाने के बाद, शेष कर का उस व्यक्ति पर निर्धारण करना चाहिए जो सम्पत्ति धारण किये हुए है अथवा उससे कृषि आय व्युत्पन्न करता है ।
- (3) कोई व्यक्ति, जो विवादास्पद किसी सम्पत्ति का धारक है और उससे कृषि आय व्युत्पन्न करता है । वह प्रशासक अथवा सरकारी रिसीवर भी हो सकता है, वह इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में अधिनियम के अंतर्गत देय कर का भुगतान करेगा और वसूली की किसी अन्य विधि पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उससे वसूली योग्य होगी जैसे कि यह कर उस पर अधिरोपित किया गया हो ।

- (4) कृषि आयकर अधिकारी, इस धारा के अंतर्गत पारित किसी आदेश की समीक्षा उस स्थिति में कर सकता है जब सम्पत्ति पर विवाद अंततः निपटा लिया गया हो और इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में ऐसे अंतिम निपटारे की तारीख से 4 वर्षों के भीतर कर का पुनर्निर्धारण कर लिया हो।
- (5) यदि उपर्युक्त उप – धारा (4) के अंतर्गत पारित किसी आदेश के परिणामस्वरूप, कोई राशि देय पायी जाती है तो यह उस व्यक्ति से मांगी जायेगी जिसके पक्ष में विवाद का अंतिम निपटारा हुआ है और साथ ही उससे अथवा इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उसकी सम्पत्ति से वसूली के लिए शेष देय कर की मांग भी की जानी चाहिए।

राज्य से प्रस्थान के मामलों में निर्धारण (धारा 56)

जहां कृषि आयकर अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि कोई व्यक्ति राज्य में किसी भूमि पर अपने अधिकार, हक और हित का अन्य संक्रमण चाहता है और ऐसा व्यक्ति वित्तीय वर्ष के दौरान अथवा समाप्ति के बाद शीघ्र ही राज्य छोड़ देगा और इस समय उसकी वापस लौटने की कोई मंशा नहीं है, कृषि आयकर अधिकारी पिछले पूर्व वर्ष की समाप्ति की अवधि, जिसके लिए उसका निर्धारण किया गया था, से लेकर राज्य से उसके प्रस्थान की सम्भावित तारीख तक विवरणी पेश करने की सूचना तामील करने के पश्चात, कृषि आयकर अधिकारी द्वारा आकलित कुल कृषि आय पर पूर्वोक्त अवधि के लिए उसका निर्धारण करने की कार्यवाही करेगा।

सम्पत्ति का हस्तांतरण कर रहे व्यक्तियों का निर्धारण (धारा 57)

1. जहां निर्धारिती सम्पत्ति का हस्तांतरण करता है, अंतरक और अंतरिकी को अपने कृषि आय के वास्तविक हिस्से का निर्धारण करना चाहिए।
2. जब अंतरण पाया नहीं जा सकता, अंतरण की तारीख तक उस वर्ष के पूर्व वर्षों तक निर्धारण अंतरिती का करना चाहिए और जब ऐसी अवधि/वर्षों के लिए कर निर्धारण अंतरक से वसूल नहीं किया जा सकता, तो इसे अंतरिती द्वारा देय और वसूली की जानी चाहिए।
3. सम्पत्ति को अंतरित करने वाले निर्धारिती को यह तथ्य उसके 15 दिन के भीतर कृषि आय कर अधिकारी को सूचित करना चाहिए।

कर का संग्रहण और शास्तियां

कर का भुगतान, शास्तियां आदि (धारा 62)

1. इस अधिनियम के अंतर्गत देय कोई राशि, उद्भूत ब्याज से भिन्न, धारा 45 के अधीन मांग की सूचना में निर्दिष्ट समय के अनुसार भुगतान की जानी चाहिए, जो ऐसे भुगतान के आदेश की तारीख से 30 दिन से कम नहीं होनी चाहिए।
2. यदि राशि का भुगतान निर्दिष्ट समय के भीतर नहीं हो पाता है, निर्धारिती को व्यक्ति कमी समझा जायेगा :
परन्तु कि, निर्धारिती को उस स्थिति में व्यतिक्रमी नहीं समझा जायेगा यदि उसने अपील अथवा पुनरीक्षण प्राधिकारी से उपयुक्त आदेश प्राप्त कर लिए हैं जब कोई अपील अथवा पुनरीक्षण लम्बित हो।
3. जहां और किसी कार्यवाही के लम्बन के दौरान, निर्धारिती प्रदत्त परिसम्पत्तियों पर प्रभार सृजित करता है अथवा अंतरण की किसी भी विधि द्वारा कब्जे से अलग होता है तो ऐसा प्रभार अथवा अंतरण शून्य होगा।

कर व्यतिक्रम में होने पर देय शास्ति (धारा 63)

जब कोई निर्धारिती कर का भुगतान करने में चूक करता है तो वह बकाया राशि और धारा 37 (4) के अनुसार देय ब्याज की राशि के अतिरिक्त, शास्ति के रूप में ऐसी राशि का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगा जो कृषि आयकर अधिकारी निदेश दे, और यदि वह निरंतर चूक करता है तो और अतिरिक्त राशि अथवा राशियां जैसी कि कृषि आयकर अधिकारी समय – समय पर निदेश देता है देने का उत्तरदायी होगा। तथापि शास्ति की कुल राशि बकाया कर की राशि से अधिक नहीं होगी।

परन्तु कि, ऐसी शास्ति उद्गृहीत करने से पहले, निर्धारिती को सुनने का पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए।

बकाया की वसूली का ढंग (धारा 64)

1. कृषि आयकर अधिकारी निर्धारिती से देय बकाया राशि निर्दिष्ट करते हुए अपने हस्ताक्षरों के अधीन कलेक्टर को एक प्रमाण – पत्र प्रस्तुत करेगा। ऐसा प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर कलेक्टर ऐसे निर्धारिती से प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट राशि की वसूली की कार्यवाई शुरू करेगा जैसे कि यह राशि भू – राजस्व की बकाया राशि है।
2. कृषि आयकर अधिकारी इस बात के होते हुए भी कि बकाया राशि की वसूली की कार्यवाही किसी अन्य ढंग से की गई है। उप – धारा (1) के अंतर्गत प्रमाणपत्र जारी कर सकता है।

शास्तियों की वसूली (धारा 66)

इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कोई शास्ति अथवा देय व्याज उसी ढंग से वसूली योग्य है जिस प्रकार कर की वसूली की जाती है।

वसूली के अन्य ढंग (धारा 65)

उप धारा 1 से 5

कृषि आयकर अधिकारी लिखित सूचना द्वारा किसी व्यक्ति को जिससे राशि देय है अथवा निर्धारिती से देय हो जायेगी अथवा किसी व्यक्ति को जो राशि धारण किये हुए है अथवा बाद में राशि धारित करेगा अथवा निर्धारिती की ओर से, ऐसे व्यक्ति सहित जो किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से राशि धारित करता है जो कृषि आयकर अधिकारी को सूचना में निर्दिष्ट समय के भीतर भुगतान करनी है, कि द्वारा देय उतनी राशि बकाया के रूप में अथवा पूरी राशि जब वह उस राशि के समान अथवा कम हो। यह सूचना निर्धारिती को उसके अंतिम ज्ञात पते पर और सभी संयुक्त लेखा धारकों भी उनके अंतिम ज्ञात पते पर भेजी जानी चाहिए और ऐसे व्यक्ति ऐसी सूचना का अनुपालन करने के लिए बाध्य होंगे और जहां ऐसी सूचना किसी डाक घर, बैंकिंग कम्पनी अथवा बीमाकार को जारी की जाती है। वहाँ यह आवश्यक नहीं होगा कोई पास बुक, जमा रसीद बीमा, किसी प्रविष्टि, पृष्ठांकन अथवा इस जैसी प्रविष्टियां भुगतान से पहले करना किसी नियम, प्रथा अथवा अपेक्षा के प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी आवश्यक नहीं होगी।

उस सम्पत्ति के बारे में कोई दावा, जिस पर इस धारा के अंतर्गत सूचना जारी की गई है, सूचना की तारीख के बाद इस सूचना में अन्तर्विष्ट की भांग के प्रति शून्य होगी।

उप - धारा 6

जहां कोई व्यक्ति, जिसे ऐसी सूचना भेजी जाती है, शपथ द्वारा आपत्ति कर सकता है कि मांगी गई शक्ति अथवा उसका कोई भाग निर्धारिती द्वारा देय नहीं है अथवा उसके पास निर्धारिती की ओर से कोई राशि नहीं है तब ऐसे व्यक्ति को राशि देना अपेक्षित नहीं है किन्तु यदि यह पाया जाता है ऐसा कथन किसी विशिष्ट विषय वस्तु में गलत या तो वह निर्धारिती की देयता के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा जो सूचना की तारीख को निर्धारिती की देयता उसकी अपनी देयता की सीमा तक सीमित होगी।

उप - धारा 9

इस धारा के अधीन सूचना की प्राप्ति के पश्चात निर्धारिती की देयता को उन्मोचित कर रहा कोई व्यक्ति, इस प्रकार उन्मोचित निर्धारिती के प्रति अपनी देयता की सीमातक कृषि आयकर अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा अथवा इस अधिनियम के अन्तर्गत देय किसी भी राशि के लिए निर्धारिती की देयता की सीमा तक, जो भी कम हो उत्तरदायी होगा।

उप - धारा 10

यदि कोई व्यक्ति, जिसे इस धारा के अन्तर्गत सूचना जारी की गई है, उसके अनुसरण में भुगतान करने में असफल रहता है, तो उसे चुककर्ता निर्धारिती समझा जाना चाहिए और राशि की वसूली के लिए उसके विरुद्ध आगे की कार्रवाई की जा सकती है जैसे कि यह उसके कर का बकाया था।

उप - धारा 11

कृषि आयकर अधिकारी उस न्यायालय में आवेदन कर सकता है जिसकी अभिरक्षा में उसे भुगतान करने के लिए निर्धारिती से सम्बन्धित राशि रखी है, ऐसी सारी राशि के लिए अथवा यह देय राशि से अधिक है तो उस राशि के लिए जिसके पर्याप्त उन्मोचन हो जाए।

वाद द्वारा वसूली (धारा 67)

कृषि आयकर अधिकारी अथवा सरकार पर कोई रोक नहीं है कि ऊपर विनिर्दिष्ट किसी ढंग द्वारा निर्धारिती से वसूली की जा रही है। किसी बात के होते हुए भी वसूली के लिए किसी विधि अथवा वाद का रास्ता भी अपना सकती है।

अध्याय VIII

अपील, पुनरीक्षण और प्रतिदाय

कृषि आयकर अधिकारी द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपील (धारा 72)

उप - धारा 1 से 4

निर्धारिती कृषि आयकर अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध और आई ए सी के आदेशों के विरुद्ध उपयुक्त को निर्धारित प्रपत्र में रु 300/-के शुल्क के साथ ऐसे आदेश की तामील से 30 दिन की अवधि में अपील कर सकता है : जिसे अपीली प्राधिकारी द्वारा बढ़ाया भी जा सकता है यदि वह संतुष्ट हो कि अपीलार्थी के पास पर्याप्त हेतु ये कि वह उस अवधि के दौरान अपील प्रस्तुत नहीं कर सका। अपीली सहायक आयुक्त केपर को अभिमुक्ति दे दी गई है व इस कार्य को 1-4-2005 से उपायुक्त (अपील) को सौंप दिया गया है।

जब अपील निर्धारित सीमा के बाद प्रस्तुत की जाती है तो इसे विलम्ब के लिए माफी नामे के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। साथ ही विलम्ब के कारणों के समर्थन में अन्य दस्तावेज व शपथ - पत्र भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए। (नियम 80)

उप - धारा 5

इस धारा के अंतर्गत तब तक कोई अपील स्वीकार नहीं की जायेगी जब तक कि अपील प्रस्तुत करते समय, निर्धारिती ने उसके द्वारा स्वीकृत कृषि आयकर देय कर जमा न करा दिया हो।

उप - धारा 7

अपीलार्थी अथवा कृषि आयकर अधिकारी अथवा आई ए सी, जैसा भी मामला हो, के पास व्यक्तिगत तौर पर अथवा अभिकर्ता के माध्यम से सुना जाने का अधिकार होगा।

उप - धारा 10

यदि अपीली प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि अपील के प्रपत्र में इस आधार का लोप जान बूझकर नहीं किया गया था तो वह अपील की सुनवाई के समय अपीलार्थी

को अपील का ऐसा कोई आधार प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है जिसे अपील के कारणों में निर्दिष्ट न किया जा सका हो।

उप - धारा 11 और 12

अपील के निपटान से संबंधित ए ए सी अथवा उपायुक्त के आदेश लिखित में होने चाहिए और वह अवधारणा के बिन्दुओं उस पर लिए गए निर्णय और निर्णय लेने के कारणों का उल्लेख करेगा तथा वह आदेश निर्धारिती और विभाग के संबंधित अधिकारियों को भी देगा।

अपील से संबंधित आदेश अपीलार्थी व विभाग के अधिकारियों को अपील की अंतिम सुनवाई की तारीख से 30 दिन के भीतर संसूचित किया जाएगा। (नियम 84)

उप - धारा 13

(क) अपील के निपटान में अपीली प्राधिकारी के पास निम्नलिखित शक्तियां होंगी :-

निर्धारण आदेश के विरुद्ध अपील में निर्धारण की पुष्टि, कम करने, बढ़ाने अथवा बातिल करने अथवा अपास्त करने अथवा अपीली प्राधिकारी द्वारा जारी निदेशों के अनुसार तथा निर्धारण करने के लिए निर्धारण प्राधिकारी को लौटाना अथवा ऐसे अन्य आदेश जारी करना जिसे वह उचित समझे।

(ख) शास्ति अधिरोपित करने के आदेशों के विरुद्ध अपील में, वह ऐसे आदेश की पुष्टि कर सकता है अथवा ऐसे आदेश को निरस्त कर सकता है अथवा शास्ति को बढ़ाने या घटाने के लिए परिवर्तन कर सकता है।

उप - धारा 14

अपीली प्राधिकारी निर्धारण अथवा शास्ति में वृद्धि अथवा प्रतिदाय को तब तक नहीं घटा सकता जब तक कि अपीलार्थी को ऐसी वृद्धि अथवा घटाव के संबंध में कारण बताने का उपयुक्त अवसर न दे दिया जाए।

उप - धारा 16

इस धारा के अंतर्गत प्रस्तुत अपील के होने पर भी कर व अन्य राशि का उस आदेश के अनुसार भुगतान करना होगा जिसके विरुद्ध अपील की गई है :

बशर्तेकि, अपीली प्राधिकारी कर के भुगतान के बारे में, अपील के निपटान से पूर्व ऐसे आदेश दे ।

धारा 72 में “व्यथित निर्धारिती” निर्दिष्ट है जबकि नियम 76 में “व्यथित व्यक्ति” । दोनों ही उपबंधों के सुसंगत पठन पर, विशेषकर इस संदर्भ में कि यह अपील दायर करने के अधिकार के बारे में हैं, यह अभिनिर्धारित किया जायेगा कि कृषि आयकर अधिकारी द्वारा पारित आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति ए ए सी को अपील कर सकता है । सम्पत्ति का अंतरिती जो अंतरक से देय कृषि आयकर की वसूली के लिए धारा 57 के अन्तर्गत उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही करता है तो व्यथित व्यक्ति है और निर्धारण आदेश के विरुद्ध अपील दायर कर सकता है – बिनोद कुरियन बनाम ए आई टी ओ 1997 (2) के एल टी 922

अपील अधिकरण को अपील (धारा 74)

उप – धारा (1)

कोई निर्धारिती अपील अधिकरण को निम्नलिखित के विरुद्ध अपील कर सकता है :-

- (क) धारा 72 में निर्दिष्ट अपीली प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध ; और
- (ख) आई ए सी अथवा डी सी द्वारा अधिरोपित शास्ति आदेश ।

उप – धारा (2)

यदि इस निमित्त सरकार द्वारा सशक्त कोई अधिकारी, धारा 72 के अंतर्गत पारित किसी आदेश पर आपत्ति करता है तो वह अपील अधिकरण को अपील कर सकता है ।

उप – धारा (3)

उपर्युक्त उप – धारा (1) और (2) के अन्तर्गत प्रत्येक अपील उस आदेश के जिसके विरुद्ध अपील की वांछा है निर्धारिती अथवा संबंधित प्राधिकारी को तामील होने की तारीख से 60 दिन की अवधि में की जानी चाहिए।

उप – धारा (4)

इस सूचना की प्राप्ति पर कि उप – धारा (1) अथवा (2) के अंतर्गत अपील दाखिल की गई है, सूचना की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर दूसरा पक्ष ए ए सी अथवा डी सी के आदेश के किसी भाग के विरुद्ध प्रत्याक्षेप ज्ञापन दायर करेगा और ऐसे ज्ञापन का निपटारा अपील अधिकरण करेगा जैसे कि यह अपील उप – धारा (3) में निर्दिष्ट समय के भीतर दायर की गई हो।

उप- धारा (5)

अपील अधिकरण उप – धारा (3) अथवा (4) के अंतर्गत निर्धारित समय सीमा में उस स्थिति में छूट दे सकता है यदि वह उस संबंध में संतुष्ट हो जाता है कि इसे उस समयावधि के भीतर प्रस्तुत न कर सकने के पर्याप्त कारण मौजूद हैं।

उप – धारा (6)

अपील अधिकरण को अपील निर्धारित प्रपत्र में होनी चाहिए और, सिवाए उप – धारा (2) में निर्दिष्ट अपील अथवा प्रत्याक्षेप ज्ञापन के मामले के, रु 700/- के शुल्क के साथ प्राप्त होनी चाहिए।

उप – धारा (8)

निर्धारिती और शक्ति प्राप्त अधिकारी द्वारा ए ए सी अथवा डी सी के उन्हीं आदेशों के विरुद्ध अपील अथवा प्रत्याक्षेप, दोनों में से किसी भी पक्ष द्वारा दायर कर दिये जाने पर दोनों ही अपीलें, प्रत्याक्षेपों सहित, यदि हो, एक साथ सुनी जायेंगी और एक सामान्य आदेश द्वारा निपटा दी जायेंगी।

उप – धारा 10

(क) अपीलार्थी अथवा प्रत्यर्थी अपील अधिकरण द्वारा पारित किसी आदेश के पुनरीक्षण के लिए, किसी नए और महत्वपूर्ण मुद्दे का पता लगने पर, आवेदन कर सकते हैं, जो अति तत्परता करने पर भी उसके संज्ञान में नहीं या अथवा जब आदेश दिया गया था, उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सका था।

परन्तु, ऐसा कोई आवेदन एक ही आदेश के संबंध में एक से अधिक बार दाखिल नहीं किया जा सकता।

(ख) पुनरीक्षण के लिए आवेदन निर्धारित ढंग से और आदेश की संसूचना के एक वर्ष के भीतर दायर होना चाहिए, और जहां आवेदन निर्धारिती द्वारा किया जा रहा है तो उसके साथ रु. 100/- का शुल्क भी होना चाहिए।

उप – धारा (11)

धारा 78 में यथा उपबंधित के सिवाय (यानी उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण) अपील अधिकरण द्वारा अपील के संबंध में पारित आदेश अंतिम होंगे।

उप – धारा (13)

इस बात के होते हुए भी कि उप- धारा (1) के अधीन एक अपील दायर की गई है, कर अथवा अन्य राशि का उस आदेश के अनुसार भुगतान किया जाता चाहिए जिस के विरुद्ध अपील को अधिमन्यता दी गई है :

परन्तु अपील अधिकरण, अपने विवेकानुसार, अपील के निपटान से पहले, कर के भुगतान के बारे में उपयुक्त आदेश दे सकता है।

अधिकरण अपील अथवा पुनरीक्षण की अंतिम सुनवाई से 30 दिन के भीतर आदेश संसूचित करेगा। (नियम 90)

उपायुक्त द्वारा स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण (धारा 75)

उप – धारा (1)

उपायुक्त अपनी स्वप्रेरणा से अपने अधीनस्थ सिवाय ए ए सी के किसी प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश अथवा दर्ज की गई कार्यवाहियों से संबंधित अभिलेखों को मंगाकर उनका परीक्षण कर सकता है, जो उनके अभिमत में राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है और ऐसी पूछताछ करके उपायुक्त आदेश पारित कर सकता है।

उप – धारा (2)

यदि कोई अपील प्रस्तुत की गई हो अथवा उच्च न्यायालय से याचिका दायर की गई हो अथवा आदेश पारित करने के बाद 4 वर्ष से अधिक की अवधि पूरी हो चुकी हो तो उपायुक्त को ऐसा कोई पुनरीक्षण नहीं करना चाहिए। इसमें वह अवधि नहीं जोड़ी जायेगी जिसके दौरान किसी न्यायालय ने आदेश द्वारा अथवा व्यादेश द्वारा इस धारा के अंतर्गत किसी कार्यवाही पर रोक लगायी गई थी।

उप – धारा (3)

उप – धारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपायुक्त किसी प्रश्न पर जिसे विचारार्थ उठाया न गया हो अथवा अपील में अथवा उप – धारा (2) में निर्विष्ट पुनरीक्षण में निर्णय नहीं लिया गया हो, ऐसी अपील अथवा पुनरीक्षण में आदेश की तारीख से एक वर्ष की अवधि की समाप्ति से पहले अथवा 4 वर्ष की अवधि की समाप्ति से पहले, जो भी बात में हो, उप – धारा (1) के तहत आदेश पारित कर सकता है।

उपायुक्त द्वारा स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण (धारा 76)

उप – धारा (1)

उपायुक्त अपनी स्वप्रेरणा से उसके अधीनस्थ किसी प्राधिकारी से, ए ए सी और डी सी सहित, संबंधित अभिलेख अथवा कोई आदेश अथवा कार्यवाही मंगा कर परीक्षण कर सकता है, जो उसके अभिमत में राजस्व के प्रतिकूल है और आवश्यक जांच पड़ताल करके उपायुक्त आदेश पारित कर सकता है।

उप – धारा (2)

यदि आदेश के विरुद्ध अपील का समय समाप्त नहीं हुआ है अथवा अपील ऐसी, डीसी या अपील अधिकरण को प्रस्तुत की गई हो या उच्च न्यायालय में पुनः परीक्षण के लिए दी गई हो और यदि चार वर्ष से अधिक हो स्थगन और निषेधादेश की अवधि को छोड़कर- आदेश पारित होने के बाद बीत गया हो आयुक्त को ऐसा संशोधन करना नहीं चाहिए।

उप – धारा (3)

उपभाग (2) में सम्मिलित किसी प्रतिकूल तथ्य के होते हुए भी उपायुक्त, उपभाग (1) के अंतर्गत आदेश पारित कर सकते हैं यदि कोई बिन्दु जो पहले ध्यान में न लाया गया हो या जिसका निर्णय न हुआ हो या जो अपीलीय ट्रिब्यूनल या उच्च न्यायालय के समक्ष, पुनः परीक्षण के लिए लाया गया हो इस अपील से संबंधित आदेश पारित होने के 1 वर्ष के समय तक या 4 वर्ष का समय समाप्त होने तक जो भी बाद में हो

आवेदन पर आयुक्त द्वारा पुनरीक्षण (धारा 77)

कोई व्यक्ति जिसे उपायुक्त द्वारा धारा 16 अथवा धारा 75 के अन्तर्गत पारित आदेश पर आपत्ति हो वह आदेश की संसूचना के 30 दिन की अवधि के भीतर – प्रामाणिक मामलों में आयुक्त द्वारा शिथिलनीय – ऐसे आदेश के पुनरीक्षण के लिए आयुक्त के समक्ष रु. 700/- के शुल्क के साथ निर्धारित प्रपत्र में आवेदन कर सकता है।

प्रतिदाय (धारा 68)

इस अधिनियम के अंतर्गत उस वर्ष के लिए सम्पत्ति पर प्रमार्ग राशि से अधिक राशि का भुगतान करने वाले व्यक्ति धारा 37 के अन्तर्गत अग्रिम कर सहित – भुगतान की गई अधिक राशि के प्रतिदाय का अर्हक है। यदि प्रतिदाय तीन महीने की अवधि के भीतर नहीं किया जाता तो तीन महीने की अवधि की समाप्ति की तारीख से ऐसी राशि पर 15% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज देय होगा। जहाँ प्रतिदाय अपील अथवा अन्य कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप देय हो तो प्रतिदाय इसके निमित्त किसी दावे के बिना किया जाना चाहिए।

कुछ विशेष मामलों में प्रतिदाय का दावा करने का पात्र व्यक्ति (धारा 69)

उप – धारा (1)

जहां एक व्यक्ति की कृषि आय को इस अधिनियम के किसी उपबंध के अंतर्गत किसी अन्य व्यक्ति कृषि आय में जोड़ दिया गया हो, ऐसा अन्य व्यक्ति ऐसी आय के संदर्भ में इस अध्याय के अंतर्गत प्रतिदाय का पात्र होगा।

उप-धारा (2)

यदि मृत्यु, अक्षमता, दिवालियापन, समापन अथवा अन्य कारण से कोई व्यक्ति उसे देय प्रतिदाय का दावा करने अथवा प्राप्त करने में असमर्थ है, उसका विधिक प्रतिनिधि अथवा न्यासी अथवा अभिभावक अथवा रिसीवर, जैसा भी मामला हो ऐसे व्यक्ति अथवा उसकी सम्पदा के हित में ऐसे प्रतिदाय का दावा करने अथवा प्राप्त करने का पात्र होगा।

कुछ मामलों में प्रतिदाय रोकने की शक्ति (धारा 70)

जहाँ प्रतिदाय किसी अपील अथवा कोई अन्य अतिरिक्त कार्यवाहियों की विषय वस्तु हो और कृषि आयकर अधिकारी का यह अभिमत है कि प्रतिदाय की मंजूरी से राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है, वह ऐसे उच्च प्राधिकारी, जैसा निर्धारित किया गया हो, के पूर्वानुमोदन से उस समय तक प्रतिदाय को रोक सकता है जितनी कि ऐसा उच्च प्राधिकारी नियत करे।

देय राशि के प्रति प्रतिदाय का मुजरा करना (धारा 71)

कृषि आयकर अधिकारी, आई ए सी, ए ए सी उपायुक्त अथवा आयुक्त प्रतिदाय की देय राशि को कर, शास्ति अथवा ब्याज, जो सरकार को देय शेष है, के प्रति मुजरा कर सकता है।

अध्याय IX

अपराध और शास्तियां

शास्तियां (धारा 79)

उप - धारा (1)

यदि कृषि आयकर अधिकारी, आई एसी, ए ए सी, उपायुक्त, आयुक्त अथवा अपील अधिकरण इस बात से संतुष्ट है कि कोई व्यक्ति :-

(क) बिना किसी युक्तियुक्त कारण के निर्धारित समय के भीतर विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहा है; अथवा

(ख) धारा 38 (1) अथवा 39(2) के अन्तर्गत जारी सूचना अथवा समन करने अथवा कोई दस्तावेज़ अथवा लेखे प्रस्तुत करने अथवा धारा 27 के अन्तर्गत लेखे या दस्तावेज़ प्रस्तुत करने में असफल रहा है; अथवा

(ग) अपनी कृषि आय के विवरण अथवा विस्तार के विवरण को छिपाया है, अथवा ऐसी आय या विस्तार के गलत विवरण प्रस्तुत किये हैं; अथवा

(घ) कोई कम्पनी, फर्म अथवा व्यक्तियों के संगम द्वारा व्यापार को बंद करने पर धारा 58

(2) की अपेक्षाओं के अनुरूप सूचित करने में असफल; अथवा

ड) इस अधिनियम की किसी भी धारा के उपबंधों का जानबूझकर उल्लंघन किया है, जिसके लिए इस अधिनियम में कोई अभिव्यक्त शास्ति अथवा दण्ड की व्यवस्था नहीं की गई है;

शास्ति आरोपित कर सकता है जो देय कर से अधिक नहीं होगा जहां कर की राशि को परिमाणित करना व्यवहार्य में है और अन्य मामलों में पांच हजार रुपये से अधिक की राशि नहीं।

देय कर की राशि का अर्थ मूल, अपील अथवा पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा निश्चित कर से

है। यदि अधिकारी द्वारा कर के परिमाण को कम कर दिया जाता है, तो छिपायी गई

आयकर निर्धारिती द्वारा देय शास्ति की राशि में समानुपातिक कटौती कर दी जायेगी।

मनी जोसफ बनाम केरल सरकार 1997 (2) के एल टी 939 ; 1997 के एल जे (कर मामले)

510

उप - धारा (2)

इस धारा में किसी बात के होते हुए भी: -

(क) जहां कोई व्यक्ति धारा 35(2) अथवा 41(1) के अंतर्गत सूचना का अनुपालन करने में असफल रहता है, साबित करता है कि उसकी कोई आय कर योग्य नहीं है, उप – धारा (1) के अंतर्गत शास्ति के रु.100/- से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ख) कर के निर्धारण योग्य किसी व्यक्ति पर कोई शास्ति विवरणी प्रस्तुत करने में असफल के लिए अनिवासी के अभिकर्ता के रूप में आरोपित नहीं की जायेगी।

उप – धारा (3)

कोई शास्ति तब तक आरोपित नहीं की जानी चाहिए जब तक कि उस व्यक्ति को सुनने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया जाता।

उप – धारा (4)

जिस कृत्य के लिए शास्ति आरोपित की गई है, उसके लिए कोई अभियोजन आरम्भ नहीं किया जायेगा।

उप – धारा (5)

यदि ए ए सी / उपायुक्त / आयुक्त शास्ति आरोपित करता है, आदेश की प्रति तत्काल संबंधित कृषि आयकर अधिकारी अथवा आई ए सी को भेजी जानी चाहिए।

अपराध

कोई व्यक्ति जो धारा 28 (धारा 80) के अंतर्गत लेखाओं की तलाशी, जब्ती, परीक्षण में बाधा डालता है, अथवा कोई व्यक्ति घोषणा में गलत विवरण देता है (धारा 82) अथवा कोई व्यक्ति बिना किसी पर्याप्त कारण के विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है अथवा सूचना की आपूर्ति का गलत विवरण देता है, वह कारावास से अथवा जुर्माने से अथवा दोनों, जैसा भी मामला हो, दण्डनीय है। किसी व्यक्ति के विरुद्ध धारा 80, 81 और 82 के अंतर्गत किसी अपराध के लिए कार्रवाई नहीं की जा सकती, सिवाए आई ए सी के आदेश पर। आई ए सी, किसी कार्रवाई से पूर्व अथवा पश्चात अपराध का प्रशमन कर सकता है।

अपराधों का प्रशमन (धारा 86)

कृषि आयकर अधिकारी अथवा निरीक्षण सहायक आयुक्त, अथवा कोई अन्य अधिकारी अथवा इस निमित्त सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई प्राधिकारी, उस व्यक्ति से जिसने इस अधिनियम के प्रति अपराध किया है अथवा युक्तियुक्त संदेह है कि उसने अपराध किया है, ऐसे अपराध के शमन के रूप में स्वीकार कर सकता है।

(क) जहां अपराध इस अधिनियम के अंतर्गत किसी देय कर के अपवंचन से संबंधित है, देय कर के अतिरिक्त, इस प्रकार देय कर के समान राशि बशर्ते कि यह राशि न्यूनतम रु. 100/- व अधिकतम एक लाख रुपये हो; और

(ख) अन्य मामलों में कुल राशि पांच हजार रुपये से अधिक न हो :

परन्तु आयुक्त, आदेश द्वारा, किसी अधिकारी को इस धारा के अंतर्गत घटी हुई राशि का भुगतान करने पर अपराध के प्रशमन का अधिकार दे सकता है।

विविध

सूचनाओं की तामील (धारा 87)

साधारणतः सूचना की तामील

(1) इस अधिनियम के अन्तर्गत अथवा उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को कोई सूचना तामील अथवा दिया जाना अपेक्षित है, तो इसे विधिवत तामील अथवा दिया गया समझा जायेगा यदि इसे निम्नलिखित रीतियों में से किसी एक रीति से तामील किया जाता है :-

- (क) यदि सूचना उस व्यक्ति को सम्बोधित है और उसे दी जाती है अथवा प्रदत्त कर दी जाती है; अथवा
- (ख) जहां वह व्यक्ति पाया नहीं जा सकता, यदि इसे उसके अंतिम ज्ञात आवास अथवा व्यवसाय के किसी सहजदृश्य भाग पर चिपका दिया जाता है अथवा उसके परिवार के किसी व्यस्क सदस्य को सौंप दिया जाता है ; अथवा
- (ग) यदि इसे उस व्यक्ति के आवास अथवा व्यवसाय के अंतिम ज्ञात पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जाता है ।

(2) ऐसी कोई सूचना अथवा मांग निम्नलिखित को सम्बोधित की जा सकती है :

- (क) फर्म के मामले में फर्म के किसी भागीदार को ;
- (ख) स्थानीय प्राधिकरण अथवा कम्पनी के मामले में उसके प्रधान अधिकारी को;
- (ग) किसी अन्य सहयोजन अथवा व्यक्तियों के निकाय के मामले में उसके प्रधान अधिकारी अथवा किसी सदस्य को ;
- (घ) व्यक्ति के किसी अन्य व्यक्ति (कोई व्यक्ति नहीं) के मामले में जो उसके कार्यों का प्रबंध अथवा नियंत्रण करता है ।

फर्म अथवा व्यक्तियों के सहयोजन के समाप्त होने पर सूचना की तामील (धारा 88)

जब फर्म आदि समाप्त हो तब सूचना की तामील

जहां कोई फर्म अथवा व्यक्तियों का सहयोजन समाप्त अथवा बंद कर दिया जाता है रोक दिया जाता है, फर्म अथवा व्यक्तियों के सहयोजन की कृषि आय के संबंध में इस अधिनियम के अन्तर्गत सूचना

किसी व्यक्ति को जो भागीदार (अवयस्क नहीं) अथवा सहयोजन का सदस्य हो, जैसा भी मामला हो, उसकी समाप्ति अथवा बंद होने से तत्काल पहले तामील की जा सकती है ।

व्यवसाय रोकने के मामले में सूचना की तामील (धारा 89)

जहां व्यवसाय रोक दिया जाता है, फर्म अथवा व्यक्तियों के सहयोजन के मामले में, सूचना उस व्यक्ति को तामील की जा सकती है जो रोक के समय उस फर्म का भागीदार अथवा ऐसे सहयोजन का सदस्य था और कम्पनी के मामले में कम्पनी के प्रधान अधिकारी को ।

भुगतान का विनियोजन (धारा 91 क)

जहां अधिनियम के अंतर्गत कोई कर अथवा अन्य कोई राशि देय अथवा मांगी गई है, निर्धारिती द्वारा इस प्रकार किया गया भुगतान, पहले भुगतान की तारीख को ऐसे कर अथवा अन्य राशि पर प्रोदभूत ब्याज के प्रति धारा 37 (4) के अंतर्गत विनियोजित किया जायेगा और शेष राशि को बकाया मूल राशि के प्रति विनियोजित किया जाना चाहिए । (यह धारा वित्त अधिनियम 2005 के द्वारा सम्मिलित की गई है ।)

अध्याय XI

कृषि आयकर पर अधिभार

कृषि आयकर पर अधिकार, केरल करों पर अधिभार अधिनियम 1957 (1957 का अधिनियम 11) की धारा 2 के अनुसार उदग्रहीत किया गया था व केरल करों पर अधिभार (कृषि आयकर और बिक्री कर) नियम, 1958 द्वारा विनियमित किया गया था । अधिनियम की संगत धारा और संगत नियम नीचे पुनः उद्धृत किये जा रहे हैं :-

केरल कर पर अधिभार अधिनियम 1957 (1957 का अधिनियम 11) की धारा 2

कृषि आयकर पर अधिभार उदग्रहीत करना

केरल कृषि आयकर अधिनियम 1991 के अंतर्गत, किसी व्यक्ति (कम्पनी से भिन्न) द्वारा देय कृषि आयकर प्रत्येक वर्ष देय कर के दस प्रतिशत की दर पर ऐसे कर के निर्धारण को अधिभार अधिकार द्वारा बढ़ा दिया जायेगा और केरल कृषि आयकर अधिनियम 1991 के उपबंध उक्त अधिकार पर भी समान रूप से लागू होंगे जैसे उस अधिनियम के अंतर्गत देय कृषि आयकर पर लागू होते हैं ।

स्पष्टीकरण : - इस धारा में “ कम्पनी ” का अर्थ वही होगा जो केरल कृषि आयकर अधिनियम, 1991 में दिया गया है ।

केरल करों पर अधिभार (कृषि आयकर और बिक्री कर) नियमावली, 1958 का नियम 5

अधिनियम की धारा (2) के अन्तर्गत देय कृषि आयकर पर अधिभार कृषि आयकर अधिनियम 1950 और उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत कृषि आयकर उदग्रहीत और संग्रह करने के लिए सक्षम निर्धारण प्राधिकारी द्वारा उदग्रहीत और एकत्रित किया जाना चाहिए ।

नियम 7

कृषि आयकर अधिनियम 1950 के अंतर्गत किसी व्यक्ति द्वारा (कम्पनी से भिन्न) देय कृषि आयकर पर और के जी एस टी अधिनियम 1963 के अंतर्गत बिक्री कर और क्रय पर किसी विक्रेता द्वारा देय कर पर अधिकार उदग्रहीत होगा ।

नियम 13

यदि, किसी कारण से, धारा 2 के अंतर्गत किसी व्यक्ति द्वारा देय कृषि आय कर पर और अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत देय बिक्री कर और क्रय कर पर अधिभार सम्पूर्ण अथवा उसका कोई भाग किसी वर्ष में निर्धारण से छूट जाता है, निर्धारण प्राधिकारी कृषि आयकर अधिनियम 1950 के अंतर्गत बची हुई आय के निर्धारण के लिए निर्धारित अवधि के भीतर अपने सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार अधिभार की राशि सुनिश्चित करने की कार्यवाही शुरू करेगा जो निर्धारण से छूट गई थी और व्यक्ति को सूचना जारी करने तथा ऐसी जांच – पड़ताल करने के बाद, जो वह उचित समझे, निर्धारण करेगा ।

नियम 14

यदि, किसी कारण से, किसी वर्ष में अधिभार का निर्धारण कम हुआ है तो निर्धारण प्राधिकारी कृषि आयकर अधिनियम 1950 के अधीन छूट गई आय के निर्धारण के लिए निर्धारित अवधि के भीतर किसी भी समय निर्धारण के संशोधन की कार्यवाही , व्यक्ति को सूचना जारी करने और ऐसी जांच पड़ताल करने के बाद, जैसी वह उचित समझे, करेगा ।

नियम 15

कृषि आयकर अधिनियम 1991 और उसके तहत बने नियमों के उपबंधों के अंतर्गत अपील, सुनने, अथवा पुनरीक्षण करके आदेश पारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी अधिभार उदग्रहीत होने से संबंधित अपील, पुनरीक्षण करने और आदेश पारित करने के लिए, उसमें निर्दिष्ट शर्तों के अधीन, सक्षम होगा ।

अध्याय XII

लेखापरीक्षा जांच

कृषि आयकर कार्यालय में रखे जाने वाले रजिस्ट्रों की सूची

1.	परीक्षण अथवा नया मामला रजिस्टर
2.	सामान्य सूचक रजिस्टर
3.	धारा 35,39 और 41 के अन्तर्गत सूचना रजिस्टर
4.	मांग और वसूली रजिस्टर
5.	दैनिक वसूली रजिस्टर
6.	अवसूलनीय मांग रजिस्टर
7.	चूक कर्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही संस्थित रजिस्टर
8.	प्रतिदाय आवेदन रजिस्टर
9.	दैनिक प्रतिदाय रजिस्टर
10.	धारा 13 के अन्तर्गत आवेदन रजिस्टर
11.	शास्ति, अभियोजन और प्रशमन रजिस्टर
12.	अपील, पुनरीक्षण और याचिका रजिस्टर
13.	प्रतिदाय वाउचर प्रतिहस्ताक्षर रजिस्टर
14.	कृषि आयकर अधिभार के संबंध में रोक का ब्यौरा दर्शाने वाला रजिस्टर
15.	चैक रजिस्टर
16.	मूल याचिका, कर पुनरीक्षण मामले, अपील, वाद आदि का रजिस्टर
17.	प्रतिप्रेषण मामलों का रजिस्टर
18.	अन्य कार्यालयों से अंतरित फाइलों के ब्यौरे दर्शाने वाला रजिस्टर

19.	निर्धारण आदेश अनुमोदन रजिस्टर
20.	अपीली आदेश रजिस्टर
21.	सरसरी तौर पर निरीक्षण का रजिस्टर
22.	पहचान कार्ड रजिस्टर
23.	गलती और संस्तवन रजिस्टर
24.	नकद प्राप्ति का प्रपत्र रजिस्टर
25.	लेखापरीक्षा के आग्रह पर सृजित अतिरिक्त मांग रजिस्टर
26.	धारा 13 के अंतर्गत पूरे किये गए निर्धारणों का रजिस्टर

निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा विभाग में वरिष्ठ अधिकारियों को प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियां

क्रम संख्या	आवधिक विवरणी का नाम	अवधि की किस्म	किसे भेजी जाती है
1.	निर्धारणों की प्रगति और मामलों के पता चलने को दर्शाने वाले विवरण सहित दौरा डायरी	पाक्षिक	आई ए सी
2.	अंतिम निर्धारण की प्रगति दर्शाने का विवरण	मासिक	आई ए सी
3.	राजस्व संग्रह विवरण	मासिक	आई ए सी / सरकार
4.	फसल युद्ध (क्राप –वार) रजिस्टर	वार्षिक	आई ए सी
5.	बकाया संग्रह की समीक्षा	मासिक	आई ए सी
6.	बकाया वसूली की प्रगति की समीक्षा	मासिक	आई ए सी
7.	बकाया संग्रह की छमाही समीक्षा	छमाही	आई ए सी

लेखापरीक्षा जांच

संवीक्षा किये जाने वाले रजिस्ट्रों की सूची नीचे दी गई है :

(1) रजिस्टर संख्या I - परीक्षण अथवा नया मामला रजिस्टर

रजिस्टर की समीक्षा यह देखने के लिए की जा सकती है कि -

(क)	क्या निर्धारित की कृषि धृति के बारे में फील्ड सर्वेक्षण कर रहे अधिकारी से रिपोर्ट की प्राप्ति पर अथवा अधिकारियों के अभिलेख से सूचना प्राप्ति पर तुरंत बुक कर लिये जाते हैं। धारा 35 अथवा 41, जैसा भी मामला हो, के अधीन सूचना अविलम्ब जारी की जाती है।
(ख)	क्या निर्धारण योग्य पाये जाने वाले सभी मामलों को रजिस्टर नं .2 – सामान्य सूचक रजिस्टर को अंतरित कर दिया जाता है और क्या सरकार सूचक रजिस्टर के मामलों की संख्या परीक्षण मामलों में प्रविष्टि की जाती है।
(ग)	क्या मामले को अंतिम रूप देने के लिए अनुवर्ती कारवाई करने में कोई विलम्ब होता है।

(2) रजिस्टर संख्या II – साधारण सूचक रजिस्टर

इस रजिस्टर की समीक्षा यह देखने के लिए की जाती है कि :

(क)	क्या धारा 35 (2) के अंतर्गत सूचना जारी करने के बारे में प्रविष्टियां की जाती है।
(ख)	क्या प्रविष्टियां हटाये जाने के सभी मामलों पर निर्धारण अधिकारी आद्यक्षर करते हैं।

(3) रजिस्टर संख्या – III – निर्धारणों के समय पर पूरा होने का निगरानी रजिस्टर

यह देखने के लिए नमूना परीक्षण कि :

(क)	क्या साधारण सूचक रजिस्टर में सभी नाम इस रजिस्टर में दर्ज हैं और निर्धारण की सम्पूर्णता की उचित निगरानी रखी जाती है।
(ख)	क्या निर्धारण के बकाया मामलों को प्रत्येक वर्ष चालू रजिस्टर में अग्रेनीत किया जाता है और निर्धारण की सम्पूर्णता पर निगरानी रखी जाती है।
(ग)	क्या कोई निर्धारण धारा 41/39 (6) के अंतर्गत समय सीमा द्वारा वर्जित है।

(4) रजिस्टर संख्या IV – मांग व वसूली रजिस्टर

यह देखने के लिए नमूना परीक्षण कि :

(क)	क्या मांग के आंकड़े सत्यापन अधिकारी द्वारा सत्यापित हैं।
(ख)	क्या कॉलम उचित रूप से भरे जाते हैं।
(ग)	क्या वसूलियों की खतौनी की जाती है और संगत चालान निर्धारण फाइलों में रखे जाते हैं।
(घ)	क्या राजस्व वसूली प्रमाण – पत्र धारा 64 में निर्धारित समय सीमा के भीतर जारी किये जाते हैं।
(ङ)	क्या वसूलियों के बकाया, प्रत्येक मामले में सही निकाले जाते हैं और पूर्व के रजिस्ट्रों से आगे लाये जाते हैं।

(5) रजिस्टर संख्या 5 : दैनिक वसूली रजिस्टर

इस रजिस्टर की जांच यह देखने के लिए की जाती है कि :

(क)	क्या कुल वसूलियों का समाधान राजकोष के आकड़ों से किया जाता है।
(ख)	क्या वसूलियों की खतौनी मांग और वसूली रजिस्टर में सही ढंग से की जाती है।
(ग)	क्या मांग संख्या सही ढंग से नोट की जाती है।

दो चुनिंदा महीनों के लिए भेजी गई रकमों का ब्यौरा रजिस्टर से लेकर राजकोष के अभिलेखों से उसका मिलान किया जा सकता है।

(6) रजिस्टर संख्या 6 : अवसूलनीय मांग रजिस्टर।

(7) रजिस्टर संख्या 7 : धारा 64 के अंतर्गत चूककर्ताओं के विरुद्ध संस्थित कार्यवाही रजिस्टर।

(8) रजिस्टर संख्या 8 : प्रतिदाय आवेदन रजिस्टर।

(9) रजिस्टर संख्या 9 : दैनिक प्रतिदाय रजिस्टर।

(10) रजिस्टर संख्या 10 : आवेदन रजिस्टर।

(11) रजिस्टर संख्या 11 : शास्ति, अभियोजन आदि का रजिस्टर।

(12) रजिस्टर संख्या 12 : अपील, पुनरीक्षण आदि का रजिस्टर।

(13) रजिस्टर संख्या 13 : कृषि आयकर के संबंध में रोक का ब्यौरा दर्शाने वाला रजिस्टर ।

(14) चैक रजिस्टर ।

(15) प्रतिप्रेषण / आशोधन मामलों का रजिस्टर ।

(16) अन्य कार्यालयों से अंतरित फाइलों का ब्यौरा दर्शाने वाला रजिस्टर ।

क्रमांक 6 से 16 तक के रजिस्ट्रों की समीक्षा सामान्य रूप से की जाए ।

(17) रोकड़ बही

रोकड़ बही की जांच चुनिंदा महीनों के लिए, साधारण समीक्षा के अतिरिक्त, विस्तार के साथ यह देखने के लिए की जाए कि :

(क)	क्या रोकड़ बही का रखरखाव के टी सी के उपबंधों के अनुसार किया जा रहा है ।
(ख)	क्या निर्धारण अधिकारियों द्वारा देय कर और अधिभार की वसूली गई राशि को तत्काल रोकड़ बही में दर्ज किया जा रहा है ।
(ग)	क्या रसीदें भेजने में कोई विलम्ब हो रहा है ।
(घ)	क्या निर्धारण अधिकारियों द्वारा कर वसूल कर भेजी गई राशि को दैनिक वसूली रजिस्टर (रजिस्टर संख्या V) में दर्ज किया जाता है और क्या मांग और वसूली रजिस्टर (रजिस्टर संख्या IV) में मांग की संगत प्रविष्टि के प्रति समायोजित किया जाता है ।

(18) प्राप्त राशि के लिए जारी मुद्रित रसीदें

(क)	क्या कर वसूली की राशि के लिए के टी सी खण्ड I में निर्धारित प्रपत्र के अनुसार मुद्रित रसीदें जारी की जा रही हैं ।
(ख)	क्या प्राप्त राशि का रोकड़ बही में तत्काल और सही हिसाब रखा गया है ।
(ग)	क्या अप्रयुक्त रसीद बहियों का स्टॉक लेखा रखा जा रहा है और निर्धारण अधिकारी द्वारा उसे आवधिक रूप से सत्यापित किया जाता है ।

निर्धारण फाइलों और प्रतिदाय फाइलों की संवीक्षा का लेखा जोखा दिया गया है :-
कृषि आय कर के निर्धारण और प्रतिदाय की लेखापरीक्षा के दौरान स्थानीय लेखापरीक्षा दलों द्वारा

निरीक्षण किए गए महत्वपूर्ण बिन्दु ।

I. आय विवरणी

(1) यदि निर्धारिती ने कृषि आयकर अधिनियम की धारा 35 के अन्तर्गत आय विवरणी स्वेच्छा से दाखिल की हो –

(क)	क्या उसने उन सभी स्रोतों की घोषणा की है जिनसे उसने वर्ष के दौरान कृषि आय व्युत्पन्न की है और उसने व्युत्पन्न आय के पूरे विवरण प्रस्तुत किए हैं ।
(ख)	उस मामले में जहां निर्धारिती ने अपनी कृषि आय के विवरणों को छिपाया है अथवा जानबूझकर गलत विवरण प्रस्तुत किये हैं , क्या अधिनियम की धारा 79 के अंतर्गत शास्ति आरोपित की गई है ।

(2) यदि निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत आय विवरणी की मांगी गई थी तो –

(क)	क्या संगत निर्धारण वर्ष की समाप्ति से पूर्व निर्धारिती को आप की विवरणी जमा करने की अपेक्षा से सम्बंधित धारा 35 के अंतर्गत संगत सूचना जारी कर दी गई थी ।
(ख)	यदि नहीं, तो क्या निर्धारिती को धारा 41 के अन्तर्गत निर्धारित समय सीमा के भीतर अधिनियम की धारा 41 के अंतर्गत सूचना तामील की गई थी ।
(ग)	जहां निर्धारिती अनुमत समय सीमा के भीतर विवरणी बिना किसी उचित कारण के प्रस्तुत करने में असफल रहता है अथवा अपनी कृषि आय के विवरण प्रस्तुत विवरणी में छिपाये हैं अथवा जानबूझकर गलत विवरण प्रस्तुत किए हैं, क्या धारा 79 के अंतर्गत शास्ति आरोपित की गई है ।

(3) उस निर्धारिती के मामले में जिसे प्रशमन प्रणाली से कर देने की मंजूरी दी गई थी, यह देखा जाये कि :

(क)	निर्धारिती ने उसके द्वारा धारित भू – सम्पत्ति (गांव का नाम, सर्वे संख्या, उगाई गई फसल आदि) का पूरा ब्यौरा दिया है ।
(ख)	निर्धारिती ने उसके द्वारा प्रकट सीमा तक देय कर जमा करा दिया है व विवरणी के साथ उसका प्रमाण संलग्न कर दिया है ।

II. निर्धारण प्रक्रिया

(1) यदि निर्धारण अधिनियम की धारा (39) के अन्तर्गत किया गया है तो निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत विवरणी और लेखों का पूर्ण रूप से विश्लेषण करके यह सुनिश्चित करने के लिए समालोचनात्मक परीक्षण किया जाना चाहिए कि :-

(i) विवरणी और लेखे सही हैं व पूर्ण हैं और कोई तथ्यात्मक गलती और विरोधात्मकता नहीं है ;

(ii) प्राप्तियों / कर निर्धारण योग्य आय की सभी मदों पर निर्धारण के लिए विचार किया गया है ; और

(iii) अनुमत छूट अधिनियम और उसके तहत बने नियमों के उपबंधों के अनुरूप हैं ।

(2) यदि अधिनियम की धारा 39(3) के अंतर्गत निर्धारण किया गया है तो

(क)	क्या निर्धारिती के लेखे धारा 35 (4) के अंतर्गत संवीक्षा के लिए प्राप्त किये गए थे और क्या निर्धारण के प्रस्तावों का अंतिम रूप देने से पहले निर्धारिती को प्रस्तावित आधार जिन पर निर्धारण किया जाना है सूचित करने के लिए धारा 39 (3) के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र में निर्धारण सूचना भेजी गई है ।
(ख)	क्या निर्धारिती द्वारा रखे गए लेखाओं द्वारा प्रकट तथ्यों और सुनवाई के समय अभिलेखबद्ध किये गए तथ्यों के निर्धारण से संबंधित प्रस्तावों का अंतिम रूप देते समय हिसाब में लिया गया था ।

धारा 39 (4) के अंतर्गत सर्वोत्तम विवेकबुद्धि के अनुसार निर्धारण

यदि निर्धारण अधिकारी की सर्वोत्तम विवेकबुद्धि के अनुसार धारा 39 (4) के तहत निर्धारण किया गया है तो क्या –

(i) निर्धारण अधिकारी ने निर्धारिती की कृषि धृति के बारे में और उसके व्युत्पन्न आय के संबंध में उपलब्ध सभी आंकड़ों पर विचार किया है ;

(ii) आय का आकलन विश्वसनीय आंकड़ों (अर्थात प्लाट निरीक्षण आदि से एकत्र आंकड़े) पर आधारित हैं ।

- (iii) अपनायी गई वस्तुओं के मूल्य में विभिन्न निर्धारितियों के मामले में काफी अधिक भिन्नता नहीं है, किसी एक विशेष स्थान पर, जब तक कि ऐसे परिवर्तन के कोई संतोषजनक कारण न हों। (यहां संगत लेखा वर्ष की प्रचलित बाज़ार दरों के साथ निर्धारण प्रयोजन के लिए निरीक्षण सहायक आयुक्त द्वारा निर्धारित दरों का तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए, ताकि अच्छे खासे परिवर्तनों के कारण राजस्व की हानि के मामलो को उजागर किया जा सके)।
- (iv) यदि निर्धारिती निर्धारण पूर्व सूचना में निर्दिष्ट प्रस्तावों पर अपनी आपत्ति सूचित करता है और यदि निर्धारण अधिकारी ने आपत्तियों के आधार पर आय को कम कर दिया है तो क्या ऐसी कमी का कोई औचित्य है यदि है तो उन तथ्यों को रिकार्ड में लाया जाना चाहिए।
- (v) यदि निर्धारिती ने प्रस्तावों पर कोई आपत्ति नहीं जताई है तो क्या निर्धारण - पूर्व सूचना में निर्धारिती को सूचित प्रस्तावों के अनुसार निर्धारित किया गया है।

III आय का परिकलन और कर – निर्धारण

- (1) क्या निर्धारण आदेश में, आय के परिकलन और कर निर्धारण में कोई गणितीय अशुद्धि तो नहीं है।
- (2) उस मामले में जहां निर्धारिती की कुल कृषि आय में फर्म / व्यष्टियों के संगत / सामान्यिक अभिधारी के रूप में धारित सम्पत्ति की आय भी निहित होती है, क्या फर्म / व्यष्टियों के संगम/ सामान्यिक अभिधारी के रूप में धारित सम्पत्ति की कुल कृषि आय का परिकलन करके सही परिभाजित किया है।
- (3) क्या निर्धारिती द्वारा किये गए व्यय के प्रति आय के परिकलन में से दी गई छूटें कृषि आयकर अधिनियम की धारा 5 के उपबंधों द्वारा समर्थित हैं।
- (4) यदि यह ऐसा मामला है जहां निर्धारिती द्वारा मूल्य ह्रास और / अथवा निवेश मोक का दावा किया है।
- (क) क्या निर्धारिती ने मूल्य – ह्रास मोक के दावे से सम्बन्धित कृषि आयकर नियमावली के अनुसार विवरण उचित रूप से प्रस्तुत किये हैं।

- (ख) क्या परिसम्पत्तियां निर्धारिती की सम्पत्ति हैं और उनका प्रयोग कृषि आय व्युत्पन्न करने के प्रयोजन से किया जाता है।
- (ग) क्या निर्धारण प्राधिकारी ने अवलिखित मूल्य सही निकाला है और अवक्षयन निर्धारित दरों पर अनुमत किया है।
- (घ) क्या निवेश मोक अर्हक परिसम्पत्तियों पर अनुमत किया गया है और उनके अर्जन के वर्ष में ही अनुज्ञेय है।
- (5) क्या अनुमत ब्लूट में कोई पूंजीगत व्यय निहित है और क्या धारा 6 में निर्दिष्ट अनुज्ञेय कटौती को अनुमत किया गया है ?
- (6) उन मामलों में, जहां कुल कृषि आय में से कुद्देक सम्पत्तियों से अपवर्जित कटौतियां निर्धारिती को इन कारणों से अनुमत की गई हैं कि प्रश्नाधीन सम्पत्तियों का अन्यसंक्रामण / हस्तांतरित कर दी गई थीं, क्या ऐसी सम्पत्ति से आय को अंतरिती के निर्धारण में जोड़ा गया है। (व्यवस्थापन, बंदोबस्त का एस आर ए दलों से प्राप्त ब्यौरा जो उप – पूंजीयक कार्यालय की लेखापरीक्षा करती हैं) , इन जांचों के करने के लिए यदि वे लाभदायक रूप में प्रयोग में लाया जा सकता हो।
- (7) रु. 100/- से अधिक मूर्त मूल्य की सम्पत्ति के अंतरण के मामले में क्या अंतरण पूंजीकृत दस्तावेजों से समर्थित है।
- (8) सम्पत्ति के अंतरण के मामले में, क्या लेन – देन अधिनियम की धारा 21 के उपबंधों के अंतर्गत है। यदि हां तो क्या ऐसी सम्पत्ति से आय को अंतरक की कुल आय में जोड़ा गया है और तदनुसार कर के लिए निर्धारण किया गया है।
- (9) निर्धारिती द्वारा सम्पत्ति का अंतरण अपनी पत्नी / पति / अव्यस्क बच्चे के पक्ष में किया है अथवा सम्पत्ति की खरीद पत्नी / अव्यस्क बच्चे के नाम से की है और क्या यह लेन-देन कृषि आयकर की धारा 22 (i), (ii), (iii) व (iv) द्वारा हिट करती है, यदि हां तो ऐसी सम्पत्ति से प्राप्त आयकर के निर्धारण के प्रयोजन से निर्धारिती की कुल आय में जोड़ा गया है।
- (10) क्या निर्धारिती के पति / पत्नी / अव्यस्क बच्चे द्वारा प्राप्त शेयर आय को, उस फर्म की सदस्यता से जिसका निर्धारिती एक भागीदार है, निर्धारिती की कुल आय में जोड़ा गया है और उसकी हस्तगत आय के लिए कर निर्धारण किया गया है।
- (11) फर्म के भागीदार को दिये गए पारिश्रमिक / वेतन के मामले में, क्या भागीदार को पारिश्रमिक / वेतन पर हुआ व्यय फर्म के निर्धारण में अमान्य कर दिया गया और

पारिश्रमिक / वेतन की राशि को पृथक रख दिया गया है और उस भागीदार की आय में जोड़ दिया गया है जिसने वास्तव में इसे प्राप्त किया है व फर्म की आय का प्रभाजन किया है।

- (12) क्या कृषि आय कर और अधिभारों की निर्धारित दरों पर मांग की गई है।
- (13) (1) क्या अधिनियम की धारा 6(1) के अधीन अनुज्ञेय छूटें ठीक है व किसी न्यास, संस्थान अथवा निधि को दिये गए दान पर कर की अदायगी से धारा 9(2) के अंतर्गत अनुमत की गई छूट, सरकार के आदेश द्वारा समर्थित है।
(2) जीवन बीमा प्रीमियम, एन एस सी, एन एस एस अथवा किसी अन्य स्कीम को किये गए भुगतान के संबंध में धारा 9(1) के अंतर्गत अनुज्ञेय कर में छूट ठीक है और उपबंधों के अनुरूप है।
- (14) क्या धारा 9(2) के अंतर्गत कुल छूट निर्धारिती की कुल कृषि आय का 1/6 भाग अथवा रु. 20,000/- जो भी कम हो तक सीमित है और कि क्या धारा 9(1) के अधीन छूट अंशदान / अभिदान का 20% तक अथवा रु. 10,000/- तक सीमित की गई है।
- (15) प्रशमन प्रणाली के अंतर्गत पूर्ण किये गए निर्धारण में धारा 9 के अंतर्गत छूट / कटौती दी गई है। यह ग्राह्य नहीं है।
- (16) विवरणी जमा कराने की तारीख के 2 वर्ष की समय सीमा के भीतर आय का निर्धारण किया गया है जैसा कि धारा 39(6) में व्यवस्था की गई है।
- (17) धारा 13 के अंतर्गत प्रशमन निर्धारण के मामले में –
 - (क) क्या सम्पूर्ण कृषि धृति, पुनरोपण (अपरिपक्व) सहित, के विवरण विवरणी में दिये गए हैं।
 - (ख) क्या विवरणी में गांवों के नाम दिये गए हैं, इलायची के मामले में; इलायची का मण्डल निर्धारित करने के लिए।
 - (ग) क्या पांच हैक्टर की छूट देने के बाद क्या पहले तीन हैक्टर के लिए कर का, पहले स्लैब में निर्धारित दर पर, परिकलन किया गया है।
 - (घ) क्या पुनरोपण क्षेत्र को भी दर के प्रयोजन के साथ- साथ कर निर्धारण के लिए न्यूनतम और अधिकतम सीमा का निर्धारण करने के लिए मान्यता दी गई है।
 - (ङ) फर्म के मामले में, क्या कर की प्रशमन दर सारणी के कालम 5 में निर्दिष्ट दर पर कर परिकलन पूरी सीमा तक किया गया है।

- (च) क्या रबड़ और इलायची के पुनर्रोपण क्षेत्रों के संबंध में दावे की छूट के लिए रबड़ बोर्ड / स्पाइसेज़ बोर्ड, जैसा भी मामला हो, द्वारा जारी प्रमाणपत्रों द्वारा समर्थित हैं।

IV. हैसियत – निर्धारिती को गलत हैसियत समनुदेशन पर कर प्रभाव

क्या व्यक्ति को समनुदेशित हैसियत ठीक है –

- (क) व्यक्तियों का संगम और सामान्यिक अभिधारी।
- (1) क्या अधिनियम की धारा 3(2) के अन्तर्गत अपेक्षित लाभ उस व्यक्ति के मामले में अनुमत किये गए जो सम्पत्तियों को सामान्यिक अभिधारी के रूप में रखते हैं।
- (2) “व्यष्टियों के संगम” के मामले में क्या कर की मांग कम्पनी से भिन्न “व्यक्ति” के मामले में लागू दरों के आधार पर की गई है।
- (के बी आर बुलेटीन और आई टी आर में केस लॉ के हवाले को ध्यान में रखकर व्यष्टियों के संगम को “ सम्पत्ति को सामान्यिक अभिधारी के रूप में धारित व्यक्ति ” से भिन्न हो सकता है।)

V. विविध

क . निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारिती की कृषि धृति के स्थानीय निरीक्षण से एकत्र आंकड़ों पर आधारित निर्धारण।

- (1) क्या स्थानीय निरीक्षण निर्धारिती की सम्पूर्ण कृषि धृति का किया गया था, यदि नहीं तो, क्या अनिरीक्षित क्षेत्र से आय स्थानीय पूछताछ से आकलित की गई थी और निरीक्षण टिप्पणी में दर्ज की गई थी / निर्धारण करते समय हिसाब में ली गई थी।
- (2) क्या सम्पूर्ण किये गए निर्धारण में निरीक्षण के आंकड़ों को व्यवहार में लाया गया।
- (3) निरीक्षण के दौरान कोई बागान अपरिपक्व या किंतु भावी वर्षों में आय संभावित है कि सूचना दी गई थी, क्या अनुवर्ती वर्षों में सम्पूर्ण किए गए निर्धारणों में यह छूट गई है।
- (4) क्या निरीक्षण के समय उपस्थित निर्धारिती / निर्धारिती के प्रतिनिधि के निरीक्षण टिप्पण पर हस्ताक्षर ले लिये गए हैं।

ख. निर्धारिती की मृत्यु के पश्चात निर्धारण सम्पूर्ण करना ।

- (1) जब किसी व्यक्ति की कृषि आय का निर्धारण उसकी मृत्यु के बाद पूरा होता है, निर्धारण की कार्यवाही शुरू की गई तो क्या कृषि आयकर अधिनियम की धारा 48 की अपेक्षाओं का उचित अनुपालन किया गया है।
- (2) क्या सभी विधिक प्रतिनिधियों को सूचना तामील करायी गई है।
- (3) क्या निर्धारिती की मृत्यु की तारीख तक लेखांकन वर्ष के एक भाग के लिए आय को निर्धारण करते समय मृत व्यक्ति की हस्तगत आय समझा गया।
- (4) क्या व्यक्ति की मृत्यु की तारीख से लेखांकन वर्ष की शेष अवधि में उसके विधिक वारिस / प्रतिनिधियों द्वारा व्युत्पन्न आय को उत्तराधिकार को शासित करने वाली स्वीय विधि के अनुसार उपयुक्त हैसियत का निर्धारण करके उसके विधिक वारिसों / प्रतिनिधियों को हस्तगत आय पर कर निर्धारण किया गया है।

ग. प्रतिपाल्य अधिकरण, महाप्रशासक आदि द्वारा व्युत्पन्न कृषि आय ।

- (1) किसी व्यक्ति के निमित्त ऐसी आय प्राप्त करने के लिए नियुक्त किसी प्रतिपाल्य अधिकरण, महाप्रशासक अथवा न्यायालय द्वारा नियुक्त किसी रिसीवर द्वारा प्राप्त कृषि आय के मामले में, क्या प्रतिपाल्य अधिकरण, महाप्रशासक अथवा रिसीवर के हाथों में ऐसी आय के निर्धारण की कार्यवाही शुरू करने से पूर्व कृषि आयकर अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत किये गए उपबंधों के अंतर्गत जारी किये जाने के लिए अपेक्षित सूचनाओं को प्रतिपाल्य अधिकरण, महाप्रशासक, अथवा रिसीवर को तामील करवाया गया था।
- (2) जब प्रतिपाल्य अधिकरण, महाप्रशासक द्वारा प्राप्त आय व्यक्ति की कुल कृषि आय का कुछ भाग होता है, तो क्या देय कर का निर्धारण व्यक्ति की कुल कृषि आय के आधार पर किया गया है व प्रतिपाल्य अधिकरण, महाप्रशासक आदि और व्यक्ति से, प्रत्येक द्वारा प्राप्त आय के अनुपातिक रूप से मांग की गई है (अधिनियम की धारा 49 (1) (iii) देखें)।

घ. हानियों को अग्रणीत करना

- (1) क्या अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत अग्रणीत की गई हानि को, पूर्व निर्धारणों में निर्धारण अधिकारी ने हानि के रूप में सुनिश्चित किया था।
- (2) क्या कोई हानि 8 वर्षों से अधिक अवधि के लिए अग्रणीत की गई है।

ड. लेखांकन विधियां

उस निर्धारिती के मामले में जो आपनी कृषि आय का उचित लेखांकन रखता है :

- (1) क्या निर्धारिती “ रोकड़ आधार ” पर अथवा “ वाणिज्यिक ” आधार पर लेखे रखता है ।
- (2) उन निर्धारितियों के मामले में जो “ रोकड़ आधार ” पर लेखे रखते हैं , क्या निर्धारिती

द्वारा पूर्व वर्ष के दौरान भुगतान के दायित्व के संबंध में, किन्तु वास्तविकता में भुगतान नहीं किया गया, किसी कटौती की अनुज्ञा दी गई थी ।

- (3) उस निर्धारिती के मामले में जो “ वाणिज्यिक आधार ” पर लेखे रखता है :

(क) निर्धारिती द्वारा पूर्व वर्ष के दौरान भुगतान की किसी मद को रखा गया था जिसके लिए उससे पहले के वर्षों के लिए व्यवस्था की गई थी और निर्धारण के संगत वर्षों में कटौती अनुज्ञेय की गई थी, फिर से कटौती की अनुमति दे दी गई ।

(ख) क्या अपेक्षा से अधिक की गई व्यवस्थाओं की सभी मदों का, और निर्धारिती के लाभ और हानि खाते में प्राप्तियों के रूप में प्रतिलेखन किया गया, कर के निर्धारण के लिए कुल कृषि आय में शामिल किया गया था ।

(ग) क्या लेखाओं में की गई व्यवस्था और वर्ष के लाभ को प्रभारित केवल उन भुगतानों के लिए थीं जिसके लिए निर्धारिती द्वारा देयता वास्तव में उपगत की गई थी ।

(घ) क्या देयता के भावी भुगतान की व्यवस्था, जो पहले ही उपगत कर दी गई, अत्यधिक नहीं होगी ।

(ङ) लेखा विधि में परिवर्तन के मामले में, क्या व्यय की मदें जिन्हें रोकड़ आधार पर अनुज्ञा दी गई है वास्तविक आधार पर अनुज्ञा नहीं दी गई और इसके विपरीत भी ।

- (4) क्या लेखाओं के रखरखाव और लेखाओं की लेखापरीक्षा की अपेक्षाएं, जन अनिवार्य हो, धारा 33 और 34 के अन्तर्गत संतोषजनक हैं ।

(च) निर्धारण का पुनरीक्षण

(1) यदि पुनरीक्षण अपीली निर्णय अथवा आदेश पर आधारित है । क्या निर्धारिती की पहले ही परिकलित आय में किये गए परिवर्तन अथवा आशोधन अपीली आदेश में निर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार हैं ।

(2) पहले से परिकलित और निर्धारित कृषि आय में अपील प्राधिकारी के आदेश पर की गई कोई कटौती निर्धारण प्राधिकारी द्वारा मामले के सही तथ्य प्रस्तुत करने में कोई लोप /

असफलता अथवा अपील प्रार्थिकारी को संगत दस्तावेज प्रस्तुत न कर सकने के कारण हुई है।

- (3) यदि पुनरीक्षण, अभिलेख में स्पष्ट की गलती के सुधार के लिए अधिनियम की धारा 42 के अंतर्गत किया गया है तो क्या पुनरीक्षण मूल निर्धारण वर्ष के 4 वर्ष की समय सीमा के भीतर किया गया है।

(छ) निर्धारण के लिए नए मामलों का पंजीकरण

- (1) क्या कार्यालय द्वारा कृषि आयकर अधिनियम के अध्याय – 12 और ए आई टी और एस टी नियम पुस्तक भाग 3 में निर्धारित “भू – धारकों का रजिस्टर” रखा गया है और क्या नियम पुस्तक में निर्धारित आंतरिक और बाह्य सर्वेक्षण किये जाते हैं।

- (2) यदि किसी व्यक्ति द्वारा अधिनियम की धारा 35 (1) के अन्तर्गत उसके द्वारा स्वैच्छिक रूप से जमा की गई आय विवरणी के आधार पर पहली बार देय – कर का निर्धारण किया जा रहा है तो क्या अभिलेख में कोई संकेत है जो यह दर्शाये कि वह पूर्व लेखा वर्षों के दौरान कर के निर्धारण योग्य कृषि आय व्युत्पन्न कर रहा था और कि विभाग में सर्वेक्षण के लिए प्रभावी तंत्र न होने के कारण अथवा कार्यालय द्वारा “भू – स्वामियों का रजिस्टर” का उचित रखरखाव न होने के कारण निर्धारण से छूट गया था।

- (3) यदि फील्ड सर्वेक्षण अथवा निर्धारण अधिकारी द्वारा स्थानीय पूछताछ से प्राप्त विवरणों के आधार पर किसी व्यक्ति द्वारा व्युत्पन्न कृषि आय को पहली बार कर के निर्धारण के लिए लिया जा रहा है तो क्या धारा 41 के अधीन विधिवत सूचना निर्धारिती को तामील करायी गई कि वह उन सभी निर्धारण वर्षों की आय – विवरणियां जमा कराये जिनके लिए ऐसे विवरण की प्राप्ति के समय निर्धारण खुला था और क्या किन्हीं वर्षों के लिए निर्धारिती द्वारा व्युत्पन्न कृषि आय धारा 41 के अन्तर्गत सूचना जारी करने में तामील में विलम्ब के परिणामस्वरूप अथवा निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई करने में असफल रहने के परिणामस्वरूप छूट गई हों।

(ज) कर की मांग और संग्रहण

- (1) क्या उन सभी व्यक्तियों को अधिनियम की धारा 45 के अंतर्गत वैद्य मांग सूचना तामील करायी गई है जिन पर कर अथवा शास्ति देय है।

- (2) क्या निर्धारिती ने मांग सूचना में निर्धारित अंतिम तारीख से पहले कर जमा कर दिया है और क्या अग्रिम कर स्व - निर्धारण कर की धारा 37 के उपबंधों के अनुसार भुगतान कर दिया है।

- (3) क्या प्रेषण के चालान में कर का वर्गीकरण आदि सही दिया हुआ है।

(4) (क) क्या कर का भुगतान विलम्ब / न करने पर अधिनियम की धारा 63 के अन्तर्गत सुपात्र मामलों में आरोपित की गई है।

(ख) विवरणी जमा करने, सूचना का अनुपालन करने में असफल रहने और कृषि आय को छिपाने आदि के लिए अधिनियम की धारा 79 के अधीन आरोपित की गई है।

(5) क्या चूककर्ताओं से कर आदि की वसूली की कार्रवाई राजस्व वसूली अधिनियम के अंतर्गत मांग सूचना में भुगतान की अंतिम तिथि से तीन वर्ष तीन वर्ष की समय सीमा के भीतर शुरू कर दी गई है, देखें अधिनियम की धारा 63, और कि क्या वसूली की कार्रवाई का उचित ढंग से अनुसरण किया जा रहा है।

(6) क्या निर्धारण प्राधिकारी द्वारा समय सीमा के भीतर वसूली कार्रवाई शुरू करने में असफल रहने के परिणामस्वरूप कोई राशि अवसूलीय है।

I. प्रतिदाय

(1) क्या पुनरीक्षित निर्धारण, जिनके आधार पर प्रतिदाय का आदेश दिया गया है, अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में किया गया है।

(2) क्या निर्धारिती ने पुनरीक्षित निर्धारणों में निर्धारित कर से अधिक की राशि वास्तव में प्रेषित की थी और प्रतिदाय की राशि को ठीक-ठीक निकाला गया है।

(3) क्या प्रतिदाय के तथ्य प्रेषण के मूल चालानों में दर्ज किये गए हैं और रजिस्टर संख्या 5 – दैनिक वसूली का रजिस्टर में भी संगत प्रविष्टियों के प्रति दर्ज किये गए हैं।

(4) क्या निर्धारिती के प्रति बकाया देय होते हुए भी प्रतिदाय की स्वीकृति दी गई है।

(5) क्या प्रतिदाय का 3 महीने के बाद भुगतान करने पर ब्याज भी दिया गया है, क्या विलम्ब अपरिहार्य था।

केरल कृषि आयकर नियमावली, 1991 के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र

प्रपत्र संख्या	शीर्षक	नियम
1 क	कृषि आयकर विवरणी के प्रशमन का आवेदन	15
1.	विवरणी – सम्पत्तियों व आय का ब्यौरा	15
2.	धारा 35 के अन्तर्गत ...को समाप्त पूर्व वर्ष के दौरान कुल कृषि आय का विवरण	51
3.	केरल कृषि आयकर अधिनियम की धारा 37 के अन्तर्गत देय अग्रिम कर का विवरण	57
4.	धारा 35 (2) के अंतर्गत विवरणी जमा कराने के लिए समय के विस्तार का आवेदन	53
5.	धारा 36 के अन्तर्गत स्थायी लेखा संख्या के आंबटन के लिए आवेदन	54
6.	स्थायी लेखा संख्या वापस लेने का आवेदन	56
7.	के .ए .आई .टी अधिनियम , 1991 की धारा 35(2) के अन्तर्गत सूचना	52,68
8.	के .ए .आई. टी अधिनियम, 1991 की धारा 28(1), 35(4) के अन्तर्गत लेखे, प्रलेख, रजिस्टर विवरण आदि प्रस्तुत करने की सूचना	16,43, 51,61, 62
9.	के . ए. आई . टी अधिनियम, 1991 की धारा 14 के अन्तर्गत सूचना (प्रशमन भूमि के छूट गए विस्तार हेतु)	65
10.	के. ए. आई. टी अधिनियम , 1991 की धारा 41 के अन्तर्गत सूचना (छूट गई आय के निर्धारण के लिए)	64
11.	धारा 16 के अंतर्गत धर्मार्थ, धार्मिक न्यास अथवा संख्या के पंजीकरण का आवेदन	18
12.	निर्धारिती द्वारा फसलों के सत्यापन हेतु आवेदन	49
13.	फसलों के सत्यापन के लिए भूमि के निरीक्षण की सूचना	49
14.	प्लॉट निरीक्षण रिपोर्ट	49
15.	निर्धारण की सूचना और धारा 13 के अंतर्गत मांग	15
16.	कृषि आयकर अधिकारी की कार्यवाही	62
17.	धारा 12 के अन्तर्गत हानियो को अग्रणीत करना	13
18.	मांग सूचना	17, 58, 59
19/20	आर. आर कार्यवाही के लिए जिला कलेक्टर को मांग – पत्र	69
21.	धारा 65 के अंतर्गत वसूली की अन्य विधियों के लिए मांग – पत्र	70

22.	धारा 37(4) अथवा धारा 37(5) के अन्तर्गत आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत आवेदन	60
23.	कृषि आयकर के प्रतिदाय के लिए आवेदन	71
24.	प्रतिदाय समायोजन आदेश	72
25.	कृषि आयकर प्रतिदाय आदेश	72
26.	ए. ए. सी अथवा डी सी को अपील	77
27.	त्रुटिपूर्ण अपील याचिका लौटाने का प्रपत्र	81
28.	अपील अधिकरण को अपील ज्ञापन	85
29.	अपील अधिकरण को प्रत्याक्षेप ज्ञापन	87
30.	अपील अधिकरण को पुनरीक्षा करने का आवेदन	88(1)
31.	धारा 77 के अन्तर्गत पुनरीक्षण	91
32.	पुनरीक्षण याचिका	92
33.	विवादित कर की वसूली को रोकने के लिए प्रतिभूति बंध पत्र	94
34.	धारा 32 के अन्तर्गत सूचना प्रकटन के लिए आवेदन	30
35.	धारा 15 के अन्तर्गत कर के दोहरे भुगतान से राहत के लिए आवेदन	41
36.	धारा 28 के अंतर्गत प्राधिकार	44
37.	व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने और / अथवा प्रलेख प्रस्तुत करने के लिए समन	46
38.	धारा 34(1) के अन्तर्गत लेखापरीक्षा रिपोर्ट	42, 51
39.	धारा 26(3) के अन्तर्गत कृषि आयकर अधिकारी को मांगपत्र	45
40.	धारा 43(1) के अन्तर्गत घोषणा कि समान विधि का प्रश्न उच्च/ उच्चतम न्यायालय में लम्बित है	66
41.	निर्धारिती की ओर से उपस्थित होने के लिए प्रतिनिधि को प्राधिकार	96

संलग्नक – II
सरकार द्वारा कृषि आयकर से छूट प्राप्त संस्थान

1. कालीकट रीजनल इंजीतिनयरिंग कालेज – 30 मई 1978 के जी. ओ. एम. एस संख्या 64/78/ टी. डी द्वारा छूट प्राप्त ।
2. नित्यानंद आश्रम होसदुर्ग को कृषि आयकर अधिनियम 1950 के प्रयोजन से धर्मार्थ संस्थान घोषित किया गया हैं, देखिए 08.06.1977 का जी. ओ.एम. एस 60/77/ टी
3. श्री. शीला एस्टेट्स क्वीलैण्डी श्री. सत्या साई ट्रस्ट केरल, कालीकट ए आर ओ सं.905/ 77 में छूट प्राप्त देखिए 07.09.1977
4. केरल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी एस. आर. ओ संख्या 146/ 80 में छूट प्राप्त देखिए 02.01.1980 का जी.ओ. एम .एस 2/80/ टी डी
5. इण्डियन कार्डामम रिसर्च इन्सटीट्यूट , माइलाटमपारा एस आर ओ 1347/91 में छूट प्राप्त देखिए जी ओ (पी) 154191/ टी डी दिनांक 12.11.1991
6. राष्ट्रीय ताप ऊर्जा निगम (राष्ट्रीय थर्मल पावर निगम) (थर्मल पावर स्टेशन, कार्थिकपल्ली, आलजुवा के लिए) एस आर ओ 639 / 91 में छूट प्राप्त देखिए जी ओ (पी) 89/91/ टी डी दिनांक 22.04.1991)
7. सैन्ट्रल प्लांटेशन क्रॉप्स रिसर्च इन्सटीट्यूट , कासरगोड 15.03.1991 के एस आर ओ संख्या 346/91 के द्वारा छूट प्राप्त ।
8. एस आर ओ संख्या जी ओ (पी) 4/94/ टी डी दिनांक 13.01.1994 राष्ट्रीय मसाला अनुसंधान केंद्र , कोझिकोड को संस्थान की सम्पूर्ण कृषि आय के संबंध में देय कृषि आयकर के भुगतान से छूट प्राप्त है ।
9. एस आर ओ 889/ 95 दिनांक 11.07.1995 अनंतकृष्णपुरम बोर्डिंग ट्रस्ट, कलपट्टा, वयनाड को 17 जुलाई 1985 से देय सम्पूर्ण कृषि आय पर देय कर से छूट प्राप्त है ।
10. एस आर ओ संख्या 264/93 – जी ओ (पी) संख्या 14/93/टी डी दिनांक 09.02.1993 – धारा 7(5) के अंतर्गत प्लांट और मशीनरी विनिधान मो के लिए अर्ह है :
 - (i) अपकेन्द्र मशीनरी
 - (ii) छिड़काव प्रणाली
 - (iii) ऊर्जा बचत युक्ति (विद्युत ऊर्जा / इंधन बचत)

सामान्य छूट

अधिसूचना संख्या व तारीख		पूर्व वर्ष	निर्धारण वर्ष	छूट प्राप्त फसल	किस पर लागू है
1	एस आर ओ संख्या . 305/1999	1998 -1999	1999 – 2000	रबड़	20 हैक्टर तक रबड़ उत्पादक
2	एस आर ओ संख्या . 293 / 2000 जी ओ (पी) संख्या . 55/ 2000/ टी डी दिनांक 31-3-2000	2000 – 2001	2001 – 2002	रबड़ कॉफी	उत्पादक जिनके पास 20 मीटारस से अधिक भू सम्पत्ति न हो
3	एस आर ओ संख्या 800/2001 जी ओ (पी) संख्या 97/2001 टी डी दिनांक 16-8- 2001	2001 – 2002	2002 – 2003	सभी फसलें	कम्पनी छोड़कर सभी निर्धारिती
4	एस आर ओ सं. 9/ 2003 जी ओ (पी) सं. 5/2003/ टी डी दिनांक 3-1-2003	2002 - 2003	2003 – 2004	सभी फसलें	कम्पनी छोड़कर सभी निर्धारिती
5	एस आर ओ सं. 392/2005 जी ओ (पी) सं. 69/2005/ टी डी दिनांक 22-4-2005	2003 – 2004	2004 – 2005	कॉफी चाय	कम्पनी छोड़कर सभी निर्धारिती
		2004 – 2005	2005 – 2006	कॉफी चाय	कम्पनी छोड़कर सभी निर्धारिती
6	एस आर ओ संख्या . 561/2006 जी ओ (पी) संख्या 72/ 2006 / टी डी दिनांक 26-7-2006	2005 – 2006	2006 – 2007	चाय, कॉफी, मिर्च, इलायची	कम्पनी छोड़कर सभी निर्धारिती
7	एस आर ओ संख्या . 377/ 2007 जी ओ (पी) 99/2007/ टी डी दिनांक 21-4-2007	2006 – 2007	2007 – 2008	चाय, कॉफी,मिर्च, इलायची	कम्पनी छोड़कर सभी निर्धारिती